श्रम संगम

वर्ष: 4, अंक: 1

जनवरी-जून 2018

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग)

सचिवालय : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए–13, सेक्टर – 1, नौएडा – 201301

सम्मान पत्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हुए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए समिति के सदस्य कार्यालय, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर–24, नौएडा को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित करती है।

(अजय कुमार)
सदस्य सचिव

(नूतन गुहा बिश्वास)
अध्यक्ष

तिथि : 15-02-2018

संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. पूनम एस. चौहान
वरिष्ठ फेलो

डॉ. संजय उपाध्याय
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 4, अंक: 1, जनवरी-जून 2018

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से...	ii
❍	प्रसिद्ध साहित्यकार: सुमित्रानंदन पंत	1
❍	महिला सशक्तिकरण का उदाहरण: गीता कुशवाहा – डॉ. पूनम एस. चौहान	4
❍	कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का दौर – डॉ. शशि बाला	6
❍	राजभाषा हिंदी	6
❍	'न्यू इंडिया' की ओर बढ़ते कदम – राजेश कुमार कर्ण	7
❍	सुधा सिंधु – डॉ. संजय उपाध्याय	20
❍	तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष: धुएं से धुआँ-धुआँ जिंदगी	24
❍	काव्य-मंजूषा (1) – कुसुम उपाध्याय	25
❍	चीफ की दावत (कहानी) – भीष्म साहनी	26
❍	हिंदी वर्ग-पहेली प्रतियोगिता का परिणाम	30
❍	काव्य-मंजूषा (2) – डॉ. पूनम एस. चौहान	31
❍	गुणवत्तायुक्त शिक्षा का अभाव – बीरेन्द्र सिंह रावत	32
❍	नारी शक्ति – डॉ. पूनम एस. चौहान	37
❍	राजभाषा सम्मान	38
❍	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	38
❍	दुष्कर्म की सजा: मृत्युदंड – राजेश कुमार कर्ण	39
❍	प्रेरणादायक कहानियाँ – सुधा वोहरा	49
❍	रिटायरमेंट के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है – अवनींद्र कुमार श्रीवास्तव	50
❍	एक देश, एक चुनाव – राजेश कुमार कर्ण	51
❍	प्रेरक प्रसंग: अशिक्षा से आजादी के लिए जगाई अलग	54

महानिदेशक की कलम से...

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। हमारे देश की भाषायी विविधता एवं बहुआयामी संस्कृति के बावजूद हिंदी ने अपनी मौलिकता, सरलता एवं सुबोधता के बल पर ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की धारणा को पुष्ट किया है और अनेकता में एकता की इस भावना को आम जनता में निरंतर जागृत भी बनाये रखा है। राजभाषा हिंदी, जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने कार्यालयीन कामकाज में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दें।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा संबंधी निदेशों का अनुपालन करने के साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के विभिन्न कार्यकलापों में भी सदैव पूरी सक्रियता के साथ सहयोग करता रहता है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में वर्ष 2016–17 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए संस्थान को नराकास, नौएडा द्वारा 15.02.2018 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइंस प्रभाग मुख्यालय, सैक्टर–1 नौएडा में आयोजित 35वीं बैठक में f}rh; ijLdkj से सम्मानित किया गया है।

^Je lxe^ पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

एच श्रीनिवास

(डॉ. एच. श्रीनिवास)

प्रसिद्ध साहित्यकार : सुमित्रानंदन पंत

जीवन परिचय

सुमित्रानंदन पंत का जन्म 21 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जनपद (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) के कौसानी नामक गाँव में हुआ था। इन्हें जन्म देने के तुरंत बाद इनकी माता सरस्वती देवी परलोक सिधार गईं। इनका लालन–पालन दादी और बुआ ने किया। गाँव की पाठशाला में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने 1911 से 8 वर्षों तक अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया और वहाँ से नवीं कक्षा तक की पढ़ाई के बाद 1920 में काशी से हाई स्कूल की परीक्षा पास की।

आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने प्रयाग म्योर कॉलेज में प्रवेश लिया लेकिन कुछ ही दिनों में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया। विधार्थी जीवन से ही इनकी रुचि कविता के क्षेत्र में रही। व्यवसाय में घाटे और पिता के असामयिक निधन से इनकी रुचि रचनाशीलता में कुछ समय के लिए व्यवधान अवशय आया, लेकिन कालकांकर नरेश के छोटे भाई कंवर नरेश सिंह के साथ कालकांकर में रहकर कई वर्षों तक काव्य रचना में लीन रहे। 1934 में फिल्म जगत के प्रसिद्ध नर्तक उदयशंकर भट ने उन्हें अपने चित्र 'कल्पना' के गीत लिखने के लिए मद्रास आमंत्रित किया। कई वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए 1950 में पंत जी इलाहाबाद में स्थायी रूप से बस गए। वहाँ आकाशवाणी में हिन्दी प्रोड्यूसर और फिर हिन्दी परामर्शदाता के पद पर कार्य करते हुए ये काव्य रचना में भी निरत रहे। 1961 में इन्हें भारत सरकार की और से 'पद्मभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष 'कला और बूढ़ा चाँद' पर इन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 'चिदम्बरा' पर 1969 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की हिन्दी–विरोधी नीति और अपने हिन्दी प्रेम के कारण अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए इन्होंने 'पद्मभूषण' की उपाधि लौटा दी। 28 दिसम्बर 1977 को इनका निधन हो गया।

साहित्यिक योगदान

पंत की काव्य–यात्रा का आरंभ प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण से हुआ। प्रकृति के मोहक रूप पर वे इतने मुग्ध हो गए थे कि मानवीय सौन्दर्य तक की इन्होंने उपेक्षा कर दी। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं:

"छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया।
बाले! तेरे केश जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन ।।

प्रकृति को प्रेयसी, सुंदरी के साथ ही इन्होने माँ के रूप में भी देखा है। संध्या, प्रातः, उषा, चाँदनी और प्रकृति के अन्यान्य दृश्यों पर मुग्ध रहने वाले पंत ने अंततः मानव के सुंदरतम रूप को प्रतिष्ठित किया। पंत जी ने कविता के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी आजमाई लेकिन अंततः ये कविता के लिए ही समर्पित हुए। पंत जी की आरंभिक दो रचनाएँ, 1918 में 'वीणा' और 1920 में 'ग्रंथि' ने सहृदय हिन्दी–प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट अवश्य किया, लेकिन एक छायावादी कवि के रूप में इनकी प्रतिष्ठा 1925 में प्रकाशित 'पल्लव' के माध्यम से ही हुई। इसकी भूमिका में पंत ने छायावाद के विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए, इस काव्यधारा के औचित्य की स्थापना भी की। छायावाद के समर्थ आलोचक इस रचना को छायावाद का पूर्ण उत्कर्ष मानते हैं। इसमें भाव, भाषा, लय और अलंकरण के विविध उपकरणों का अत्यंत कौशल के साथ समावेश किया गया है। 'गुंजन' विशेष कर 'युगांत' में आकर पंत की काव्ययात्रा का प्रथम चरण समाप्त होता है। वे अपने कल्पना जनित स्वपनलोक से बाहर आकार यथार्थ जगत की और उन्मुख होते हैं।

'युगांत', 'युग–वाणी' और 'ग्राम्या' को पंत की काव्य यात्रा का दूसरा चरण माना जा सकता है। 'ग्राम्या' तो प्रगतिशील आंदोलन के प्रभावान्तर्गत लिखी गयी रचना है। इसमें कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद, श्रमिक–मजदूर किसान जनता के प्रति इन्होंने भावभीनी सुहानुभूति प्रगट की है। लेकिन जल्दी ही इस मार्ग पर बढ़ते हुए उनके कदम रुक जाते हैं, जिससे लगता है कि शोषित उत्पीड़ित जन–जीवन के प्रति उनकी सहानुभूति बौद्धिक थी। 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णधूलि', युग पथ', अतिमा, उत्तरा में वे महर्षि अरविंद से प्रभावित होकर 'आध्यात्मिक' समन्वयवाद की ओर अग्रसर होते हैं। इसे उनकी काव्य–यात्रा का तीसरा चरण कहा जा सकता है। वैसे 'ग्राम्या' में भी कई जगहों पर इन्होंने मार्क्स के भौतिकवाद और भारतीय

अध्यात्मवाद के सामंजस्य की ओर संकेत किया है, अतः यह समन्वयवाद ही उनकी मूल प्रकृति लगता है।

'कला और बूढ़ा चाँद' से लेकर 'लोकायतन' तक पंत की काव्य–यात्रा का चौथा चरण है। इसमें उनकी चेतना मानवतावाद, विशेष रूप से विश्व मानवता की ओर प्रवृत्त हुई है। इन रचनाओं में लोक–मंगल के लिए कवि कहीं व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य के महत्व को रेखांकित करता है, तो कहीं व्यक्ति चेतना के ज्वार को ही लोकहित का कारक सिद्ध करने लगता है। ग्राम्या में पंत ने जिस ग्रामीण 'नयन' से लोक और समाज को देखने की घोषणा की थी, यहाँ वे उससे बहुत दूर हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है, इनके चिंतन की अस्थिरता। इस दृष्टि से निराला और पंत की जीवन दृष्टि और काव्य–चेतना की तुलना करें तो हम देखेंगे कि निराला की जीवन–दृष्टि का लगातार एक निश्चित दिशा में विकास हुआ है, जिसे उनकी काव्य–यात्रा में आसानी से देखा जा सकता है। जबकि पंत का दृष्टि विकास एक निश्चित दिशा में न होकर उसमें कई मोड़ आते हैं, जिसमें वे कभी प्रकृति में रमे रहते हैं, तो कभी मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन और गांधीवाद की गलियों का चक्कर लगाते हैं। इससे इनमें जीवन–संघर्ष से अर्जित दृष्टि का अभाव परिलक्षित होता है। इन सबके बावजूद पंत छायावादी काव्य–धारा को सम्पन्न बनाने की प्रक्रिया में 'द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ताज आदि ऐतिहासिक महत्व की कविताएँ हिन्दी पाठक समुदाय को दे गए हैं।

सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्याधारा के अनुपम शिल्पी हैं। अपनी कोमल और मृदुल प्रकृति के कारण उनकी भाषा में ये गुण अत्यंत सहजता से समाविष्ट हुए हैं। हिंदी खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को और अधिक सँवारने–सजाने में इनका विशेष योगदान है। इनकी भाषा में नाद व्यंजना, प्रवाह, लय उच्चारण की सहजता, श्रुति मधुरता आदि का अद्‌भुत सामंजस्य हुआ है। शैली की दृष्टि से पंत ने प्रकृति के मानवीकरण और भावों की समुचित अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत सहज अलंकार विधान भी किया है। नए उपमानों के चयन, ध्वन्यार्थ व्यंजना, लक्षणिक और प्रतिकात्मक शैली के उपयोग द्वारा कवि ने अपनी विषय–वस्तु को अत्यंत सहज संप्रेषणीय बनाया है। एक मंजा हुआ, सचेत शिल्प पंत की कविता में शुरू से अंत तक मिलता है, जो इनका निजी शिल्प बन गया है। इससे किसी भी प्रकार की विषय–वस्तु की अभिव्यक्ति में जहाँ पूरी सहायता मिलती है, वहीं परवर्ती रचनाओं में इस मंजे हुए शिल्प की अनुगूँज या प्रतिबिम्बन कथ्य की नवीनता को खंडित भी करता है। 'वीणा', ग्रंथि, 'पल्लव' का प्रकृति–चित्रण संबंधी मंजा हुआ शिल्प 'रश्मिबंध', 'लोकायतन' में पूर्ववत ज्यों का त्यों उपस्थित होकर पंत की नव–चेतना को बाधित करता है। अतः नवीन भावों और विषयों को ग्रहण करते समय कवि के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने बने बनाए शिल्प के ढांचे को तोड़कर नया शिल्प भी विकसित करे। छायावादी कवियों में ये कार्य केवल निराला कर सके हैं। बावजूद इस कमी के पंत जी की भाषा–शैली वातावरण के चित्र में अत्यंत सक्षम और समुचित प्रभावोत्पादन की दृष्टि से अत्यंत सफल मानी जा सकती है। पंत जी की रचनाएँ निम्नलिखित हैं।

dk0;: 'वीणा', 'ग्रंथि' , 'पल्लव', 'गुंजन', 'युगांत', 'युगवाणी', 'ग्राम्या', 'स्वर्ण किरण', 'स्वर्ण धूलि' 'उतरा' 'रजत शिखर', शिल्पी', 'अतिमा', 'वाणी', कला और बूढ़ा चाँद', रश्मिबंध, 'चिदम्बरा', 'समाधिता', 'लोकायतन', 'किरण वीणा', गीत हंस', 'गंध वीथी' तथा 'सत्यकाम' आदि।

jfM;k :id: ज्योत्स्ना
miU;kl: 'हार'
fuc/k lxg: 'आधुनिक कवि'

पंत की कविता का महत्व संवेदना और अभिव्यंजना दोनों धरातल पर है। उन्होंने स्वच्छंद और नई भावनुभूतियों के लिए काव्य में नए शब्द और नए अर्थ गढ़े। उनका प्रकृति–चित्रण मनःस्थितियों और मनोदिशाओं को प्रकट करने वाला है। उन्होंने प्रकृति से संवेदनशीलता को ग्रहण किया था, वह संवेदनशीलता सीधे–सीधे काव्य में प्रस्तावित हुई है। प्रकृति के मूर्त चित्रों में पंत ने जनजीवन की अभिलाषाओं को अभिव्यक्त किया है। इसी अर्थ में 'प्रथम रश्मि' जागरण का काव्य है। इस कविता में उन्होंने नूतन शब्दों, तुकों और लयों का आविष्कार किया है। स्वर–ध्वनियों के आधार पर उन्होंने शब्द संगीत को रचा है। छायावाद को साधारणतः रोमांटिक अनुभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है।

'प्रथम रश्मि' कविता में प्रकृति के अदृश्य और मूक व्यापारों के प्रति कवि में कौतूहल और विस्मय का भाव है। उदाहरण के लिए रात्रि की अंतिम बेला में ही पक्षियों को सूर्योदय होने का अनुभव होने लगता है। वे घोंसलों से निकलकर चहचहाना शुरू कर देते हैं। इस कविता

का एक संदर्भ प्रातःकाल के सूर्योदय से जुड़ा हुआ है और दूसरा देश के जागरण से। देश में भी स्वाधीनता का आंदोलन शुरू हो गया था। अर्थात रात्रि का अवसान हो रहा था। इस कविता को पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि कवि का संबंध एक ओर भाषा से है और दूसरी ओर उसका संबंध प्रकृति के निरीक्षण से है। वे संवेदनशील बिंब के माध्यम से प्रकृति की सूक्ष्मता रचते हैं। प्रातःकाल के सूर्योदय का प्रकृति में और हमारे जीवन में व्यापक महत्व है। यहाँ सूर्योदय जागरण का प्रतीक बन जाता है। प्रथम रश्मि का व्यंजनापूर्ण प्रयोग है। प्रकृति में प्रथम रश्मि रात्रि के बीच से निकलती है। उसके आगमन पर प्रकृति का चित्र किस तरह से बदलता है उसके रूप रंग को कवि ने बिंब के माध्यम से रचा है। काव्य में अर्थ, लय और छंद एकाकार हो गए हैं।

प्रथम रश्मि

प्रथम रश्मि का आना रंगिणी !
तूने कैसे पहचाना ?
कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी!
पाया तूने यह गाना ?

सोई थी तू स्वप्न–नीड़ में
पंखों के सुख में छुपकर,
ऊंघ रहे थे, घूम द्वार पर
प्रहरी से जुगनू नाना;

शशि–किरणों से उतर उतरकर,
भू पर कामरूप नभचर
चूम नवल कलियों को मृदु मुख
सिखा रहे थे मुसकाना;

स्नेह हीन तारों के दीपक,
श्वास–शून्य थे तरु के पात,
विचर रहे थे स्वप्न अवनी में,
तम ने था मंडप ताना,

कूक उठी सहसा तरुवासिनी !
गा तू स्वागत का गाना,
किसने तुझको अंतर्यामिनी !
बतलाया उसका आना ?

निकल सृष्टि के अंध गर्भ से
छाया तन बहू छाया हीन
चक्र रच रहे थे खल निशिचर
चला कुहुक, टोना माना;

छिपा रही थी मुख शशि बाला
निशि के श्रम से हो श्रीहीन
कमल क्रोड़ में बदीं था अलि,
कोक शोक से दीवाना,

मूर्छित थीं इंद्रियाँ स्तब्ध जग,
जड़ चेतन सब एकाकार,
शून्य विश्व के उर में केवल
साँसों का आना–जाना;

तू ने ही पहले बहू दर्शिनी
गावा जागृति का गाना
श्री सुख सौरभ का नभचारिणि!
गूँध दिया दृताना– बना !

निराकार तम मानो सहसा
ज्योति–पुंज में हो साकार
बदल गया द्रुत जुंगल जाल में
धर कर नाम रूप नाना;

सिहर उठे पुलकित हो उदुम दल
सुप्त समीरण हुआ अधीर,
झलका हास कुसुम अधरों पर,
हिल मोती का सा दाना;

खुले पलक, फैली सुवर्ण छवि,
खिली सुरभि, डोले मधु बाल;
स्पंदन कंपन औ नव जीवन
सीखा जग ने अपनाना;

प्रथम रश्मि का आना रंगिणी !
तूने कैसे पहचाना ?
कहाँ, कहाँ हे बाल विहंगिनी!
पाया यह स्वर्गिक गाना ?

महिला सशक्तिकरण का उदाहरणः गीता कुशवाहा

डॉ. पूनम एस. चौहान*

मध्यप्रदेश एतिहासिक रूप से काफी विख्यात है। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के जांबाजों ने भारत माता की बेड़ियाँ तोड़ने में अपना अथक योगदान दिया है। उनके बलिदान की गाथा अपने आप में एक मिसाल है। कहीं प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं तो कहीं भगवान कृष्ण की महिमा का वर्चस्व है। यह प्रदेश जंगलों से घिरा है तथा बहुत से जंगली जानवर इन वनों में वास करते हैं।

यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृति के हैं तथा कहीं न कहीं वे रुढिवादिता से भी ग्रसित हैं। ग्रामीण वासियों में तो अंधविश्वास कूट कूट कर भरा है। पढे लिखे शहरी परिवार भी इससे अछूते नहीं हैं। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में निवाड़ी नाम का एक ब्लॉक है। विकास की दृष्टि से निवाड़ी ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पेय जल, स्वास्थ सुविधाओं की कमी लिंग पर आधारित भेदभाव कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की अल्पता सिंचाई की कमी, किसानों का आक्रोश कृषि मजदूरों की विषमताएं आदि कुछ ज्वलंत समस्याएँ और विकास के मुद्दे हैं। निवाड़ी ब्लॉक झाँसी के समीप है। अतः यहाँ के लोगों को अन्य प्रदेशों में जाने की सुविधा है। काम की खोज में अधिकांशतः परिवार शहरों की और पलायन करते हैं। निवाड़ी ब्लॉक में एक गाँव है जिसका नाम है 'कैना' इस गाँव में सभी श्रेणियों के परिवार रहते हैं। दैनिक मजदूरों और छोटे किसानों की संख्या भी काफी है। काफी पिछड़ा हुआ गाँव हैं। गीता इसी गाँव की निवासी है। निर्धनता के श्राप से ग्रसित छोटे से घर में अपने परिवार के साथ जीवन बिता रही है। जब हम पहली बार गीता से मिले तो वह सामने आने में सकुचा रही थी। गाँववासियों के दर से दबी, संकोची, शर्मीली भयभीत हिरणी सी वह दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। अंदर जाकर उससे मुलाकात की वह बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। पुरुषों के समक्ष आना तो असंभव था।

हमने बताया कि हम ग्रामीण श्रमिकों के उत्थान, विकास एवं सामर्थ बढ़ाने हेतु एक शिविर का आयोजन निवाड़ी ब्लॉक पर करेंगे, जिसमे महिलाओं की भागीदारी भी आवश्यक है। गीता ने कहा "में तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बीड़ी बनाने का काम करती हूँ। तो मैं शिविर मे आकर क्या करूंगी। हमने उससे कहा कि "एक बार शिविर में आकर तो देखो, शायद तुम्हारे काम की ही बात हो"। बहुत समझाने पर उसने सहमति दी।

गीता बीड़ी बना कर अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर रही थी। ठेकेदार बीड़ी बनाने का सामान मुहैया कराता था तथा ऑर्डर पूरा होने पर ले जाता था। 1000 बीड़ी का सुनिश्चित दाम वो कभी नहीं चुकाता। अधिकांशतः बीड़ी को खराब बता कर उन्हे रिजैक्ट कर देता। अतः दाम अत्यंत कम दिया जाता था। गीता एवं गाँव की अन्य महिलाओं को ज्ञात था कि ठेकेदार बेईमानी कर रहा था। पर वे सभी मजबूर थीं कि यदि यह काम भी छूट गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ठेकेदार इन बीड़ी मजदूरों की मजबूरी और मनोदशा को खूब समझता था। उसका पाषाण हृदय कभी नहीं पिघलता। गीता अन्य बीड़ी महिलाओं के साथ हमारे शिविर में आई। वह सहमी सी बैठी थी। सिर झुकाए हुए, डरे डरे नयनों से ताकती हुई, मानों परिस्थिति को समझने का प्रयत्न कर रही हो। दूसरे दिन से वह थोड़ा थोड़ा खुलने लगी। कुछ पूछने पर, झिझक कर, किन्तु जवाब देने लगी। शिविर की प्रक्रियाओं मे उसकी भागीदारी बढ़ने लगी।

शिविर के अंतिम दिन गीता के चेहरे पर कुछ सुकून एवं खुशी झलक रही थी। किन्तु वह घूँघट में चेहरा छिपा लेती थी। एक बारगी से घूँघट उठाने की हिम्मत अभी उसमे नहीं आई थी। फिर गीता से मुलाकात वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में हुई। वह ग्रामीण ट्रेड यूनियन संगठन कर्ताओं हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम में आयी थी। कुछ बदलाव दिखाई पड़ा। हमें देखकर एकदम गले मिली।बहुत खुश थी वो।

चेहरे पर आशा की चमक थी, किन्तु झिझक थोड़ी थोड़ी बाकी थी। एक ध्यान देने की बात यह थी कि गीता के नेतृत्व में कुछ और महिलाएं मध्यप्रदेश से आयीं थीं। कार्यक्रम के दौरान गीता अपनी अन्य साथियों को संचार हेतु उत्साहित करती थी। वह स्वयं भी प्रशिक्षकों से प्रश्न पूछने लगी। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कार्यक्रम की समाप्ति तक उसमें बहुत बदलाव आया। इस तरह से एक दो प्रोग्राम में भाग लेने से उसका दृष्टिकोण

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

बदल गया। सिमटी सी शरमाई गीता का नूतन जन्म हुआ। अपने क्षेत्र में जाकर गीता ने महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। वह महिला बीड़ी श्रमिकों का पहचान पत्र भी बनवाने लगी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। वह महिलाओं को उनके कर्तव्यो एवं अधिकारों की जानकारी देने लगी। विभिन्न विभागों में जाकर महिलाओं के प्रति हुए अत्याचार, अन्याय अथवा अधिकारों का हनन होने पर शिकायत करने लगी। अब सरकारी दफ्तरों में उसका नाम एवं चेहरा जाना पहचाना होगा।

धीरे धीरे गीता का संगठन बढ़ने लगा। अन्य गाँव की महिलाएं भी उस संगठन से जुडने लगीं। सामूहिक प्रयत्नो से महिलाएं अपने अधिकारो को पाने लगी हैं। अब गीता के संगठन में 4100 महिला सदस्य हैं। इस संगठन का नाम है "सखी सहेली तेजस्वनी महिला महासंघ"। गीता इस संगठन की अध्यक्ष है, 36 गाँवों में इसका प्रभाव एवं विस्तार है। गीता की अध्यक्षता में यह संगठन आर्थिक स्वावलंबन की और बढ़ रहा है। इस संगठन ने बहुत से आर्थिक काम प्रारम्भ कर दिये हैं। जिनमें से कुछ अधोलिखित हैः

(1) सांची मिल्क पावर
(2) पशु आहार
(3) घरों की छत के लिए गार्डर, सरिया एवं बल्ली उपलब्ध कराना और
(4) सिलाई मशीन केंद्र आदि

इन सभी के अतिरिक्त जो महिलाएं शिक्षित हैं उन्हें गाँव पंचायत के सेक्रेटरी के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरणतः ऑडिट का काम, सड़क बनाना, आवास निर्माण वृक्षारोपण, बिल एवं वाउचर तैयार करना आदि। फेडरेशन बिल एवं मस्टर रोल का कार्य स्वयं अपनी देखरेख में करता है।

पशु आहार में फेडरेशन एक लाख से ऊपर की राशि खर्च कर चुका है। इसमे से 70000/– रुपये इनको वापिस प्राप्त हो गए हैं। फेडरेशन प्रत्येक गाँव में (36 ग्राम) एक महिला सदस्य को पशु आहार की जिम्मेदारी दे देता है। उस महिला का उतरदायित्व है की वह खर का विवरण आवश्यकता अनुसार करे तथा दाम भी एकत्रित करे। जो भी कमाई होती है उसमें से आधी उस महिला को दी जाती है तथा आधा धन फेडरेशन को मिलता है। सिलाई केंद्र खोलने के लिए फेडरेशन को 1.5 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। इस केंद्र में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा जो महिला सिलाई में दक्ष हैं उनको स्कूल यूनिफार्म बनाने का काम सौंपा जाएगा। जिससे संगठन की आमदनी भी बनी रहेगी। छत निर्माण करने के लिए संगठन को गार्डर,सरिया और बल्ली आदि सामान खरीदने के लिए 1 लाख 15 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को उन्नत कर रहा है। उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कुपोषण से मुक्ति मिली है। यह गीता के अथक प्रयास का परिणाम है । वह गीता जो घर के दरवाजे के पीछे छिप कर घूँघट की आड़ में धीमें धीमें बात करती थी आज वह आत्मविश्वास से भरपूर है उसने न केवल अपना उत्थान किया वरन अपने बलबूते पर 36 गाँव की महिलाओं को जागृत कर संगठित किया तथा उनको आर्थिक कार्यों से जोड़ दिया।

आज उसी गीता की आवाज 36 गाँवों में ही नहीं बल्कि टीकमगढ़, पन्ना, सतना आदि जिलों मे गूँजती है। जो स्त्री घर से निकलती नही थी, वह जगह जगह अपने संगठन के विभिन्न कार्यों के संदर्भ में एक जिले से दूसरे जिले में निर्भीक हो कर जाती है। सामाजिक सामर्थ के साथ साथ गीता ने अपनी एवं अपने संगठन के सदस्यों के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक ठोस कदम बढ़ाया है।

गीता आज आशा से भरी खुद की योग्यता में भरोसा रखने वाली, तथा अपनी महिला सदस्यों का साथ देने वाली, कैनी जैसे पिछड़े हुए गाँव की सबल महिला है। उसकी यह गौरव गाथा किसी के लिए उदाहरण बन सकती है। कभी हम उसे अपने शिविर प्रशिक्षण में लाने के लिए अथक प्रयास करते थे किन्तु आज वह स्वयं फोन करके पूछती है कि आपकी अगली ट्रेनिंग कब होगी, बहुत सी महिलाएं वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से प्रशिक्षण पाना चाहती हैं। गीता सदैव मानती है कि वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने ही उसे जागृत किया तथा उसमे विश्वास भरा।

यह उसकी महानता है। हमने सिर्फ मार्गदर्शन किया और उसने 36 गाँवों की महिलाओं को संगठित करके एक अद्वितीय कार्य किया है। इसके उसने अतिरिक्त छोट–छोटे उधोग गाँव में खुलवा कर अभूतपूर्व कार्य किया है। सखी सहेली तेजस्विनी महिला महासंघ को मैं सलाम करती हूँ तथा गीता के कमजोर व्यक्तित्व के सामर्थ्यवान बनने की कथा यहीं समाप्त करती हूँ।

नारी तू कमजोर नहीं
तुझमें भर चिंगारी है
एकबार खुद को पहचान
फिर कदमों में दुनिया सारी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का दौर

डॉ. शशि बाला *

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स) तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो मशीनें इस्तमाल करती हैं। कम्प्यूटर में 'होशियार एजेंट' एक ऐसा यंत्र है जो अपने आस–पास की क्रियाओं के अनुरूप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्प्यूटर की एक ऐसी शाखा है जो मशीनों को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ती है तथा मशीनें उसी के आधार पर अपना कार्य करती हैं।

1955 में जॉन मकार्ति ने इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास पिछले एक दशक में तेजी से हुआ हैं। अब इसका प्रभाव दैनिक जीवन पर भी देखा जा सकता है। यातायात, बैंकिंग, रिटेल, रेलवे तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों में इसका प्रभाव नजर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर तो धीरे–धीरे मशीनों पर ही निर्भर होता जा रहा है, चाहे पैसे निकालने हों या जमा करने हों, आप यह सब मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। रेलवे में जहाँ घंटों लाइन में लगकर रिजर्वेशन होता था, वह अब चन्द मिनटों में घर बैठे हो सकता है। वाहन निर्माण में कुछ ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो स्मार्ट कार बना रही हैं। आपको ड्राईवर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कारें खुद ही नेविगेशन के द्वारा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। लड़ाई के मैदान में भी धीरे–धीरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली यह मशीनें अपना स्थान बना रही हैं। आप ड्रोन को ही ले लीजिए, हाल के सभी युद्ध चाहे वह इराक युद्ध हो या फिर अफगानिस्तान का युद्ध, में इसका इस्तेमाल हुआ है। इनके इस्तेमाल से सैनिकों के जीवन को बचाया गया है। जापान रोबोट तैयार कर रहा है जिनका आकार बहुत छोटा है। वह मेडिकल के क्षेत्र में आने वाले समय में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यह अति सूक्ष्म रोबोट्स भूकंप अदि आपदा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। स्मार्ट मशीनों ने घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के कार्यों को आसान बनाया है। स्वचालित वाशिंग मशीनों, बर्तन धोने की मशीनों ने घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं की घरेलू कार्यों में सहायता की है। मशीनों के आने की वजह से पुरुषों ने भी घरों में काम करना शुरू कर दिया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बहुत से दुष्परिणाम भी हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव रोजगार पर पड़ रहा है। स्मार्ट मशीनें आने से तेजी से लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। विकसित देशों पर इनका प्रभाव कम है क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है और वहां वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या बढ़ रही हैं, उन्हें इस तरह की मशीनों की आवश्यकता है। इसके विपरीत विकासशील देशों में जनसंख्या बढ़ रही है या फिर स्थिर है, वहां पर इन मशीनों ने रोजगार पर असर डालना प्रारम्भ कर दिया है। भारत में ही देखिये, पिछले एक दशक से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। ऐसे में यदि स्मार्ट कार भी इस देश की सड़कों पर दौड़ेगी तो एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार हो जायेगा। सॉफ्टवेयर कंपनियों में भी ऑटोमेशन टेस्टिंग होने लगी है जिससे सॉफ्टवेयर कंपनियों में रोजगार धीरे–धीरे सिकुड़ने लगे हैं ।

मानव धीरे–धीरे अपने घरों और कार्यस्थल तक सीमित हो रहे हैं, इससे उनके मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। वह धीरे–धीरे असामाजिक हो रहे हैं। हमें कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होगा अन्यथा इसके प्रभाव बहुत भयानक होने वाले हैं। किसी ने सही कहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा परमाणु बम कृत्रिम बुद्धि ही है। हमें इसे मानवता के उत्थान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए न कि विनाश के लिए।

राजभाषा हिंदी

संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर 1949 को स्वीकार किया तथा इसी दिन संविधान का भाग 17, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंध हैं, इसी दिन पारित हुआ। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3 आदि) होगा।

* *फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

'न्यू इंडिया' की ओर बढ़ते कदम

राजेश कुमार कर्ण*

15 अगस्त 1947 को हमने लगभग 347 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत की नींव उखाड़कर आजादी हासिल की थी। उस समय हमें विरासत में एक अविकसित, गरीब, कम पढ़ा–लिखा भारत मिला। लेकिन इन 71 वर्षों में हमने बुनियादी संरचनाओं से लेकर रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनाज उत्पादन के मामले में काफी तरक्की की है। देश के लगभग हर क्षेत्र में बदलाव आया है। निरंतर श्रेष्ठ बदलावों, उन्नति, आर्थिक विकास तथा विभिन्न भाषा, संस्कृति एवं धर्म से जुड़ाव के कारण विश्व भर में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनायी है। अब भारत प्रगति करता राष्ट्र है एवं ऐसी स्वतंत्र ताकत बन गया है जिसे पूरे विश्व में गंभीरता से लिया जाने लगा है। देश अपनी पुरानी छवियों तथा धारणाओं को तोड़ते हुए 'न्यू इंडिया' में बदलता जा रहा है। अब बात सिर्फ इतिहास के गौरव गाथा की नहीं होगी बल्कि आगे बढ़कर भविष्य की गाथा लिखने की कोशिश हो रही है। देश ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2022 तक महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का सशक्त, समृद्ध, स्वच्छ और वैभवशाली भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, तथा भारत सरकार 2022 तक 'नए भारत' के लिए प्रतिबद्ध है। न्यू इंडिया बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन पर सरकार जोर दे रही है। नीति, नेतृत्व तथा नीयत किसी देश के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी होता है। अभी देश के पास समावेशी नीति, कुशल एवं करिश्माई नेतृत्व के साथ–साथ नीयत भी साफ है। इसलिए 2022 तक न्यू इंडिया की उम्मीद बंधती है।

तर्कसंगत नीतियों के बिना विकास के पथ पर सुगमतापूर्वक नहीं बढ़ा जा सकता। सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस का दौर खत्म किया एवं देश को विकास की मजबूत राह पर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मतानुसार बदलते वक्त में हमें रचनात्मक सोच और युवाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने वाला संस्थान बनाने की जरूरत है। उनके विजन के अनुसार योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था 'नीति आयोग' 1 जनवरी, 2015 से अस्तित्व में आ गई है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक (बौद्धिक संस्थान) के रूप में काम कर रहा है तथा केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभा रहा है। साथ ही, केन्द्र और राज्य सरकार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सलाह भी यह आयोग दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 17 जून 2018 को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 'न्यू इंडिया 2022' का अपना विजन पेश किया। इसमें किसानों की आय को दोगुना करना, भारत के हर नागरिक के पास अपना घर होना, देश के पिछड़े जिलों का विकास करना, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पोषण मिशन जैसी कई योजनाओं को साकार करना शामिल है। इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के विचार को सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों तथा सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहां जुटे लोगों की यह सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि 2022 (स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ) के भारत की विजन तैयार करे, जिससे देश सुगमता से इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बढ़ सके। भारत सरकार न सिर्फ जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का समाधान ढूंढ रही है बल्कि देश को आगे ले जाने के लिए आत्मविश्वास के साथ कई कल्याणकारी नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम लेकर आई हैं जो आम आदमी तक पहुंच भी रही हैं। ये योजनाएं एवं कार्यक्रम अभी अमल के अलग–अलग स्तरों पर हैं, लेकिन इनके जरिए देश में एक हलचल पैदा हो गई है। समावेशी विकास की बात, जो पहले उपेक्षित हो रही थी, उसको 'सबका साथ सबका विकास' और 'न्यू इंडिया 2022' को साथ–साथ इकट्ठा लाकर पूरा किया जा रहा है। यह सत्य है कि देश में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास साथ–साथ होते हैं, इसलिए आर्थिक सेक्टर के साथ–साथ सामाजिक सेक्टर की ओर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। इसका आम आदमी पर बहुत सकारात्मक असर हुआ है।

नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों में खौफ कायम हुआ है। 3 लाख शेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। नोटबंदी के उपरांत डिजिटल भुगतान के तंत्र को बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता आई है।

जीएसटी को पास कराकर सरकार ने एक राष्ट्र, एक टैक्स का सपना पूरा कर दिया है। यह भारत की सबसे

महात्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है। 29 राज्यों एवं सात केन्द्र शासित प्रदेशों की जटिल संरचना वाला देश होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है। जीएसटी लागू होने से पहले हमें 17 अलग–अलग तरह के टैक्स चुकाने पड़ते थे किंतु अब केवल एक ही तरह का टैक्स देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी के अनुसार जीएसटी लागू होना टीम इंडिया की भावना का प्रतीक है। जीएसटी से वस्तुओं एवं सेवाओं का राष्ट्रव्यापी बाजार बन गया है। कर आधार बढ़ने से सरकार का राजस्व बढ़ गया है जिससे कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति के लिए पैसों की कमी नहीं रहेगी और देश का अपेक्षित विकास होगा। माल के बेरोकटोक आवाजाही पर नियंत्रण हटने, भंडारण लागत में कमी, कर चोरी में कमी, विनिर्मित वस्तुओं के अधिक प्रतिस्पर्धी होने के कारण वस्तुएं सस्ती हो रही हैं। महंगाई दर 2013 के 10% से घटकर 5% हो गई है। इससे आम आदमी को राहत है। महंगाई के कम होने से अर्थव्यवस्था के और मजबूत होने के आसार हैं। स्वाधीनता के बाद के 70 वर्षों में 65 लाख के मुकाबले मात्र एक साल में 50 लाख नए उद्यम पंजीकृत हुए हैं, इससे पता चलता है कि लोगों ने इस सुधार का तहेदिल से स्वागत किया है। जीएसटी से देश में ईमानदारी से व्यापार करने का कल्चर पैदा हुआ है।

केन्द्र सरकार ने कालेधन को बाहर निकालने के लिए 'बेयरर बॉण्ड स्कीम' तथा 'वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम' शुरू की। सरकार की मंशा यह थी कि जिनके पास कालाधन है, वे थोड़ा सा नुकसान उठाकर अपने कालेधन को सफेद धन बना लें, किंतु इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद सरकार ने नोटबंदी एवं जीएसटी के माध्यम से कालाधन पर प्रहार किया। अब कालेधन की वापसी को लेकर प्रक्रिया के तहत काम शुरु हो गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 में कालाधन पर प्रहार करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों की देश के भीतर और बाहर सभी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। पहले उधार लेना और भागना आसान था। यह कानून खासकर भगोड़ों को दबोचने के लिए बनाया गया है। इससे कालाधन बनना कम अवश्य होगा।

प्रधानमंत्री जी के अनुसार भ्रष्टाचार का दीमक देश के विकास को खोखला कर रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का स्टैंड लिया गया है। उन्होंने सवा सौ करोड़ देशवासियों से इसे मिलकर खत्म कर एक नए भारत के निर्माण की अपील की। सरकार ने सफलतापूर्वक कोयला एवं स्पेक्ट्रम आवंटन कराया जबकि इन्हीं आवंटनों में पिछली सरकार को लाखों करोड़ के घोटाले का आरोप झेलना पड़ा था। सरकार के चार साल हो गए हैं लेकिन अब तक किसी तरह का घोटाला सामने नहीं आया है। अर्थात प्रधानमंत्री जी ने देश को एक साफ–सुथरी सरकार दी है। ऊपर से जारी एक रुपया में लाभार्थी तक मात्र 15 पैसे पहुंचने की परंपरा अब खत्म हो चुकी है। भ्रष्टाचार उन्मूलन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पास करवाकर सरकार ने रिश्वत लेने के साथ–साथ रिश्वत देने को भी संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है जिससे रिश्वत के दोनों छोर पर प्रहार किया गया है। रिश्वत लेने वाले के साथ रिश्वत देने वाला भी समान रूप से जिम्मेदार है। अभी तक रिश्वत लेने वाले छोटे–बड़े कर्मचारी भले कार्रवाई के फंदे में फंस जाते थे लेकिन रिश्वत देने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता था क्योंकि रिश्वत देना खुद में कोई अपराध ही नहीं था। इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का भी प्रावधान है। साथ ही, भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए सभी प्रणालियों को तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाईश न्यूनतम हो।

भारत की विकास की यात्रा को डिजिटल रूप देने, डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाने तथा प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया अभियान 21 अगस्त, 2014 को शुरू किया गया था। सभी गांवों एवं कस्बों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई स्तरों पर प्रयास हुए हैं, चाहे वह गांवों में ई–पंचायत हो, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत सब्सिडी का वितरण हो या फिर नोटबंदी के बाद लेनदेन के डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भीम और भारत क्यूआर ऐप लॉन्च करने जैसे कदम हों, सरकार ने इस योजना को लागू करने के प्रति अपनी दृढ़ इच्छा

जताई है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों एवं छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के साथ ही 1.7 लाख आई.टी. पेशेवर तैयार करना भी लक्ष्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की है जो कि देश के लोगों को सरकार से सीधे जुड़ने में मददगार हो। निश्चय ही, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सेवाओं का डिजिटलीकरण पारदर्शिता, जिम्मेदारी और शीघ्र बदलाव लाने में अहम है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारतीय किसानों को आई.टी. क्षेत्र से लाभ मिलना चाहिए। वे मानते हैं कि अब भारत में सरकारी कर्मचारियों के तकनीकी रूप से उन्नयन की आवश्यकता है। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों को आई.टी. एवं इंटरनेट को अधिकाधिक इस्तेमाल करने के दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि पारदर्शी प्रशासन का लाभ आम आदमी तक पहुँचे। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व जानने वाले मोदीजी ने कहा था– ''21वीं सदी में जहां से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ानेवाली ओप्टिक फाइबर केबल गुजरेगी, वहीं पर नगर बनाए जाएंगे।'' आई.टी. क्रांति से 100% अधिक रोजगार उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेट/वेबसाईट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसका असर दिखने लगा है। नई दूरसंचार नीति के तहत सरकार इस सेक्टर की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास यह है कि कम से कम 50 प्रतिशत घरों में फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाए और हर ग्राम पंचायत को 2020 तक एक जीबीपीएस कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 जीबीपीएस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। संचार क्रांति ने देश के दूर–दराज लोगों को भी मुख्यधारा का हिस्सा बना दिया है।

अब गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटने का काम तेजी से किया जा रहा है। बैंक में खाता होना, बीमा होना, एटीएम, पेटीएम का होना पहले गरीबों के लिए सपना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए दशकों बीत चुके थे लेकिन वित्तीय समावेशन करोड़ों लोगों के लिए छलावा ही रहा। किंतु अब स्थिति बदल रही है। देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में प्रधानमंत्री जी ने 28 अक्तूबर 2014 को 'जन धन योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत देश के सभी परिवारों को बैंक खाते से जोड़ना है। यह योजना अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 31 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जो नकदरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने तथा वित्तीय अस्पृश्यता समाप्त करने का स्वप्न साकार करने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में इतने खाते खुले हैं, जितने 1947 में स्वतंत्रता के बाद से अगस्त 2014 तक नहीं खुल सके थे। बैंक में खाता खुलने से करोड़ों लोगों का जीवन इन खातों में की गई बचत के साथ–साथ बीमा, ओवर ड्राफ्ट, संस्थागत ऋण आदि फीचर्स के कारण स्थिर हो सकेगा। इसके बाद जनधन–आधार–मोबाईल नं. (JAM) को आपस में लिंक किया गया। डिजिटल इंडिया के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से बिना किसी देरी अथवा बिचौलिये के, बिना किसी लीकेज और विचलन के कोई भी सब्सिडी अथवा लाभ सभी योजनाओं के वास्तविक लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है और इससे सरकार को अब तक 90 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह एक उपलब्धि है। इससे गरीबों के जीवन में अच्छा बदलाव आया है।

जीवन में एक बात निश्चित है और वह है जीवन की अनिश्चितता। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। संकट अमीर और गरीब का भेद नहीं करता है और कभी भी आ सकता है। ऐसे में हम सभी को बीमा के प्रति जागरूक होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जन सुरक्षा के तहत शुरू की गई योजनाएं अलग–अलग परिस्थितियों के लिए हैं। साथ ही यह काफी कम प्रीमियम पर शुरू की गईं ताकि देश में हर क्षेत्र, हर तबके, हर आयु वर्ग से जुड़े लोग इनका लाभ उठा सकें। 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अंतर्गत जनता के भविष्य के मद्देनजर मात्र 12 रुपए वार्षिक पर दुर्घटना बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के तहत दुर्घटना से आकस्मिक निधन और स्थायी विकलांगता के लिए दो लाख और आंशिक अक्षमता के लिए एक लाख रुपए का जीवन कवरेज प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मात्र 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपए बीमा राशि मिलने का प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 9 मई, 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरूआत की जो एक गारंटीयुक्त पेंशन स्कीम है। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को लॉन्च किया जो उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है। इस आकर्षक योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटीशुदा रिटर्न मिलेगी। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ 50 करोड़ लोगों तक

पहुंच चुका है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार की जन सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के साथ नमो एप से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 'वर्ष 2014 में जब वह सरकार में आए तब देश की जनता सामाजिक सुरक्षा से वंचित थी। लेकिन उनकी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों को संकट से जूझने और जीतने की हिम्मत मिली है।'

बीमारी होने पर गरीबों को सबसे बड़ी समस्या दवाइयाँ होती हैं। उनके लिए मुफ्त और सस्ती दवाई/इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों में रोग–प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 'इंद्रधनुष' योजना शुरू की गई है। इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, इन सात रंगों से ही अवधारणा लिया गया है। इसमें वर्ष 2020 तक बच्चों को सात गंभीर बीमारियों– डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपटाइटिस बी से बचाव एवं उन्मूलन के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। 'जन औषधि योजना' के अंतर्गत आम जनता को कम कीमत पर अच्छी दवाई उपलब्ध कराने की पहल की गई है। अभी तक 869 जरूरी दवाओं की कीमत घटाई गई है। हृदय की धमनियों में लगने वाले स्टेंट एवं घुटना प्रत्यारोपण के खर्च में 60–70% की उल्लेखनीय कमी की गई है। 'आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलेगा। ये कैशलेस सुविधा होगी। यह आंकड़ा देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की सूरत बदलने वाला है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए लोक–कल्याणकारी राज्य के दायित्व को निभाते हुए गरीबों को सहूलियत देने की यह योजना स्वागतयोग्य है। निसंदेह यह एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो यदि जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हुई, तो बीमार गरीबों को बेबसी और लाचारी से काफी हद तक छुटकारा दिला देगी।

पिछले चार वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की आर्थिक प्रगति को मजबूती दी है। भारत विश्व की जीडीपी का मात्र 3% हिस्सा है किंतु वह विश्व की आर्थिक प्रगति में 7 गुणा ज्यादा योगदान कर रहा है। जितने भी सूक्ष्म आर्थिक मापदंड हैं– महंगाई, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, जीडीपी विकास दर, ब्याज दर, एफडीआई अन्तर्वाह आदि, भारत आज सभी में अच्छा काम कर रहा है। यही वजह है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग में सुधार कर रही हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 साल बाद भारत की रेटिंग को बीएएए3 से बढ़ाकर बीएएए2 कर दिया है। देश में व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए माहौल तैयार किया गया। इस सिलसिले में कई कानूनों में सुधार किए गए तो कम से कम 1200 कानून खत्म किए गए। आर्थिक विवादों की तेजी से निपटारे की कोशिश की गई एवं श्रम कानूनों में भी सुधार की शुरूआत की गई। सरकार एक इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी लाई है जो मौजूदा निवेश एवं कारोबार को आसान बना रहा है। अब उद्योगपतियों के लिए निवेशकों, बैंकों का पैसा लेकर भागना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में अब छोटा–मोटा निवेशक भी पूरी कंपनी को दिवालिया घोषित करवाने के लिए सक्षम हो गया है। सरकार ने प्रतिभूति एवं ऋण वसूली (संशोधन) कानून को अधिसूचित कर दिया है। इस कानून के तहत कर्ज लेते समय गारंटी में रखी गई संपत्ति या प्रतिभूति को बैंक या वित्तीय संस्थान कर्ज नहीं लौटाने की स्थिति में जब्त कर सकेंगे। इससे बैंकों/वित्तीय संस्थानों का फंसा कर्ज घटेगा और उन्हें और निवेशक दोनों को फायदा हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया है जिसमें चेक बाउंस होने पर चेक जारीकर्ता को दो साल जेल एवं 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 20% का अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान है। सरकार के इन कोशिशों का ही नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग लगातार सुधर रही है।

भारत ने वर्ल्ड बैंक की 190 देशों की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में 100वाँ स्थान पाकर तेजी से उन्नति की है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने 30 पायदान की छलांग लगाई है। आज बिजनेस शुरू करना पहले किसी भी समय के मुकाबले कहीं आसान है। अनावश्यक स्वीकृतियों को खत्म कर दिया गया है और कई मंजूरियां ऑनलाइन पाई जा सकती हैं। अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी पूँजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। सरकार ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में भारत के एफडीआई नियमों को उदार बनाया है। रक्षा, रेलवे और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है। भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को देखते हुए महाशक्तियां भारत की ओर खूब आकर्षित हो रही हैं एवं विदेशी निवेश के मामले में भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। शेयर बाजार में आया 'ऐतिहासिक उछाल उन अच्छी खबरों का नतीजा है, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था ने भी काफी बड़ी उम्मीदें बांधी है।

देश के इतिहास में पहली बार केन्द्र सरकार के चार साल में ही उसके अथक एवं अनवरत प्रयासों से आज

वैश्विक उथल–पुथल के दौर में भी 8.2% की विकास दर के साथ देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही है तथा यह रफ्तार अभी और बढ़ेगी। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। विकास दर में यही वृद्धि यदि जारी रही तो हम विश्व बैंक की मौजूदा लोअर मिडल इनकम वाले देश की श्रेणी से अपग्रेड होकर 2019 तक अपर मिडिल इनकम वाले देश की श्रेणी में आ जाएंगे और उसके 10–15 सालों बाद विकसित देश बन जाएंगे। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 2013–14 में 80,388 रुपए से बढ़कर 2017–18 में 1,11,782 रुपए हो गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (178 लाख करोड़ रुपए की) बन गया है। भारत जल्द ही ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा जो अभी पांचवें स्थान पर है। 21वीं सदी को भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय औद्योगिक विकास के रूप में देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने तथा भारत को वैश्विक विनिर्माण केन्द्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 25 सितम्बर 2014 को किया। देश में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इससे बेरोजगार युवाओं एवं औद्योगिक क्षेत्र में आशा की एक नई किरण जगी है। जिन कंपनियों ने विभिन्न कारणों से अपनी निवेश योजनाओं को स्थगित कर रखा था, उन्होंने भी अब अपनी इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की घोषणाएं कर रही हैं। मेक इन इंडिया आरंभ होने के बाद से विदेशी निवेश लगभग 46 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है एवं अगले दस वर्षों में रोजगार के नौ करोड़ अतिरिक्त अवसर इससे पैदा हो सकते हैं। इस अभियान की मंशा यह है कि दुनिया के बड़े उद्योग भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां लगाएं, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाए बिना लगातार ऊंची विकास दर हासिल नहीं की जा सकती। उद्योगों के विकास से ही बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं एवं राजस्व में वृद्धि हो सकती है। इससे बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा के ऊपर आ सकती है या जीवन–स्तर बढ़ा सकती है। इस अभियान के और अधिक सफल होने की संभावना इसलिए है क्योंकि भारतीयों की क्रयशक्ति लगातार बढ़ रही है। क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। बेशक इस अभियान को सफल बनाकर हम भारत को महाशाक्ति एवं विकसित देश बनाने का सपना साकार कर सकते हैं।

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

भारत सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत बीमार उद्योगों को उबारने के लिए इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लीनिक बनाने, कई सेक्टर को राहत पैकेज देने ताकि वह खुद का विकास कर सके तथा लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू कर कारखाने या मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट खोलने वालों को आसानी से जमीन मिल सके, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। सरकार का पूरा फोकस पूरी तरह मैन्यूफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और छोटे उद्योगों पर है। इनको आगे बढ़ाने से यहां पर नौकरियों के लाखों अवसर पैदा होंगे। 'श्रमेव जयते' पहल के अंतर्गत श्रम सुधारों और श्रम की गरिमा से लघु और मध्यम उद्योगों में लगे अनेक श्रमिकों का सशक्तीकरण हुआ है और देश के कुशल युवाओं को भी प्रेरणा मिली है। केन्द्र सरकार ने सैनिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को स्वीकार करते हुए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। इससे सैनिकों के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है।

देश के युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखारकर उन्हें कार्य कुशलता के आधार पर रोजगार देने के उद्देश्य से 'स्किल इंडिया' की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री जी के अनुसार, 'अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दे कर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध करवाने की क्षमता होगी।' इसके तहत लाखों युवाओं को स्किल्ड बनाकर रोजगार दिया जा रहा है। वर्तमान समय में विशाल कार्यबल होने के बावजूद एक तरफ हमारा उद्योग जगत जहां प्रशिक्षित श्रमिकों के अभाव से जूझ रहा है वहीं दूसरी तरफ हमारे यहां बेरोजगारों की फौज भी है। इसलिए सरकार ने 'कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय' नाम से एक नया मंत्रालय बना दिया है। कौशल विकास के लिए एक पृथक मंत्रालय बन जाने से भिन्न–भिन्न मंत्रालयों के बैनर तले चल रहे कार्यक्रम अब एक मंत्रालय के अंतर्गत आ गए हैं जिससे समन्वय एवं संयोजन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिल गई है। कौशल विकास के साथ युवाओं की नौकरी पाने की आशा और बलवती हो गई है। कौशल विकास के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह अपेक्षा की जा सकती है कि कौशल विकास का यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य बिंदु को अवश्य प्राप्त करेगा और इसके माध्यम से श्रेष्ठ व सशक्त भारत के निर्माण का सपना साकार होगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हमारे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल करोड़ों लोगों को

रोजगार देते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन अब तक इनका एक छोटा सा भाग ही संस्थागत वित्त प्राप्त कर पाता था, बाकी अधिकांश कंपनियां साहूकारों से बहुत अधिक ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर होती थी। प्रधानमंत्री जी ने छोटे उद्यमियों को सस्ती एवं गैरेंटर मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुद्रा योजना' की पहल की है। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार शुरु करने के लिए कम ब्याज दर पर पचास हजार से दस लाख रुपए तक का लोन दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 13.5 करोड़ लोगों को लगभग सात लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। छोटे–मोटे कारोबार में लगे स्वरोजगार प्राप्त असंगठित क्षेत्र के लोग इससे विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।

'स्टार्ट अप इंडिया' के अंतर्गत छोटे–बड़े उद्योग शुरु करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार की व्यापक पहल के चलते स्टार्टअप की ओर निवेशक तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। 'स्टैंड अप इंडिया' योजना में छोटा–मोटा रोजगार तलाशने वाले लोगों को अपना उद्यम देने का सपना है। यानी वे नौकर की जगह मालिक बनेंगे। एक तरह से यह मुद्रा योजना का अगला चरण है जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण देकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चूंकि बैंको का रवैया आम आदमी, गरीबों के प्रति उपेक्षा भरा होता है इसलिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक वेब पोर्टल आरंभ किया ताकि वह नजर रख सके कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को ऋण मिला या नहीं। एक मोटे असामी को मोटा कर्ज देने की जगह उतनी रकम में भारी संख्या में छोटे असामियों को ऋण देने का लाभ निचले तबके तक सीधे पहुंच रहा है। यह नजरिया भारतीय समाज की रचना के अनुकूल है। इससे दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं की दुनिया का आर्थिक समीकरण बदल रहा है। इस योजना के तहत ऋण सुविधा, मार्गदर्शन और अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (जिसमें पहले केवल 22 तरह के अपराध शामिल थे) को मजबूत करने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन करके इसमें 123 तरह के अपराध शामिल किया है। इनसे दलितों के उत्पीड़न पर लगाम लग सकता है।

सरकार अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है और इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय का हर बच्चा शिक्षित हो, हर नौजवान प्रशिक्षित हो, हुनर रोजगार से जुड़े और हर महिला सशक्त बने, स्वाभिमान से जिए। 'नई मंजिल' योजना ऐसे युवा लड़के–लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो किसी वजह से अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। यह योजना उन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी 10वीं. और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने का और साथ ही कौशल प्रशिक्षण हासिल करके रोजगार पाने का मौका देती है। 'नया सवेरा' और 'नई उड़ान' जैसी योजनाओं ने युवाओं को सशक्त बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी भागीदारी और सफलता सुनिश्चित करने का काम कर रही है। मुस्लिम युवाओं को हाथ का हुनर विरासत में मिला है। इसे तराशने और संवारने के लिए 'उस्ताद' योजना 2015 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण और कुशल–अकुशल दस्तकारों, शिल्पकारों को बड़ी कंपनियों और बाजारों से प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। देशभर में लगने वाले 'हुनर हाट' भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। साथ ही मुद्रा योजना से भी उन्हें पर्याप्त लोन मिल रहा है।

मुस्लिम महिलाओं के हक में तीन तलाक की समाप्ति के लिए सरकार दृढ प्रतिज्ञ है। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, सरकार इसे राज्यसभा से भी पारित कराने के लिए प्रयासरत है। सरकार हज सब्सिडी खत्म करके उससे बची 700 करोड़ रुपए की राशि को मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई पर लगा रही है। 'नई रोशनी' योजना के जरिए हुनरमंद महिलाओं को प्रशिक्षण देकर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास से लबरेज ये महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे समुदाय और समाज का भविष्य बदलने को तैयार हो रही है। इससे जाहिर होता है कि सरकार अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है।

2 अक्तूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य और लक्ष्य वर्ष 2019 तक भारत को साफ–सुथरा बनाना है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे पहली जरूरत है। इसी पर बल देते हुए प्रधानमंत्री जी ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को काफी सक्रिय किया जिसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, जबकि वर्ष 1947 में आजादी से वर्ष 2014 तक के दौरान 6.5 करोड़ शौचालय ही बने थे, अर्थात दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्रीजी ने हर मंच से लोगों का आह्वान किया कि लोग देश को साफ–सुथरा बनाने के लिए आगे आएं और लोग आए भी। अब तक 435150 गांव एवं 550 शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। देश में स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के 39% से बढ़कर आज लगभग 89% हो गई है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3 लाख बच्चे मृत्यु के खतरे से बच सके हैं। यह बढ़ोतरी भी दोगुना से ज्यादा है। इससे काम के स्केल और रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मिशन की व्यापकता एवं प्रभाव ऐतिहासिक है। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ रही है एवं पर्यटन में आशातीत विकास हो रहा है।

भारत सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों के समग्र विकास के लिए 11 अक्तूबर, 2014 को 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य गांव और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने, और लोग उनका अनुकरण कर उन बदलावों को स्वयं भी लागू करें। इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक गांवों को विकसित किए जाने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था– ''सांसद गांवों को तीर्थ की तरह बनाएं, विधायक भी आदर्श गांव बनाएं। ऐसा माहौल बनाया जाए, जिससे गांव वाले अपने गांव पर गर्व करें।'' इस योजना के तहत दोनों सदनों के सांसदों को वर्ष 2019 तक तीन गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढ़ांचा विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

पिछले कुछ वर्षों में गांव में सड़क बनाने का काम काफी तेजी से बढ़ा है। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत वर्ष 2013–14 में जहां 25316 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई थी, 2017–18 में यह आंकड़ा बढ़कर 48652 किलोमीटर हो गई है। इस योजना का लक्ष्य सभी गांवों को सड़क से जोड़ना है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। 'प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना' के तहत सरकार का मकसद 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 50% कमी करना है। इसके लिए सरकार सड़कों की उचित मरम्मत एवं देखभाल, सुरक्षा नियमों के क्रियान्वयन के साथ–साथ लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दे रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाना सरकार के एजेंडे में है। 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था में सुधार हो रहा है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, गृह उद्योगों में व्यापार बढ़ेगा जिससे रोजगार में वृद्धि होगी। बिजली की 24x7 आपूर्ति की सुविधा से लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बैकिंग सहित सभी क्षेत्र की सेवाओं में सुधार आएगा एवं लोगों का जीवन–स्तर बेहतर होगा। 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान केन्द्र सरकार की नेक नियति को दर्शाता है।

अब इस पर आम सहमति है कि देश की कृषि संकट में है, किसान बदहाल होता जा रहा है। इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। कृषि मंत्रालय को अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का नाम दिया गया है। यह विजन में आए उस विशेष बदलाव को दर्शाता है जिसके तहत किसानों को सर्वोपरि रखा गया है। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना को शुरू किया गया, जो किसानों को सभी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। शहरी कचरे से बननेवाली खाद से शहर स्वच्छ होगा, प्रदूषण घटेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। यह मोदी सरकार की नई सोच, नई पहल है। उन्होंने सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर एवं तेलंगाना के रामागुन्डम फर्टिलाइजर प्लांट का पुनरुद्धार किया। इससे यूरिया उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ कृषि उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य महंगाई कम होगी। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता को बढ़ाने और उपयोग की मात्रा व इससे जुड़ी लागत को घटाने के लिए नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया है। इससे कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है और खेती की लागत घटी है। भारत सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत की तुलना में डेढ़ गुणा की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसका लाभ अंततः गरीब, मजदूर, किसान एवं फसल कारोबारियों को होना ही है।

किसान सिंचाई के लिए पानी के अभाव में खेती से दूर भागते हैं। देश की सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' लागू की गई है। सरकार विश्व बैंक की सहायता से 6000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश के सात राज्यों के उन इलाकों में सतत भूजल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां पर इसका सर्वाधिक दोहन हो रहा है। 'स्वायल हेल्थ कार्ड स्कीम' के तहत किसानों को मिट्टी की जांच के बाद जानकारी दी जाती है कि उनके खेत की मिट्टी को किन उर्वरकों की जरूरत है और उस मिट्टी में कौन से फसल की बेहतर पैदावार हो सकती है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित नया कानून लागू किया गया है जिसमें जमीन के मालिक और पट्टा लेने वालों, दोनों के हितों का ख्याल रखा गया है। साथ ही, बाजार सुधार लागू करने से बाजारों में पारदर्शिता बढ़ी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक ई–मार्केट (ई–नाम) स्कीम से देश भर की कृषि बाजारें एक साथ जुड़ गई हैं। देश के 585 कृषि उत्पाद समितियों के अलावा बाकी मंडियों के बीच खुले व्यापार पर ध्यान देकर राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की गई है। ग्रामीण कृषि बाजार स्थापित होने से किसान सीधे तौर पर उपभोक्ताओं या खुदरा विक्रेताओं को अपने उत्पाद सही मूल्य पर बेच पा रहे हैं।

किसानों की आय बढ़ाने के उपर्युक्त उपायों के अलावा बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। कृषि के अलावा पशुपालन, मछली पालन, डेयरी उत्पादों जैसे संबद्ध कार्यों में सहयोग के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मछली उत्पादन क्षेत्र ने कृषि के बाकी सभी क्षेत्रों से ज्यादा वृद्धि दर प्राप्त किया है। मछली उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं की सफलता से मछुआरों के जीवन में आशातीत सुधार हो रहे हैं। देसी नस्लों को विकसित एवं संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरूआत की गई है एवं इस मिशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे बहुत सारे लघु व सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर जो देसी नस्लें पालते हैं, सब लाभान्वित हो रहे हैं। देश में 161 देसी नस्लों का पंजीकरण किया गया है एवं इनके विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सक्रिय हो गई है।

ऐसे लघु किसान, जो परिवार के भरण–पोषण के लिए समुचित आय नहीं कमा सकते, उनके लिए सरकार की कृषि आधारित सहयोगी योजनाएं जिनमें मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी और बांस उत्पादन आदि शामिल हैं, को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं से किसानों को अतिरिक्त रोजगार मिल रहा है एवं उनकी आमदनी बढ़ रही है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं कुपोषण दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले चार वर्षों में ही फसलों की कुल 795 उन्नत किस्में विकसित की गई हैं जिनमें 495 किस्में जलवायु के विभिन्न दवाबों को सहने में समर्थ हैं। इसका लाभ किसान उठा रहे हैं। किसान परिवारों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहल करते हुए कुल 45 एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए गए हैं जिनसे मिट्टी की सेहत और जल उपयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही कृषि की जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। उम्मीद है कि केन्द्र सरकार की इन योजनाओं से 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी।

किसी भी देश के विकास का सीधा संबंध वहां की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। सरकार के अनवरत प्रयासों से महिलाएं देश को आगे बढ़ाने में बराबर की भागीदार हैं। प्रधानमंत्री जी का विचार 'महिलाओं के नेतृत्व में हो देश का विकास' को अमलीजामा पहनाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। आज देश के दो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय– रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय को महिलाएं ही कुशलतापूर्वक संभाल रही हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल में महिलाओं की बेहतर भागीदारी है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं ने उठाया है। वे अपने अधिकार हासिल करने के लिए आगे आ रही हैं। मुद्रा योजना इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि वह महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। मुद्रा योजना में अब तक के कुल 13.5 करोड़ लाभार्थियों में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। यह किसी मौन क्रांति से कम नहीं है। केन्द्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत वेतन सहित मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। पोषण अभियान के तहत प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए कुपोषण दूर करने का प्रयास विभिन्न मंत्रालय कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ को बेहतर पोषण के लिए 6000 रुपए की राशि दी जा रही है। मिशन इंद्रधनुष से टीकाकरण के जरिए गर्भवती महिलाओं एवं उनके बच्चों का बचाव विभिन्न बीमारियों से की जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की निश्चित 9वीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। यह

अभियान हमारे देश में होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभा रही है।

महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की शुरुआत की है, जो महिलाओं के हक में जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1 मई 2016 से बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। उज्ज्वला के तहत अब तक पाँच करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं और महत्वपूर्ण बात यह है इनका इस्तेमाल भी हो रहा है। तमाम बाधाओं के बावजूद दूरदराज के इलाकों में इतनी बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को इससे अनेक फायदे हो रहे हैं जिनमें कम खर्च, कम मेहनत, समय की बचत होने से स्वयं के लिए ज्यादा समय तथा बचे हुए समय को अधिक लाभकारी या अन्य महत्वपूर्ण कामों में इस्तेमाल एवं स्वास्थ्य लाभ आदि प्रमुख हैं। मोदी जी के एक आह्वान पर करोड़ों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी ताकि गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा सके। इससे सरकारी खजाने को लगभग 6000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक–आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री जी के अनुसार, ''हमारा मंत्र होना चाहिए 'बेटा बेटी एक समान', आइए कन्या

के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए।'' बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील, जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से सरकार कन्या शिशु के प्रति लोगों के नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं के सशक्तीकरण से सभी जगह प्रगति होगी, खास तौर से परिवार और समाज में लड़कियों के लिए मानव की नकारात्मक पूर्वाग्रह के सकारात्मक बदलाव में परिवर्तित करने के लिए यह योजना एक रास्ता है। संभव है इस योजना के सफल कार्यान्वयन से लड़कों एवं लड़कियों के प्रति भेदभाव खत्म हो जाए तथा कन्या भ्रूण हत्या का अंत करने में ये मुख्य कड़ी साबित हो। इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए देश के 161 जिलों में से 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार अन्य जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि के लिए जोर लगा रही है। बेशक यह मुहिम समूचे देश की गरिमा को बचाने एवं लड़कियों की घटती जन्म–दर को रोकने का अनूठा प्रयास है। अब हम कह सकते हैं कि बेटियों और महिलाओं को जो अशक्त बताने की प्रक्रिया सदियों से चल रही थी अब वह थमने के लिए तैयार है। इस योजना के साथ स्त्रियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामर्थ्य के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं। कन्या शिशु की आर्थिक सुरक्षा के लिए 'प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना' शुरू की गई।

2016 में नई महिला पॉलिसी की घोषणा की गई। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं की विभिन्न स्तरों पर और अलग क्षेत्रों में सहकारिता बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। परिणामतः महिलाएं राष्ट्र–जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। हमें देश–विदेश में गर्व होने का अवसर ज्यादातर वे ही दे रही हैं। किंतु दुर्भाग्यवश वे बलात्कार, यौन शोषण एवं हिंसा सहित तमाम अत्याचार का शिकार भी हो रही हैं। पूरे देश को रोजाना शर्मिंदगी से भर देने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की वीभत्स घटनाओं ने अब 'अनैतिकता की महामारी' का रूप ले लिया है। इससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने 'क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2018 संसद से पास करवाया है जिसमें बच्चियों के खिलाफ बलात्कार एवं यौन शोषण होने पर पहले से ज्यादा कठोर सजा और त्वरित व समयबद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया है। इसमें दुष्कर्मियों को शीघ्र सजा मिल पाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के साथ ही पुलिस की जांच और अदालती फैसले की भी समय–सीमा तय की गई है। बच्चों एवं महिलाओं की मानव तस्करी हमारे समाज की सच्चाई है। इसे खत्म करने के लिए पहली बार संसद में एक विधेयक 'ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबीलिटेशन) बिल 2018' सरकार लाई है एवं पास भी कराई है। ये दोनों कानून इन अपराधों को मिटाने में सहायक होंगे। उन्हें वह खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। प्राचीन इतिहास में स्त्री सम्मान के जीवंत साक्ष्य हैं। न्यू इंडिया का निर्माण उसी नींव पर होना चाहिए।

भारत में परिवहन परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और देश के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस काम में भारत माला परियोजना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक गतिविधि, धार्मिक और पर्यटक

हितों, सीमावर्ती क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों और व्यापार मार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सागर माला योजना देश के साढ़े सात हजार कि.मी. लंबे समुद्र तट पर बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना तथा बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए कुशल, सस्ती और त्वरित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गंगा नदी में परिवहन सेवा की शुरुआत वाराणसी से कोलकाता के बीच शुरु हो गई है। यह देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। आगामी वर्षों में देश की 111 नदियों में जलमार्ग बनाये जाएंगे, इससे परिवहन लागत कम होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 'नमामि गंगे योजना' के तहत नदियों को साफ करने का काम किया जा रहा है।

पेरिस समझौते के बाद दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें भारत को अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। ग्लोबल क्लाईमेट एक्शन फ्रॉम सिटीज द्वारा जारी रिपोर्ट में पेरिस समझौते के बाद विभिन्न शहरों, प्रांतों तथा संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्तर पर किए गए उपायों की जांच–पड़ताल के बाद कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में चीन की तुलना में लगभग दोगुना कमी लाने में सफल रहेगा। अपनी आबोहवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। जट्रोफा के बीज से बने तेल के जरिए विमान को उड़ाकर हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की कतार में लाने का सफल प्रयास किया है। इस जैव ईंधन के इस्तेमाल से न सिर्फ अरब देशों से तेल आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी, बल्कि हमारे किसानों के लिए आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे तथा विमान यात्रियों को सस्ती विमान सेवा का फायदा मिलेगा। इससे प्रदूषण मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है। जरूरत है कि इस ईंधन का इस्तेमाल सड़क व रेल परिवहन में भी हो।

सरकार ने नई एविएशन पॉलिसी घोषित कर छोटे–छोटे शहरों को भी कम खर्च पर हवाई यात्रा से जोड़ने की पहल की है। सरकार ने आम लोगों के लिए उड़ान योजना शुरू की है। इस योजना में कम पैसे, मात्र 2500 रुपए में एक घंटे की हवाई जहाज की यात्रा की सुविधा मिलेगी।

अपना घर होना प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है और लोगों की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सबको घर देने का वादा किया है। 25 जून 2015 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना' शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत में गरीब व्यक्ति को स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराना है। भारत सरकार वर्ष 2022 तक विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही, नए मकान के निर्माण या पुराने मकान के विस्तार के लिए शहरी निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से 6 लाख रुपए तक के होम लोन की राशि पर 6.5% ब्याज की सब्सिडी, 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% ब्याज की सब्सिडी तथा 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर 3% ब्याज की सब्सिडी केन्द्र सरकार 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत देती है। इसका लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं एवं अपनी क्रयशक्ति के अनुकूल घर खरीद रहे हैं। मोदी सरकार ने 1 मई 2016 से रियल एस्टेट (रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 लागू कर भवन खरीदारों को बिल्डरों के धोखे से बचाया तथा उन्हें कई अधिकार भी दिए, इससे हाउसिंग सेक्टर में पारदर्शिता आ रही है।

'स्मार्ट सिटी योजना' के अंतर्गत पूरे देश में 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है जिसमें प्रत्येक राज्य से कम से कम एक शहर शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य पांच वर्ष के अंदर चयनित 100 शहरों में ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं देना है कि ये बाकी के लिए मिसाल बन जाएं। इसलिए इसमें वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ 24 घंटे बिजली–पानी, सरकारी विभागों में सिंगल विंडो सिस्टम, स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम, अच्छे पर्यावरण और बेहतर सुरक्षा के साथ सुरुचिपूर्ण मनोरंजन का वादा है। प्रधानमंत्री जी का विजन बड़े शहरों के नजदीक स्थित छोटे शहरों और मौजूदा मझोले शहरों में आधुनिक सुविधाएं स्थापित कर उन्हें स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करने का है। देश में बड़ी संख्या में स्मार्ट सिटीज स्थापित करने से निसंदेह भारत को विकसित देशों की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और देश में नए सिरे से रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।

पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। आपसी समझ और विश्वास भारत की एकता की नींव है। भारत के सभी नागरिकों को भारत के सभी कोनों में सांस्कृतिक रूप से एकीकृत महसूस करना चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की विविधता के बारे में व्यापक रूप से प्रसार करने के लिए केन्द्र सरकार ने भाषा, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल के माध्यम से राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, केन्द्रीय मंत्रालयों, शैक्षिक संस्थानों एवं आम जनता के बीच भाषा के आदान–प्रदान, पर्यटन के जरिए समन्वय एवं पारस्परिक भागीदारी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना की पहल की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य

एक दूसरे की भाषा और सभ्यता का प्रचार करेंगे ताकि इनमें आपसी मतभेद को भूलकर एकता का भाव आ सके।

सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित किया है जिसमें सबको शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, सस्ती शिक्षा के साथ ही सामाजिक न्याय और शिक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है। 2022 तक न्यू इंडिया बनाने के लिए काफी शिक्षित और नवोन्मेषी समाज की जरूरत है। इसलिए सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का बीड़ा उठाया है। सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दे रही है। स्कूली अध्यापकों एवं छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई–लाइब्रेरी स्थापित की गई है।

भारत में खेलों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए पिछले वर्ष 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। इससे देश में सभी खेलों की स्थिति में सुधार हो रहा है। भारत सरकार की खुली मदद से खिलाड़ी तैयारी के लिए विश्व के श्रेष्ठतम कोचों के साथ कहीं भी ट्रेनिंग लेने में खुद को सक्षम पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया में संपन्न हुए 18वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 69 पदक जीते जो सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

चुनावों पर होने वाले खर्च को कम करने एवं सरकारी कामकाज की रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव साथ–साथ कराने के लिए प्रयास कर रही है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत काफी बेहतर स्थिति में है। हम अपना रॉकेट खुद बना रहे हैं। कम खर्च में सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने में भी हमें महारत हासिल है। 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने के इसरो के राष्ट्रीय मिशन 'गगनयान' यदि सफल हो जाती है, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो दुनियाभर में भारत का डंका बजेगा एवं देश के लिए भी संभावनाओं के नए द्वारा खोलेगी। प्रधानमंत्री जी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। मनरेगा के तहत होने वाले कामों में ही उन्होंने जिस तरह से 'जियो टैगिंग' को अनिवार्य बनाया है, वह इस योजना में पारदर्शिता लाने में काफी कारगर साबित हो रहा है।

देश की आम जनता की बात जानने और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे लोगों से विभिन्न योजनाओं से जुड़ने की अपील करते हैं। वे लोगों से फीडबैक भी लेते हैं एवं तदनुसार अपनी नीतियों एवं योजनाओं में सुधार भी करते हैं। आजाद भारत की राजनीति में वे अपनी तरह के अकेले संवाद पुरुष हैं।

विदेश नीति के मामले में भारत सरकार ने बहुत सक्रियता के साथ प्रयास किया है। सरकार की विदेश नीति का मुख्य बिंदु 'इंडिया फर्स्ट' है जिसमें भारत के सामरिक हितों की रक्षा करने एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने पड़ोसियों को अपनी विदेश नीति में विशेष महत्व दिया है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया और वे आये भी। इससे राजनयिक हलकों में यह स्पष्ट संदेश पहुंच गया कि वर्तमान सरकार के अधीन भारत अपने पड़ोसियों के करीब रहकर काम करना चाहता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रिक्स, सार्क, जी–20 शिखर सम्मेलन, सीओपी–21 शिखर सम्मेलन, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां अनेक प्रकार के वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भारत के कार्यक्रमों, विचारों की जबर्दस्त सराहना हुई एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी मजबूत हुई। ब्रिक्स, दक्षेस, बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत की सक्रियता के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के मोर्चे पर काफी प्रगति हुई है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल सहित कई बड़े देशों से आज भारत के बेहद घनिष्ठ संबंध हैं। इससे भारत की साख विश्व में बढ़ी है। भारत के विदेशों में अच्छे संबंधों एवं गुडविल का ही नतीजा है कि यमन और अन्य जगह फंसे भारतीयों सहित कई अन्य देशों के लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। इसके लिए मोदी जी का अनुरोध मानकर सऊदी अरब की सरकार ने तो हवाई अड्डे के आसपास बमबारी भी रोक दी थी ताकि वहां फंसे लोगों को निकाला जा सके।

सरकार ने बांग्लादेश से सीमा समझौता कर दशकों पुराने सीमा विवाद को खत्म किया जिससे दोनों देशों के बीच रेल, सड़क, बिजली, दूरसंचार जैसे सहयोग के अनगिनत क्षेत्र खुल गए। बंगाल की खाड़ी में दोनों देश का तालमेल चल रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

विदेश मामले में प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान की शह पर पठानकोट एवं उरी में हमले हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेपरदा कर दिया। पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो तब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा एवं रूस, जर्मनी सहित कई देशों ने आतंकवादियों के प्रति भारत के दृढ़ रूख का समर्थन किया। अब तो नवाज शरीफ भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की वजह से पूरी दुनिया में अलग–थलग पड़ा है।

भारत ने अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को एशिया प्रशांत की एक बड़ी ताकत बताकर भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो भारत को प्रमुखता देते हुए एशिया प्रशांत को हिंद प्रशांत का नाम दे दिया। इसके बाद अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया की रणनीतिक चौकरी बनाने की शुरूआत हुई जो एशिया प्रशांत और दक्षिण एशिया में भारत की ठोस नीति का असर था। इसके पहले चीन ने जब डोकलाम सीमा पर भूटान की जमीन का अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उसके बचाव में भारत ने अपने सैनिक उतार दिए और 72 दिनों के बाद चीन को उस जगह पर पहले की स्थिति कायम करने की घोषणा करनी पड़ी। डोकलाम पर भारत के दृढ़ रूख से भी पूरी दुनिया में भारत का मान–सम्मान बढ़ा। भारत ने चीन के वन बेल्ट वन रोड का बायकॉट करके एक बार फिर विवाद वाले मुद्दे पर दृढ़ता का परिचय दिया। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है और यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। भारत का इशारा चीन–पाकिस्तान कोरीडोर की तरफ था।

अमेरिका ने जब अप्रैल 2018 में रूस पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की तो कुछ लोगों को लगा कि भारत रूस से दूरी बना लेगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब नरेन्द्र मोदी जी को अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए आमंत्रित किया तो मोदी जी ने वहां जाकर भारत के पुराने मित्र रूस के साथ एकजुटता दिखाई। भारत ने रूस के साथ आर्थिक संबंध बेहतर बनाने के लिए नया रणनीतिक तंत्र बनाने की घोषणा भी की।

पश्चिम एशिया व खाड़ी देशों को लेकर भारत अपनी विदेश नीति को नई दिशा एवं गति दे रहा है। भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसकी महत्वपूर्ण धुरी चाबहार बंदरगाह है। अब बदलते दौर में इजरायल भारत का भरोसेमंद साझीदार बन गया है। कुछ तकनीकी क्षेत्रों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस से भी इजरायल आगे है। इसका हमें फायदा होगा।

न्यायमूर्ति भंडारी का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना जाना इसलिए भी एक बड़ी उपलब्धि रही कि इसके लिए ब्रिटेन ने अपना प्रत्याशी वापस लिया जो भारत सरकार की स्मार्ट और आक्रामक कूटनीति का नतीजा था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस शिखर बैठक में बहुपक्षीय वार्ता और डब्ल्यूटीओ में व्यापार वार्ता के दौरान विकासशील देशों के हितों की बात उठाने में भारत ने अगुआई की है। बार–बार नई और बड़ी वैश्विक भूमिका निभाने के लिए तत्पर होने का संकेत और संदेश देना वर्तमान सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघ में रखा तो इसे 175 देशों का समर्थन मिला। योग को लेकर इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिल गई। जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो लोग समझते हैं कि योग कहां से आया है। अर्थात भारत फिर से विश्व गुरू बनने की राह पर है।

सरकार प्रवासी भारतीयों के जुड़े मुद्दों को उच्च प्राथमिकता दे रही है प्रधानमंत्री जी ने विदेश में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को भावनात्मक स्तर पर जोड़ा है। वे जहां–जहां भी गए, वहां प्रवासी भारतीयों से मिले। इसने प्रवासी भारतीयों के मन में आत्मविश्वास पैदा किया एवं उस देश में उनके प्रति सम्मान भी बढ़ी। इसके नतीजे बहुत अच्छे निकले। हर देश में भारतीय जनता एक तरह से राजदूत बन गई। प्रवासी भारतीयों के लिए महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना चलाई गई है। इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्यवस्था है। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाना इतना आसान कभी न था जितना पिछले चार वर्षों में हुआ है। वीजा देने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। 165 से अधिक देशों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सुविधा दी गई और आवेदन के तीन दिनों के अंदर ही वीजा पर निर्णय दिए जाने लगे, इससे पर्यटन बढ़ा वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बेहतर होने लगे हैं।

यकीनन प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति का ही कमाल है कि एक बार फिर से भारत विश्व में 'चर्चाओं का केन्द्र' बनकर महाशक्ति के रूप में उभरने लगा है।

न्यू इंडिया की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। न्यू इंडिया बनने की राह में देश की तमाम समस्याएं, जैसे– गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध, नक्सलवाद, आतंकवाद, आवासहीनता, गंदगी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, असहिष्णुता, विदेशी घुसपैठ, मॉब लिंचिंग आदि बहुत से रोड़े हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए सकारात्मक दिशा एवं सोच के साथ काम करना होगा। इन सबकी मुख्य जननी जनसंख्या ही है। विशाल जनसंख्या के कारण उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के लिए चल रही योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं हो पातीं। हमें यह भी समझना होगा कि भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश अपने संसाधन दूसरे देश से अवैध रूप से आए लोगों को मुहैया कराने की स्थिति में नहीं है।

कड़ी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो न्यू इंडिया के मार्ग में आने वाली तमाम बाधाएं खुद–ब–खुद समाप्त होती चली जाएंगी। प्रधानमंत्री जी के अनुसार 'सरकार सबकी होती है, सबके लिए होती है और सभी को साथ लेकर चलने के लिए होती है। हमें जितना अवसर मिला है, उसे न्यू इंडिया बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।' अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि 'भारत का भविष्य उज्ज्वल है।' यह सच हो सकता है अगर मौजूदा गति से कार्य चलता रहा तो भारत भविष्य में विश्व के मानचित्र पर महाशक्ति बनकर उभरेगा।

किंतु भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोगों में दूसरे के अस्तित्व को मानने और सहने का सामान्य जनतांत्रिक भाव नहीं पनप सका। यहाँ हर आदमी अपने से कमजोर के प्रति दमनात्मक रूख रखता है। सिर्फ अमीर ही गरीब को नहीं, एक गरीब भी अपने से ज्यादा गरीब को, एक पिछड़ी जाति का आदमी अपने से ज्यादा पिछड़े को गाहे–बगाहे दबाता–सताता रहता है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर बैर और मनभेद मिटाने का प्रयास करें तो 'नए भारत' के मार्ग में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। भारत में हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोगों की कुछ मामलों में अपनी विशिष्ट पहचान है जो भारतीयता की स्थानीयता एवं अनेकता में एकता का आयाम है। उनकी जीवन स्थितियों ने भले ही उन्हें छोटे दायरे में बांध रखा हो, पर उनके दिल–दिमाग ग्लोबल हो चले हैं। यह अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस करनेवाला भारत नहीं है, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने को आतुर भारत है। इसी में वह चेतना भी आकार ले रही है, जिसके अजेंडे पर न सिर्फ समानता, जेंडर जस्टिस जैसी बाते हैं, बल्कि पर्यावरण की बेहतरी और पशुओं के प्रति दुर्व्यवहार रोकने जैसी चिंताएं भी हैं। ऐसे भारत की अगुवाई करने वाली राजनीति को भी विशाल हृदय और भविष्योन्मुख होना चाहिए। इसका नेतृत्व वही कर सकेगा, जिसकी निगाहें इसके सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने पर होंगी।

बुनियादी सुविधा वस्तुतः किसी भी देश के विकास का आधार होता है। परिवहन, संचार, शक्ति और ऊर्जा आदि बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर देना होगा। हम विकसित देशों से इस मामले में बहुत पीछे है। इसके अलावा हमें राजकोषीय घाटे में और कमी लानी होगी, देश में कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी, उत्पादकता बढ़ानी होगी तथा बचत में अपेक्षित वृद्धि लानी होगी, टैक्स चोरी रोकनी होगी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार को दूर करना होगा, आय की असमानता को कम करना होगा, कालेधन को वापस लाकर इसे उत्पादन कार्य में लगाना होगा जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके। आयात को घटाना एवं निर्यात को बढ़ाना होगा क्योंकि बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन में इसकी अहम भूमिका है। भारत की 65% आबादी युवा है। उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग तभी हो सकेगा जब वे अच्छा रोजगार पाएंगे।

किसी भी देश की तरक्की सीधे–सीधे उसके लोगों, उसकी आबादी की तरक्की से जुड़ी होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आंतरिक एवं विदेशी मामलों में 'सबका साथ सबका विकास', 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' एवं 'इंडिया फर्स्ट' के मूलमंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पद संभालने के बाद से ही वे चहुंमुखी और समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर हैं जहां हर भारतीय अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। वे 'अंत्योदय', अर्थात अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के सिद्धांत से प्रेरित हैं। वे लोगों की समस्याओं को दूर करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने नवीन विचारों, नीतियों, योजनाओं और विभिन्न पहल के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया है कि विकास की गति तेज हो और प्रत्येक नागरिक को विकास का लाभ मिले। सरकार की साहसिक घरेलू एवं विदेशी नीतियों के कारण देश में एक अच्छा माहौल बना है। भारत तरक्की की राह पर बढ़ चला है और अब उसके शिथिल पड़ने का सवाल ही नहीं है। हम सब तरक्की पसंद न्यू इंडिया को देखने को बेसब्र, बेचैन और व्याकुल हैं। आशा है कि हम सरकार, विपक्ष, प्रशासन, कंपनी जगत तथा नागरिकों के सम्मिलित प्रयासों से स्वतंत्रता सेनानियों के सपने का सशक्त, समृद्ध, स्वच्छ एवं विकसित भारत बनाने में सफल होंगे। भारत में क्षमताओं, सामर्थ्यों एवं संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

सुधा सिंधु

डॉ. संजय उपाधयाय*

- किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। – वेदव्यास
- हमारा मन कोई कूड़ेदान नहीं है जहां गुस्सा, ईर्ष्या व नफरत रखी जाए। – विवेकानंद
- चाल चलना और विश्वासघात करना मूर्खों के काम हैं। उनके पास यह समझने लायक दिमाग नहीं होता कि वे ईमानदारी से काम कैसे करें। – बेंजामिन फ्रैंकलिन
- जो जान गया कि उससे गलती हो गई है और वह उसे ठीक नहीं करता, तो वह एक और गलती करता है। – कन्फ्यूशियस
- साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। – अब्राहम लिंकन
- ईर्ष्या करने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ईर्ष्या है। दूसरे शत्रु उसका बुरा करने से बेशक रह जाएं, पर ईर्ष्या उसे हानि पहुंचा कर ही रहती है। – तिरुवल्लूवर
- सच को किसी सजावट की जरूरत नहीं होती, वह अनावृत्त होता है। – टॉमस ट्रांसट्रोमर
- जिंदगी में अपने बारे में अवश्य सोचें, अन्यथा आप संसार की सबसे रोचक कॉमेडी मिस कर सकते हैं। – चार्ली चैपलिन
- मात्र नसीब के ही सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में समय भी नहीं लगता। – चाणक्य
- जब वक्त कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो कायर व्यक्ति बहाना ढूंढते हैं, जबकि बहादुर और साहसी व्यक्ति उससे निकलने का रास्ता खोजते हैं। – सरदार बल्लभभाई पटेल
- कभी भी काम करना नहीं छोड़ो। कोई भी काम आपको जीने का एक मकसद देता है। बिना काम के जिंदगी खाली लगने लगती है। – स्टीफन विलियम हॉकिंग
- सबसे अधिक आनंद इस भावना में है कि हमने मानवता की प्रगति में कुछ योगदान दिया है। भले ही वह योगदान कितना ही कम क्यों न हो। – डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारी शारीरिक दशा होती है। यदि हम चाहें कि शारीरिक दशा विपरीत हो, तो ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। – ओरिसन स्वेट मार्डेन
- चापलूस इसीलिए आपकी चापलूसी करता है क्योंकि वह आपको अयोग्य समझता है, लेकिन आप उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फूल जाते हैं। – टॉल्सटॉय
- कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष तथा महिलाएं एक साल में ही उससे ज़्यादा काम कर देते हैं जितना काम एक साधारण भीड़ सौ सालों में भी नहीं कर पाती। – स्वामी विवेकानंद
- आप सारे फूलों को मसल सकते हैं, लेकिन वसंत को आने से नहीं रोक सकते। – पाब्लो नेरुदा
- जिस समय क्रोध पैदा होने वाला हो, उस समय उसके नतीजों पर विचार अवश्य करें। – कन्फ्यूशियस
- विचारों का अजीर्ण भोजन के अजीर्ण से कहीं बुरा है, क्योंकि भोजन के अजीर्ण की तो दवाई है पर विचारों का अजीर्ण आत्मा को भी खराब कर देता है। – महात्मा गाँधी
- यदि तुम अपनी आमदनी से कम में गुजारा कर सकते हो तो निश्चय जानो कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है। – बेंजामिन फ्रेंकलिन
- मनुष्य की सबसे बड़ी सफलताएं बातचीत और संवाद से हासिल हुई हैं और सबसे बड़ी विफलताएं बातचीत और संवाद के अभाव के कारण हुई हैं। अतः हम लोगों को हमेशा संवाद कायम रखने की जरूरत है। – स्टीफन विलियम हॉकिंग
- भारत की सेवा का अर्थ है करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञान को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। – जवाहरलाल नेहरू

* *फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा विभिन्न स्रोतों से संकलित*

- भविष्य उन लोगों का होता है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। – एलिनोर रूजवेल्ट
- प्रेम की शक्ति, दंड की शक्ति से हजार गुना अधिक प्रभावशाली और स्थायी होती है। – महात्मा गाँधी
- कल मैं चालाक था, इसीलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसीलिए अपने आप को बदल रहा हूँ। – संत रूमी
- गुस्से और ईर्ष्या के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि खुद गुस्सा और ईर्ष्या आपको सजा देंगे, इसलिए इन पर नियंत्रण रखें।– गौतम बुद्ध
- हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। – वाल्मीकि
- संसार में ऐसे अपराध कम ही हैं जिन्हें हम क्षमा करना चाहें और कर न सकें। – शरतचंद्र
- एक धूर्त और खराब दोस्त जंगली जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर आपके शरीर को जख्मी करेगा, जबकि खराब दोस्त दिमाग को जख्मी करेगा। – गौतम बुद्ध
- निरन्तर विकास जीवन का नियम है। जो व्यक्ति स्वयं को सही दिखाने के लिए अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। – महात्मा गाँधी
- जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं पा लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता दे, वह आपके किसी काम की नहीं। – डॉ. बी. आर. अंबेडकर
- कंजूस जैसा कोई दाता नहीं है। जीवनोपरांत वह अपनी सारी संपत्ति दूसरों को देकर चला जाता है। – ओशो
- हिंसा का सबसे कमजोर पक्ष यह है कि वह केवल हिंसा को बढ़ावा देती है – मार्टिन लूथर किंग
- जो सचमुच प्रेम करता है उस मनुष्य का हृदय धरती पर साक्षात स्वर्ग है। ईश्वर उस मनुष्य में बसता है क्योंकि ईश्वर प्रेम है। रॉबर्ट डि लेमेन्नाइस
- हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर बने रहने वाले बंदरों की एक उन्नत नस्ल हैं। लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, यह हमें कुछ खास बनाता है। – स्टीफन विलियम हॉकिंग
- जो नैतिकता में अनुचित है वह राजनीति में कभी उचित नहीं हो सकता। – डैनियल ओ' कोन्नेल
- बुराई के खिलाफ खामोश रहने, उसे अपने भीतर दफन करने से सतह पर तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम उसे प्रत्यारोपित कर देते हैं। आने वाले कल में वह अपने हजार फनों के साथ हमारे सामने होगी। – अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सिन
- यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। मगर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना भी नहीं सीख पाते। – सरदार पटेल
- जो दूसरों की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता वह अपनी स्वतंत्रता का नैतिक अधिकार भी खो देता है। – रवीन्द्रनाथ ठाकुर
- संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। – चाणक्य
- केवल कर्महीन ही ऐसे होते हैं जो भाग्य को कोसते हैं और जिनके पास शिकायतों का बाहुल्य होता है। – जवाहरलाल नेहरू
- मन और शरीर दोनों के उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य है – अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। – गौतम बुद्ध
- प्रकृति अपनी प्रगति और विकास में रूकना नहीं जानती, वह हर अकर्मण्यता पर अपने शाप की छाप लगाती जाती है। – गेटे
- शिक्षा का ध्येय मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं बल्कि उसका ध्येय मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करना है, भरना नहीं। – अल्फोंस डॉडेट
- असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। – बेवर्ली सिल्स
- मित्रता के पीछे कोई मकसद नहीं होना चाहिए, सिवाय आत्मिक गहनता के। अपना श्रेष्ठ तक अपने मित्र के लिए रखो – खलील जिब्रान

- बिना विचार के सीखना मेहनत बर्बाद करना है, बिना सीखे हुए विचार करना खतरनाक है। – कन्फ्यूशियस
- जो लोग आजादी भोग रहे हैं वे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो लोग स्वतंत्र नहीं हैं, उनके लिए स्वतंत्रता की आशा करना कितना सुखदायी है। – पर्ल एस. बक
- अपने आप को किसी एक पक्ष का निर्भीक पक्षधर घोषित करना उत्तम है। तटस्थता की अपेक्षा यह नीति सदैव अधिक लाभकर सिद्ध होगी। – मैकियावेली
- दुर्जन अगर एक गुट बना लें तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, वरना एक–एक करके उन सबकी बलि चढ़ जाएगी। – एडमंड बर्कले
- अपनी अज्ञानता का आभास हो जाना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। – डिजराइली
- आदर्श के दीपक को पीछे रखने वाले अपनी ही छाया के कारण अपने पथ को अंधकारमय बना लेते हैं। – रवीन्द्रनाथ ठाकुर
- दया चरित्र को सुंदर बनाती है। यह बढ़ती उम्र के साथ चेहरे को भी सुंदर बनाती है। – जेम्स एलन
- खून की नदियां बहाने के बजाय एक आँसू पोंछने में अधिक और सच्ची प्रसिद्धि है। – बायरन
- प्रभुता विनाश करने वाले प्लेग के समान है। वह जिसे स्पर्श करती है, उसी को नष्ट कर देती है। – पी. बी. शैली
- अर्ध रात्रि के पहले के एक घंटे की नींद उसके बाद के तीन घंटों की नींद के बराबर है। – जॉर्ज हर्बर्ट
- किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें मात्र उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए आईना। – चाणक्य
- जीवन में कोई चीज इतनी हानिकारक और खतरनाक नहीं है जितना कि स्थिति में रहना। – सुभाषचन्द्र बोस
- हमारी शंकाएँ विश्वासघाती हैं, ये हमें उन अच्छाइयों से वंचित रखती हैं जिन्हें हम प्रयत्न करके प्राप्त कर सकते हैं। – शेक्सपियर
- भोजन से पहले यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमाई बिल्कुल खरी है। – रस्किन
- दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। – प्रेमचंद्र
- हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर खुद पर जीत हासिल करना है। – गौतम बुद्ध
- किसी बात को इसलिए मत मानो कि दूसरों ने ऐसा कहा है या ऐसा किसी धर्म प्रचारक का उपदेश है। मानो उसी बात को जो कसौटी पर खरी उतरे। – गौतम बुद्ध
- मूर्खों की सफलताओं की अपेक्षा बुद्धिमानों की गलतियां अधिक मार्गदर्शक होती हैं। – विलियम ब्लेक
- अपने लक्ष्य को न भूलो, अन्यथा जो कुछ मिलेगा, उसी में संतोष करना पड़ेगा। – बर्नार्ड शॉ
- सच्चा पड़ोसी वह नहीं, जो तुम्हारे साथ मकान में रहता है, बल्कि वह है जो तुम्हारे विचारों के स्तर पर रहता है। – स्वामी रामतीर्थ
- कामयाबी और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाय एक शांत और विनम्र जीवन आपको अधिक खुशी देगा। – अल्बर्ट आइंस्टीन
- मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रभावशाली है, लेकिन भीड़ के बीच वह एक नेतृत्वहीन राक्षस बन जाता है। – चार्ली चैपलिन
- हमें उनसे दूर रहना चाहिए जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। केवल छोटी सोच वाले ही ऐसा करते हैं, जबकि महान लोगों को लगता है कि आप भी महान बन सकते हैं। – मार्क ट्वेन
- जब हम सलाह के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं तब हम अपने दुश्मनों की संख्या घटा लेते हैं। – खलील जिब्रान
- मनुष्य जितना छोटा होता है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। – वाल्टेयर
- अभिलाषा की प्यास कभी नहीं बुझती, न ही पूरी तरह संतुष्ट होती है। – सिसरो
- विश्व की सारी सेनाएँ मिलकर इतने लोगों और इतनी संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकती जितनी नशे की आदत। – मिल्टन
- यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा दे सकती है। – महात्मा गाँधी
- तरह–तरह के बुरे विचार हमारी शांति, सुख और विजय के जबर्दस्त शत्रु हैं। – ओरिसन स्वेट मार्डेन

- कायर बहुसंख्यक होने में प्रसन्न होते हैं जबकि बहादुर अकेले लड़ने में गौरव समझते हैं। – महात्मा गाँधी
- मुझे आप जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। – महात्मा गाँधी
- विजय हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन साहस और प्रयास से वह अक्सर मिल जाती है। मगर जो कायर हैं और नतीजों से डरते हैं उन्हें नसीब नहीं होती। – जवाहरलाल नेहरू
- बुद्धिमान आदमी इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है जबकि मूर्ख इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। – अरस्तू
- मैं उन सभी को शुक्रिया कहता हूं जो मुझे 'नहीं' कहते हैं। क्योंकि उनके मना करने की वजह से ही वह काम मैं खुद कर पाता हूं। – अल्बर्ट आइंस्टीन
- कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिये। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह और मस्तिष्क आदि क्यों देता? – विवेकानंद
- इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि हमारी परेशानियाँ भी। – चार्ली चैपलिन
- इस सनातन नियम को याद रखो, यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो। – सुभाषचन्द्र बोस
- तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम इससे मधुर स्वर झंकृत करो या बेसुरी आवाज निकालो। – खलील जिब्रान
- मूर्खों से प्रशंसा की रागिनी सुनने के बजाय बुद्धिमान की फटकार सुनना कहीं अच्छा है। – धार्मिक ग्रंथ, इंजील
- जिसने स्वयं गिरकर अपने को कीड़े के समान बना लिया, उसे यह अधिकार नहीं कि कुचले जाने पर मुख से शिकायत का बोल भी निकाले। – एमुअल कांट
- किसी के गुणों की प्रशंसा करने में अपना समय नष्ट मत करो, उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करो। – कार्ल मार्क्स
- जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, उसमें हम विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। – विवेकानंद
- प्रसन्नता को हम जितना लुटाएंगे, वह उतनी ही अधिक हमारे पास आएगी। – विक्टर ह्यूगो
- दुनिया में प्रसन्न रहने का एक ही उपाय है और वह यह कि अपनी जरूरतें कम करो। – महात्मा गाँधी
- प्रायः दूसरों के अनुभव से समझदारी सीखने की मनुष्य की इच्छा नहीं होती, उसे स्वतंत्र रूप से ठोकर चाहिए। – विनोबा भावे
- जन्म से महज कुछ ही लोग महान होते हैं, अधिकतर तो अपने सतत परिश्रम एवं त्यागशील जीवन से ही महानता प्राप्त करते हैं – शेक्सपियर
- जो मनुष्य निश्चित कार्यों को छोड़कर अनिश्चित के पीछे दौड़ता है, उसके अनिश्चित कार्य तो नष्ट होते ही हैं, निश्चित कार्य भी नष्ट हो जाते हैं । – चाणक्य
- जो तुम्हारे तेरे सामने औरों की निंदा करता है, वह औरों के सामने तुम्हारी भी निंदा करेगा। – शेख सादी
- किसी व्यक्ति को शक्ति की तभी जरूरत होती है जब वह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहे। अन्यथा हर काम को करने के लिए प्यार काफी है। – चार्ली चैपलिन
- अगर शिक्षक की निगरानी में रहने वाले व्यक्ति का पतन होता है या शिष्य किसी बात का दोषी है तो उसके लिए कुछ हद तक शिक्षक भी जरूर जिम्मेदार होता है। – महात्मा गाँधी
- स्वतंत्रता पर सही मायने में केवल उन्हीं लोगों का अधिकार होता है जिनके अंदर इसका बचाव करने का साहस हो। – पेरिक्लेस
- यदि हम हर वह काम कर दें जिसमें हम सक्षम हैं, तो सचमुच खुद को चकित कर देंगे। – थॉमस एडिसन
- परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, जीवन है और स्थिर होना मृत्यु। – जयशंकर प्रसाद
- हमेशा ही विश्वास (अंध–विश्वास, कुरीतियों) के खिलाफ लड़ना ज्ञान के खिलाफ लड़ने से अधिक कठिन होता है। – अडोल्फ हिटलर
- एक श्रेष्ठ व्यक्ति बोलने में पीछे लेकिन कर्म में आगे रहता है। – कन्फ्यूशियस
- स्वयं दीप जो बन गया, उसे मिला निर्वाण; इसी सूत्र को वरण कर बुद्ध बने भगवान। – गोपालदास नीरज

तंबाकू निषेध दिवस पर विशेषः धुएं से धुआँ धुआँ जिंदगी

हर वर्ष 31 मई को दुनिया भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और तंबाकू से दूर रहने की नसीहत दी जाती है क्योंकि तंबाकू बीमारियों की जड़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ने तंबाकू और धूम्रपान के अन्य उत्पादों से होने वाली बीमारियों और मौतों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए इस साल की थीम 'टोबैको ऐंड कार्डियोवस्क्युलर डिसीज यानी तंबाकू और हृदय रोग' रखा है। आँकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में हर साल 70 लाख लोग और भारत में हर दिन करीब 2739 लोग तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के कारण कैंसर व अन्य बीमारियों से दम तोड़ देते हैं।

तंबाकू से बढ़ता है हृदय रोग का खतरा

वॉयस ऑफ टोबैको विक्टिम्स (वीओटीबी) के पेट्रन व कैंसर सर्जन डॉ. टी.पी. साहू ने बताया कि 'दुनिया में कार्डियोवस्क्युलर से होने वाली मौत और अक्षमता की रोकथाम के लिए तंबाकू पर रोक सबसे जरूरी है। धूम्रपान से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। साथ ही तंबाकू का धुआँ रहित रूप भी समान रूप से हानिकारक है।

धुआँ रहित तंबाकू का सेवन धूम्रपान से अधिक

'ग्लोबल अडल्ट तंबाकू सर्वेक्षण'(जीएटीएस–2) 2016–17 के अनुसार, भारत में धुआँ रहित तंबाकू का सेवन धूम्रपान से कहीं अधिक है। वर्तमान में 42.4 फीसदी पुरुष, 14.2 फीसदी महिलाएं और सभी वयस्कों में 28.8 फीसदी धूम्रपान करते हैं या फिर धुआँ रहित तम्बाकू का उपयोग करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस समय 19 फीसदी पुरुष, 2 फीसदी महिलाएं और 10.7 फीसदी वयस्क धूम्रपान करते हैं, जबकि 29.6 फीसदी पुरुष, 12.8 फीसदी महिलाएं और 21.4 फीसदी वयस्क धुआँ रहित तंबाकू का उपयोग करते हैं।

तंबाकू सेवन से दिल के दौरे से मरने की आशंका अधिक

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई के प्रोफेसर डॉ. पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में शरीर के किसी भी हिस्से को हानिकारक प्रभाव से नहीं बचाता। यहां तक कि धुआँ रहित तंबाकू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी इसी तरह के दुष्प्रभाव का कारण बनता है। हमारे शरीर के अंगों को सीधे नुकसान पहुंचाने के अलावा, धुआं रहित तंबाकू का सेवन करने से दिल के दौरे से मरने की संभावना काफी बढ़ जाती है। डॉ पंकज ने बताया कि सभी कार्डियोवस्क्युलर (सीवी) रोगों में लगभग 10 फीसदी का कारण तंबाकू का उपयोग है।

धूम्रपान को खतरनाक मानते हैं 10 में से 7 लोग

गैर सरकारी संस्था फाउन्डेशन फॉर स्मोक फ्री वर्ल्ड द्वारा जारी आँकड़ों में खुलासा हुआ है कि देश में धूम्रपान करने वाले प्रत्येक 10 में से 7 लोग धूम्रपान को सेहत के लिए खतरा मानते हैं और 53 फीसदी लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिशों में नाकाम साबित हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि धूम्रपान करने वालों को ऐसे विकल्प और तरीके उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे लम्बा और सेहतमंद जीवन जी सकें। रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले भारत में 10.4 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू के सेवन से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फाउन्डेशन की रिपोर्ट के नतीजे...

- धूम्रपान करने वाले 68 फीसदी लोगों ने बताया कि वे धूम्रपान के बुरे प्रभावों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।
- धूम्रपान करने वाले 51 फीसदी लोगों ने बताया कि वे इसे छोड़ने की योजना बना रहे हैं।
- 41 फीसदी लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए किसी की मदद की जरूरत है।
- 25 फीसदी लोग धूम्रपान छोड़ने के लिए ई–सिगरेट या वेपिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं।

जिंदगी के 11 मिनट

कुछ लोग यह कहकर सिगरेट पीते हैं कि उन्हें इससे फ्रेश महसूस होता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 सिगरेट पीने से जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं। इसके अलावा 1 सिगरेट में 4 हजार ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कैंसर फैलता है। दुनिया में हर 6 सेकंड में 1 मौत तंबाकू सेवन के कारण होती है। तंबाकू में कई केमिकल होते हैं, जिनमें निकोटिन प्रमुख है। निकोटिन हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसे लेने से इंसान को फौरी तौर पर बेहतर और हल्का महसूस होता है लेकिन जल्दी ही इसकी लत लग जाती है।

पैसिव स्मोकिंग भी है खतरनाक

घर और सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट व बीड़ी का धुआं दूसरों को पिलाने यानी पैसिव स्मोकिंग के मामले भी

** विभिन्न स्रोतों से संकलित*

तेजी से बढ़ रहे हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रफेसर व सर्जन डॉ. पंकज चतुर्वेदी ने कहा, 'पैसिव स्मोकिंग से हृदय प्रभावित होता है और धूम्रपान नहीं करने वालों में भी धूम्रपान से संबंधित रोग होने का खतरा रहता है। कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र बनाने की नीतियों को प्रभावकारी तरीके से लागू करना कारगर उपाय होगा और इससे धूम्रपान नहीं करने वालों को बचाया जा सकता है।'

रेत पर नो टोबैको डे का संदेश

प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी नो टोबैको डे के मौके पर पुरी के समुद्र तट पर रेत से यह तस्वीर उकेर कर लोगों को तंबाकू के सेवन से बचने और अपने साथ–साथ अपने परिवार के सदस्यों की भी सेहत का ख्याल रखने की नसीहत दी। सुदर्शन ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश की कि सिगरेट और तंबाकू किस तरह इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाता है।

काव्य–मंजूषा (1)

कुसुम उपाध्याय*

आँसू

जब से मुसकान हो गया आँसू
एक इम्तिहान हो गया आँसू
टूट जाने की देखिए सीमा
जिस्म था जान हो गया आँसू

ख्वाब पलकों पर सजे
चुभन सीने में बढ़ी
फिर ये अबोध बालक सा
आज नादान हो गया आँसू

मुद्दतों बाद बचपन से मुलाकात हुई
हँसी होंठों पर खिली, मौन से बात हुई
अलविदा कहते–कहते फिर
ये मेहमाँ हो गया आँसू

ख्वाब जो रूठ गये
रिश्ते जो टूट गये
टूटे काँच की चुभन सा
आँखों में रह गया आँसू

माँ

निकलते ही सूरज की पहली किरण
सुनते ही चिड़ियों की चहचहाहट
फैल जाती हैं ये निगाहें चारों ओर
जाने कहाँ तक जाती हैं ढूँढ़ने तुम्हें
तुम कहाँ हो माँ ?

फिर ढलता है सूरज, नियति ही है उसकी ढलना
सब पंछी लौटते हैं अपने घरौंदों में
अपने बच्चों के पास
मगर तुम क्यों नहीं आती हमारे पास
तुम कहाँ हो माँ ?

दिन के उजालों से, रात के अंधेरों से
रोते–बिलखते पूछते हुए
खामोशियों और सन्नाटों से
क्या देखा है तुमने कहीं मेरी माँ को
आखिर तुम कहाँ हो माँ ?

यादों के समंदर में, डूबती–उतरती मेरी आत्मा
तुम्हारे क्षणिम सानिध्य को तड़फती है
कहाँ तलाशूँ वह गोद
जिसमें कुछ पल सो सकूँ
कहाँ तलाशूँ वो सीना
जिससे लिपटकर जीभर सो सकूँ
मैं थक गई हूँ तन्हा चलते–चलते
शाम हो चली है, मंजिल आँखों से ओझल है
तुम्हें कहाँ ढूँढूँ ? तुम कहाँ हो माँ ?

* *वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर, नौएडा*

चीफ की दावत

भीष्म साहनी

आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी।

शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए मुँह पर फैली हुई सुर्खी और पाउड़र को मले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूँकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ–जा रहे थे।

आखिर पाँच बजते–बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल, सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या होगा?

इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर शामनाथ, श्रीमती की ओर घूम कर अंग्रेजी में बोले – 'माँ का क्या होगा?'

श्रीमती काम करते–करते ठहर गईं, और थोडी देर तक सोचने के बाद बोलीं – 'इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात–भर बेशक वहीं रहें। कल आ जाएँ।'

शामनाथ सिगरेट मुँह में रखे, सिकुड़ी आँखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल–भर सोचते रहे, फिर सिर हिला कर बोले – 'नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना–जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएँ। मेहमान कहीं आठ बजे आएँगे इससे पहले ही अपने काम से निबट लें।'

सुझाव ठीक था। दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठीं – 'जो वह सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगीं, तो? साथ ही तो बरामदा है, जहाँ लोग खाना खाएँगे।'

'तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें। मैं बाहर से ताला लगा दूँगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जा कर सोएँ नहीं, बैठी रहें, और क्या?'

'और जो सो गईं, तो? डिनर का क्या मालूम कब तक चले। ग्यारह–ग्यारह बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो।'

शामनाथ कुछ खीज उठे, हाथ झटकते हुए बोले – 'अच्छी–भली यह भाई के पास जा रही थीं। तुमने यूँ ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टाँग अड़ा दी!'

'वाह! तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूँ? तुम जानो और वह जानें।'

मिस्टर शामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूँढ़ने का था। उन्होंने घूम कर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले – मैंने सोच लिया है, – और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुँह–सिर लपेटे, माला जप रही थीं। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुभीते से चल जाय।

माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना। मेहमान लोग साढ़े सात बजे आ जाएँगे।

माँ ने धीरे से मुँह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, 'आज मुझे खाना नहीं खाना है, बेटा, तुम जो जानते हो, मांस–मछली बने, तो मैं कुछ नहीं खाती।'

'जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निबट लेना।'

'अच्छा, बेटा।'

'और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएँ, तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना।'

माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगीं। फिर धीरे से बोलीं – 'अच्छा बेटा।'

'और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना। तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है।'

माँ लज्जित–सी आवाज में बोली – 'क्या करूँ, बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से साँस नहीं ले सकती।'

मिस्टर शामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़–बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला, तो? आठ–दस मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियाँ होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुँझलाने लगे। एक कुर्सी को उठा

कर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले – 'आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो।'

माँ माला सँभालतीं, पल्ला ठीक करती उठीं, और धीरे से कुर्सी पर आ कर बैठ गई।

'यूँ नहीं, माँ, टाँगें ऊपर चढ़ा कर नहीं बैठते। यह खाट नहीं हैं।'

माँ ने टाँगें नीचे उतार लीं।

'और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना। न ही वह खड़ाऊँ पहन कर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठा कर मैं बाहर फेंक दूँगा।'

माँ चुप रहीं।

'कपड़े कौन से पहनोगी, माँ?'

'जो है, वही पहनूँगी, बेटा! जो कहो, पहन लूँ।'

मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुँह में रखे, फिर अधखुली आँखों से माँ की ओर देखने लगे, और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूँटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएँ, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाएँ जाएँ, श्रीमती कौन–सी साड़ी पहनें, मेज किस साइज की हो... शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया, तो कहीं लज्जित नहीं होना पडे। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले – 'तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो, माँ। पहन के आओ तो, जरा देखूँ।'

माँ धीरे से उठीं और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गईं।

'यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा – कोई ढंग की बात हो, तो भी कोई कहे। अगर कहीं कोई उल्टी–सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा, तो सारा मजा जाता रहेगा।'

माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन कर बाहर निकलीं। छोटा–सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा–सा सूखा हुआ शरीर, धुँधली आँखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थीं।

'चलो, ठीक है। कोई चूड़ियाँ–वूड़ियाँ हों, तो वह भी पहन लो। कोई हर्ज नहीं।'

'चूड़ियाँ कहाँ से लाऊँ, बेटा? तुम तो जानते हो, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए।'

यह वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले – 'यह कौन–सा राग छेड़ दिया, माँ! सीधा कह दो, नहीं हैं जेवर, बस! इससे पढ़ाई–वढ़ाई का क्या ताल्लुक है! जो जेवर बिका, तो कुछ बन कर ही आया हूँ, निरा लँडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था, उससे दुगना ले लेना।'

'मेरी जीभ जल जाय, बेटा, तुमसे जेवर लूँगी? मेरे मुँह से यूँ ही निकल गया। जो होते, तो लाख बार पहनती!'

साढ़े पाँच बज चुके थे। अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा–धो कर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थीं। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए – 'माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें, तो ठीक तरह से बात का जवाब देना।'

'मैं न पढ़ी, न लिखी, बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना, माँ अनपढ़ है, कुछ जानती–समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा।'

सात बजते–बजते माँ का दिल धक–धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा, तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देख कर घबरा उठती थीं, यह तो अमरीकी है। न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएँ। मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थीं। चुपचाप कुर्सी पर से टाँगें लटकाए वहीं बैठी रही।

एक कामयाब पार्टी वह है, जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था, जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रूकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को व्हिस्की पसंद आई थी। मेमसाहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा–कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़ कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त–परवर हो रहे थे और उनकी स्त्री, काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउड़र की महक से ओत–प्रोत, कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थीं। बात–बात पर हँसतीं, बात–बात पर सिर हिलातीं और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थीं, जैसे उनकी पुरानी सहेली हों।

और इसी रौ में पीते–पिलाते साढ़े दस बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला।

आखिर सब लोग अपने–अपने गिलासों में से आखिरी घूँट पी कर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर

निकले। आगे–आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान।

बरामदे में पहुँचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टाँगें लड़खड़ा गईं, और क्षण–भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों–की–त्यों बैठी थीं। मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए, और सिर दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ झूल रहा था और मुँह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा हो कर एक तरफ को थम जाता, तो खर्राटें और भी गहरे हो उठते। और फिर जब झटके–से नींद टूटती, तो सिर फिर दाएँ से बाएँ झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था, और माँ के झरे हुए बाल, आधे गंजे सिर पर अस्त–व्यस्त बिखर रहे थे।

देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का दे कर उठा दें, और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था, चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे।

माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हँस दीं कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा – पुअर डियर!

माँ हड़बड़ा के उठ बैठीं। सामने खड़े इतने लोगों को देख कर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और जमीन को देखने लगीं। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उँगलियाँ थर–थर काँपने लगीं।

'माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थीं?' – और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुँह की ओर देखने लगे।

चीफ के चेहरे पर मुस्कराहट थी। वह वहीं खड़े–खड़े बोले, 'नमस्ते!'

माँ ने झिझकते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाईं। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे।

इतने में चीफ ने अपना दायाँ हाथ, हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठीं।

'माँ, हाथ मिलाओ।'

पर हाथ कैसे मिलातीं? दाएँ हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायाँ हाथ ही साहब के दाएँ हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियाँ खिलखिला कर हँस पडीं।

'यूँ नहीं, माँ! तुम तो जानती हो, दायाँ हाथ मिलाया जाता है। दायाँ हाथ मिलाओ।'

मगर तब तक चीफ माँ का बायाँ हाथ ही बार–बार हिला कर कह रहे थे – हौ डू यू डू?

'कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।'

माँ कुछ बडबड़ाईं।

'माँ कहती हैं, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हौ डू यू डू।'

माँ धीरे से सकुचाते हुए बोलीं – 'हौ डू डू .....'

एक बार फिर कहकहा उठा।

वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति सँभाल ली थी। लोग हँसने–चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ–कुछ कम होने लगा था।

साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे, और माँ सिकुड़ी जा रही थीं। साहब के मुँह से शराब की बू आ रही थी।

शामनाथ अंग्रेजी में बोले – 'मेरी माँ गाँव की रहने वाली हैं। उम्र भर गाँव में रही हैं। इसलिए आपसे लजाती हैं।'

साहब इस पर खुश नजर आए। बोले – 'सच? मुझे गाँव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गाँव के गीत और नाच भी जानती होंगी?' चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बाँधे देखने लगे।

'माँ, साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ। कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे।'

माँ धीरे से बोली – 'मैं क्या गाऊँगी बेटा। मैंने कब गाया है?'

'वाह, माँ! मेहमान का कहा भी कोई टालता है?'

'साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी, तो साहब बुरा मानेंगे।'

'मैं क्या गाऊँ, बेटा। मुझे क्या आता है?'

'वाह! कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। दो पत्तर अनाराँ दे ...'

देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियाँ पीटीं। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखतीं, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को।

इतने में बेटे ने गंभीर आदेश–भरे लिहाज में कहा – 'माँ!'

इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गईं और क्षीण, दुर्बल, लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगीं –

हरिया नी माए, हरिया नी भैणे

हरिया ते भागी भरिया है!

देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हँस उठीं। तीन पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गईं।

बरामदा तालियों से गूँज उठा। साहब तालियाँ पीटना बंद ही न करते थे। शामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था।

तालियाँ थमने पर साहब बोले – 'पंजाब के गाँवों की दस्तकारी क्या है?'

शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले – 'ओ, बहुत कुछ – साहब! मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूँगा। आप उन्हें देख कर खुश होंगे।'

मगर साहब ने सिर हिला कर अंग्रेजी में फिर पूछा – 'नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं माँगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं?'

शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले – 'लड़कियाँ गुड़ियाँ बनाती हैं, और फुलकारियाँ बनाती हैं।'

'फुलकारी क्या?'

शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले – 'क्यों, माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है?'

माँ चुपचाप अंदर गईं और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाईं।

साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह–जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देख कर शामनाथ बोले – 'यह फटी हुई है, साहब, मैं आपको नई बनवा दूँगा। माँ बना देंगी। क्यों, माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद हैं, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी न?'

माँ चुप रहीं। फिर डरते–डरते धीरे से बोलीं – 'अब मेरी नजर कहाँ है, बेटा! बूढ़ी आँखें क्या देखेंगी?'

मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले – 'वह जरूर बना देंगी। आप उसे देख कर खुश होंगे।'

साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के–हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे–पीछे हो लिए।

जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आँखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठीं, और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं।

मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आँखों में छल–छल आँसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार–बार उन्हें पोंछतीं, पर वह बार–बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बाँध तोड़ कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार–बार आँखें बंद कीं, मगर आँसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे।

आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खा कर एक–एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी आँखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थीं। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मुहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी, केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा।

'माँ, दरवाजा खोलो।'

माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठीं। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आपको कोस रही थीं कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगीं। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठीं और काँपते हाथों से दरवाजा खोल दिया।

दरवाजे खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया।

'ओ अम्मी! तुमने तो आज रंग ला दिया! ...साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी! अम्मी!'

माँ की छोटी–सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आँखों में फिर आँसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली – 'बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ।'

शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाँहें माँ के शरीर पर से हट आईं।

'क्या कहा, माँ? यह कौन–सा राग तुमने फिर छेड़ दिया?'

शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था, बोलते गए – तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता।

'नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा–पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो!'

'तुम चली जाओगी, तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया हैं।'

'मेरी आँखें अब नहीं हैं, बेटा, जो फुलकारी बना सकूँ। तुम कहीं और से बनवा लो। बनी–बनाई ले लो।'

'माँ, तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नही, साहब खुश होगा, तो मुझे तरक्की मिलेगी! '

माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुँह की ओर देखती हुई बोलीं – 'क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है?'

'कहा नहीं, मगर देखती नहीं, कितना खुश गया है। कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी, तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया, तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ।'

माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे–धीरे उनका झुर्रियों–भरा मुँह खिलने लगा, आँखों में हल्की–हल्की चमक आने लगी।

'तो तेरी तरक्की होगी बेटा?'

'तरक्की यूँ ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूँगा, तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं?'

'तो मैं बना दूँगी, बेटा, जैसे बन पड़ेगा, बना दूँगी।'

और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएँ करने लगीं और मिस्टर शामनाथ, 'अब सो जाओ, माँ', कहते हुए, तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए।

हिंदी वर्ग–पहेली प्रतियोगिता का परिणाम

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में बुधवार, 27 दिसम्बर 2017 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी वर्ग–पहेली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 29 सदस्य कार्यालयों से 57 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा विजयी प्रतियोगियों के नाम इस प्रकार हैं:

Øe l-	çfr;kxh dk uke	dk;ky;	ijLdkj
1.	श्री तरुण कुमार डेकाटे	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	प्रथम
2.	श्री मनोज बाबू गर्ग	डॉ. डी पी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान	द्वितीय
3.	डॉ. ज्योति गोयल	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	तृतीय
4.	श्री आशीष कुमार	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पीईएम	प्रोत्साहन
5.	श्री कृष्ण पाल	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान	प्रोत्साहन
6.	श्रीमती सोनी मेहता	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	प्रोत्साहन
7.	श्री अमित कांत वार्ष्णेय	पी डी आई एल	प्रोत्साहन
8.	श्री मनोज कुमार जायसवाल	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	प्रोत्साहन
9.	श्रीमती पुष्पा रानी	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉली पार्क्स ऑफ इंडिया	प्रोत्साहन

सभी सफल प्रतियोगियों को 15.02.2018 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइंस प्रभाग, सैक्टर–1, नौएडा में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) नौएडा की 35वीं बैठक में नराकास की अध्यक्ष महोदया द्वारा पुरस्कृत किया गया।

काव्य-मंजूषा (2)

डॉ. पूनम एस. चौहान*

गुलाबी ठंड

मौसम की नरमी
गुलाबी ठंड की सरगर्मी
अलसायी सी लताएँ
सिमट–सिमट जाएँ

प्यार का नशा है
हल्का–हल्का
उसके रूप का जादू
छलका–छलका
हर ओर अनुपम छटा है।

पेड़ों की घनी छाँव
ओट से झाँकती सूर्य किरणें
उसकी शर्मीली आँखों का भाव
कल–कल बहते झरने

थामें हाथों में हाथ
जैसे जीवन हो साथ
चलते वो दोनों मन की तरंगों के साथ
लिए हाथों में हाथ, अपनी उमंगों के साथ

लिए हाथों में हाथ
बुनते सपने साथ–साथ
उठाते गुलाबी ठंड का आनंद
हमसफर के दिलों में उठता उन्माद

निःशब्द दोनों सुनते सांसो की ध्वनि
खोये हैं दोनों समय थम गया।
प्रेम से भरे, सुने उनकी या कहे अपनी,
गुलाबी ठंड का स्पर्श हृदय लुभा गया।

हम तुम

तुम्हारे आने से
आती है बहार।
तुम्हारे जाने से
झाँकता है पतझड़।

तुम तो हो नन्दनकानन,
खिलती रंग–बिरंगी पुष्पावली।
फैली सुगन्ध तुम्हारी घर आंगन,
प्रेम से सरोबार तुम्हारी ये आली।

तुम्हारी आहट से,
मनतन चहकने लगा।
तुमको देखने से,
हृदय जोर से धडकने लगा।

तुम्हारा साथ ही
मेरा जीवन है
तुम्हारे लिए ही
ये सारी मनतरंग है।

खिल उठती है,
मेरे मन का बगिया।
उज्जवल रहती है,
मेरी सारी दुनिया,
तुमको ही तकती है
मेरी चाह भरी अँखियां।

तुम आके यूं –
जाया न करो।
मुझे इस तरह,
मिटाया न करों।
मुझमे समा कर यूँ,
मुझे ही सताया न करो।

तुम्हारे आने से,
आती है बहार।
तुम्हारे जाने से,
झाँकता है पतझड़।

* वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

गुणवत्तायुक्त शिक्षा का अभाव

बीरेंद्र सिंह रावत*

अक्सर यह कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। वे देश का भविष्य तभी कहलाएंगे जबकि वे विभिन्न चरणों में ज्ञानार्जन करते हुए शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनें। वस्तुतः सीखने–सिखाने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के जीवन में जीवनपर्यंत चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म के बाद सबसे पहला पाठ अपनी माँ की गोद में सीखता है। उसके बाद अपने पारिवारिक वातावरण एवं आस–पास के पर्यावरण से भी कुछ–न–कुछ सीखता है। फिर स्कूल जाकर अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा मानव अपना आर्थिक विकास करता है एवं जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षित वर्ग द्वारा सभ्य समाज का निर्माण किया जाता है तथा सभ्य समाज देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के बारे में प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री ड्यूबी ने कहा है कि ''जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का।'' इसी संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा है कि ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे।'' जगतगुरु शंकराचार्य के अनुसार ''शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाये (सः विद्या या विमुक्तये)।'' अतः शिक्षा केवल परीक्ष पास करने का माध्यम न हो, अपितु यह हमें भली प्रकार जीना सिखाये। शिक्षा को व्यक्तित्व विकास एवं परिवर्तन के आवश्यक उपकरण के रूप में प्राचीन काल से ही अपनाया जाता रहा है। इसकी उपयोगिता किसी भी समाज, व्यक्ति, राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने में स्वयं सिद्ध है।

हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा निरक्षर था। 1951 में साक्षरता की दर मात्र 18.32 प्रतिशत थी। शिक्षा को बुनियादी स्तर पर विकास एवं परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम स्वीकार करते हुए सरकार ने देश के समक्ष शैक्षिक चुनौतियों से निपटने, शिक्षा के बारे में विस्तृत नीतियाँ तैयार करने और शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए समय–समय पर कई शिक्षा आयोग गठित किए, जो कि निम्न प्रकार हैं: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948), मुदलियार आयोग (1952–53) और कोठारी आयोग (1964–1966)। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तैयार की गयी। यह आजादी के बाद के शिक्षा के इतिहास में एक अहम कदम थी। इस नीति में समाज में सामंजस्य लाने और समन्वय स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान था। नीति में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने के लिए माध्यमिक स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात भी कही गयी थी। इसके साथ ही स्कूल स्तर पर हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था। पूरे देश में शिक्षा की समान संरचना तथा लगभग सभी राज्यों द्वारा 10 +2 +3 की प्रणाली को मान लेना शायद इस नीति की सबसे बड़ी देन है। इस प्रणाली के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में छात्र–छात्राओं को एक समान शिक्षा देने के अलावा विज्ञान व गणित को अनिवार्य विशय बनाया गया और कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। समय के साथ हुए विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)– 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गरीबों के लिए फेलोशिप्स, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री–पुरुश समानता को बढ़ावा देने के लिए समूची शैक्षिक प्रणाली का नये सिरे से विकास करने, समाज के उपेक्षित वर्गों, शारीरिक और मानसिक बाधाओं से ग्रस्त वर्गों के अध्यापकों की भर्ती करने पर जोर दिया गया था। इसके अलावा इसमें नये स्कूल और कॉलेज खोलने तथा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले इलाकों पर खास तौर पर ध्यान देने को भी कहा गया था।

सर्व शिक्षा अभियान (2001) – सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना था। इससे पहले सरकार ने कारगर पहल करते हुए प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिससे देश भर में स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों मे, सरकार ने 1995 में दोपहर को भोजन देने के कार्यक्रम की भी शुरुआत

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

की। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 – यह भारतीय संसद द्वारा 04 अगस्त 2009 को पारित एक अधिनियम है जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व और इसके तौर–तरीकों को बताया गया है। 01 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत दुनिया के उन 135 देशों में शामिल हो गया है जहां शिक्षा हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। अधिनियम के जरिए शिक्षा को 6 से 14 साल तक के हर बच्चे का बुनियादी अधिकार बना दिया गया है और स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के मानक निर्धारित कर दिये गये हैं। इसके साथ ही सभी निजी स्कूलों से अपेक्षा की गयी है कि वे 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित श्रेणियों के बच्चों के लिए सुरक्षित कर दें, इसका खर्च सार्वजनिक–निजी भागीदारी योजना के तहत सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

स्वतंत्रता के बाद इन सभी नीतिगत पहलों के अच्छे नतीजे सामने आये और स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ–साथ शैक्षिक संस्थानों के प्रसार में भी काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1950–51 में प्राइमरी स्कूलों की संख्या 209671 थी जो 3.4 गुणा बढ़कर वर्ष 2010–11 में 712437 हो गयी। वर्ष 1950–51 से वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान सबसे अधिक वृद्धि अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या की संख्या में दर्ज की गयी। वर्ष 1950–51 में अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या मात्र 13596 थी जो लगभग 35 गुणा बढ़कर वर्ष 2010–11 में 474294 हो गयी। इनके साथ 128321 सेकेंडरी एवं 84133 सीनियर सेंकेडरी स्कूलों की संख्या का जोड़ दें तो आज देश में लगभग 14 लाख स्कूल हैं। इसी तरह 903 विश्वविद्यालय और लगभग 40,000 कॉलेज हैं जबकि 1947 में देश में मात्र 19 विश्वविद्यालय और 400 कॉलेज थे। इन 903 विश्वविद्यालयों में से 15 विश्वविद्यालय अनन्य रूप से महिलाओं के लिए हैं। भारत की साक्षरता दर जो 1951 में मात्र 18.32 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गयी। इस दौरान पुरुष साक्षरता 1951 में 27.15 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 82.14 प्रतिशत हुई तो महिला साक्षरता में और भी बढ़ोतरी देखी गयी। महिला साक्षरता 1951 में जो मात्र 8.86 प्रतिशत थी, 2011 में बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गयी।

भारत में बीते पांच साल के दौरान जहां उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लड़कों की तादाद कमोबेश समान है वहीं लड़कियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि भारत ने वर्ष 2016–17 के दौरान लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) पर बीते सात वर्षों का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2010–11 में जहाँ यह सूचकांक 0.86 था वहीं अब 0.94 तक पहुंच गया है। उच्च–शिक्षा हासिल करने वाले 3.57 करोड़ छात्रों में 1.9 करोड़ लड़के हैं और 1.67 करोड़ लड़कियाँ। बीते पांच वर्षों के दौरान दोनों के बीच का यह अंतर नौ लाख से ज्यादा घटा है। यानी इस दौरान लड़कों की तादाद तो कमोबेश समान रही है लेकिन उच्च–शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की तादाद नौ लाख से ज्यादा बढ़ी है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2011–12 के दौरान छात्रों व छात्राओं की तादाद में 31.62 लाख का अंतर था जो 2016–17 में घट कर 22.55 लाख पहुंच गया। वर्ष 2016–17 में मास्टर आफ आर्ट्स (एमए) में हर सौ लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद जहाँ 160 है वहीं बैचलर आफ साइंस (नर्सिंग) के मामले में लड़कियों की यह तादाद 384 है। विज्ञान व वाणिज्य विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी प्रति सौ लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद क्रमशः 167 और 158 है। हालांकि इंजीनियरिंग, कानून व प्रबंधन की पढ़ाई के मामले में अब भी लड़कों का पलड़ा भारी है और इन तीनों क्षेत्रों में लैंगिक असमानता की खाई अभी गहरी है। यह अंतर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं जहाँ वर्ष 2012–13 के दौरान प्रति सौ लड़कों पर 38 लड़कियाँ थीं तो वर्ष 2016–217 में यह तादाद बढ़कर मात्र 39 हुई है। हालांकि, डाक्टरी (एमबीबीएस) की पढ़ाई में दोनों लगभग बराबरी पर हैं। इस क्षेत्र में प्रति सौ लड़कों पर लडकियों की तादाद 99 है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वर्ष 2016–17 शैक्षणिक सत्र के अंत में उच्च शिक्षण संस्थानों में 25.2 के ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो (जीईआर) यानी सकल दाखिला अनुपात के साथ लगभग 3.57 करोड़ छात्र–छात्राओं ने दाखिला लिया था। भारत ने वर्ष 2020 तक इसे 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। 18 से 23 साल के बीच की कुल आबादी में से उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों की तादाद के आधार पर जीईआर तय किया जाता है।

हालांकि जब शिक्षा के स्तर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, की बात आती है तो कड़वी सच्चाई बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करती है। भारत का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों में वर्तमान में शिक्षा की स्थिति का आकलन करने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने यह रिपोर्ट जारी की है। असर (एएसईआर) नाम की यह गैर सरकारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। इसका पूरा नाम Annual

Status of Education Report है। यह संस्था साल 2005 से हर साल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इस साल इसने देश के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में अपनी 156 पेज की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार साल 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय भारत में 14 से 18 वर्ष के लगभग दस करोड़ युवा आते हैं।

14 से 18 वर्ष के वर्ग में इस समय कुल 86 प्रतिशत युवा स्कूल या कॉलेज जाते हैं। शेश 14 प्रतिशत युवा अभी भी शिक्षा से दूर हैं। इस आयु वर्ग में 54 प्रतिशत 10 या 10वीं से नीचे की क्लास में हैं, 26 प्रतिशत 11वीं से 12वीं में जबकि 6 प्रतिशत युवा किसी डिग्री कोर्स में हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस आयु वर्ग के :– (i) 36 प्रतिशत छात्रों को देश की राजधानी का नाम नहीं पता है; (ii) लगभग 25 प्रतिशत छात्र बिना रुके अपनी भाषा भी नहीं पढ़ सकते हैं; (iii) 43 फीसदी छात्र ऐसे पाए गए हैं, जिन्हें भाग देना नहीं आता है; (iv) करीब 47 फीसदी छात्र ऐसे हैं, जो इंग्लिश के साधारण वाक्यों को भी नहीं पढ़ सकते हैं, (v) 58 फीसदी छात्र अपने राज्य का नक्शा नहीं जानते हैं जबकि 14 फीसदी छात्र अपने देश का नक्शा नहीं जानते हैं; तथा (vi) मात्र 5 प्रतिशत बच्चे ही वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, 34 प्रतिशत लोग 3 महीने की अवधि वाले वोकेशनल कोर्स जबकि 25 प्रतिशत लोग 4 से 6 महीनों की अवधि में पूरे होने वाले वोकेशनल कोर्सेस का हिस्सा बने हुए हैं। असर की यह रिपोर्ट 24 राज्यों के कुल 28 जिलों में सर्वे के आधार पर तैयार की गई। इनमें 35 सहभागी संस्थानों के करीब दो हजार स्वयंसेवकों ने 1641 गांवों के 25 हजार से अधिक घरों में सर्वे किया। सर्वे में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के तीस हजार से ज्यादा युवा शामिल हुए।

उच्च शिक्षा की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। संख्या की दृश्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमरीका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है दुनिया के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग (2018) के अनुसार यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड चोटी पर है जबकि भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स की रैंकिंग 251–300 तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, बॉम्बे की रैंकिंग 351 –400 है। यही नहीं, स्कूल की पढ़ाई करने वाले नौ छात्रों में से एक ही कॉलेज पहुँच पाता है। नैसकॉम और मैकिन्से के एक शोध के अनुसार मानविकी में 10 में से एक और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का एक शोध बताता है कि भारत के 90 फीसदी कॉलेजों और 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है। इसी तरह, थोड़े दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी समिति ने राज्यसभा में पेश रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों और आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में शिक्षकों की भारी कमी है। यह समस्या उच्च शिक्षा के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के मार्ग में बाधा है। समिति ने जानकारी दी कि देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के 2417 पदों में से 1262 पद खाली हैं। भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 34 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। यह समस्या सिर्फ पलक्कड़, तिरुपति और गोवा जैसे नए आईआईटी संस्थानों की नहीं है, मुंबई, खड़गपुर और कानपुर जैसे पुराने संस्थानों में भी 25 से लेकर 45 प्रतिशत तक फैकल्टी कम हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार सन 2017–18 में भारत में रोजगार की स्थिति बेहतर होने के आसार नहीं हैं। साल 2016 में बेरोजगारों की संख्या लगभग 178 लाख थी, जिसके 2018 में 180 लाख से भी बढ़ जाने की आशंका है। आज भारत की युवा ऊर्जा चरम पर है और भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश माना जा रहा है। इसी युवा शक्ति में भारत की ऊर्जा अंतर्निहित है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 60 करोड़ लोग 25 से 30 वर्ष के हैं, जबकि देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। यह स्थिति वर्ष 2045 तक बनी रहेगी। अपनी बड़ी युवा आबादी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई पर जा सकती है। लेकिन इस ओर भी ध्यान देना होगा कि आज देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोजगारी से जूझ रहा है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015–16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पांच साल का उच्च स्तर है। महिलाओं के मामले में बेरोजगारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत है। पढ़े–लिखे युवा भी बेरोजगारी से अछूते नहीं रहे हैं। इनमें 25 फीसदी 20 से 24 वर्ष के हैं, तो 17 फीसदी 25 से 29 वर्ष के युवा हैं।

बेरोजगारी की विकराल होती समस्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव तथा डिग्रीधारी युवाओं की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप आज 'छोटी' समझी जाने वाली नौकरियों के लिए भी उच्च शिक्षित युवा आवेदन करने को विवश हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामले इस प्रकार हैं:

- सितम्बर 2015 में उत्तर प्रदेश में चपरासी के 368 पदों के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के जवाब में लगभग 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं क्लास उत्तीर्ण रखी गई थी परंतु आवेदकों में पांचवीं उत्तीर्ण उम्मीदवार तो केवल 53,426 ही थे। इसके विपरीत छठी से बारहवीं कक्षा तक पढ़े उम्मीदवारों की संख्या 20 लाख से अधिक थी और इनमें 7.5 लाख इंटर पास के अलावा 1.52 लाख इंजीनियर, एम.बी.ए., पोस्ट ग्रैजुएट, ग्रैजुएट व 255 उम्मीदवार पी.एचडी. थे।
- इसी प्रकार फरवरी 2016 में कोरबा में 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल' द्वारा पटवारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित 'प्रशिक्षु चयन परीक्षा' में अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग, एम.बी.ए. और बी.सी.ए. उत्तीर्ण सहित अन्य प्रोफैशनल डिग्रीधारी भी शामिल हुए हालांकि इसके लिए न्यूनतम वांछित शैक्षिक योग्यता मात्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है।
- अगस्त 2016 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से 'डी' श्रेणी के अंतर्गत पोर्टर के 5 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। इसके उत्तर में आयोग को 2500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। हालांकि इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्र चौथी कक्षा उत्तीर्ण ही वांछित थी, परंतु आवेदकों में 5 एम.फिल, 253 पोस्ट ग्रैजुएट, 9 पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा होल्डर, 984 ग्रैजुएट, 253 डिप्लोमा होल्डर, 605 एच.एस.सी. उत्तीर्ण तथा 283 एस.एस.सी. उत्तीर्ण उम्मीदवार शामिल थे और एस.एस.सी. से कम शिक्षा प्राप्त मात्र 117 उम्मीदवार ही पाए गए।
- वर्ष 2017 में गुजरात सरकार ने 'ग्राम अधिकारियों' के तृतीय श्रेणी के 2560 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे थे जिनके लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आए। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है परंतु उक्त पद पर इससे कहीं अधिक शैक्षिक योग्यता वाले 2343 उम्मीदवार ही चुने गए हैं। इनमें 950 इंजीनियर, 12 आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टर और लगभग 200 एम.बी.ए., एम.सी.ए. और बी.फार्मा डिग्रीधारी शामिल हैं और चुने गए उम्मीदवारों में से शायद ही कोई ग्रैजुएट से कम शिक्षा प्राप्त हो।
- इसी प्रकार जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट में चपरासी के महज 57 पदों के लिए 60 हजार आवेदन पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि 8वीं पास योग्यता वाले इस पद के लिए सैलरी सिर्फ साढ़े सात हजार रुपए है, लेकिन अधिकतर उम्मीदवार इंजीनियर, एमबीए और यहां तक कि पीएचडी डिग्रीधारी हैं।

इस दयनीय स्थिति के लिए नीतियों के कारगर कार्यान्वयन में सरकारी तंत्र की विफलता के साथ–साथ स्वयं छात्र, अभिभावक, शिक्षक एवं पूरा समाज किसी न किसी हद तक जिम्मेदार है। सबसे पहले अगर हम बात करें समाज की तो दो दशक पहले तक या यों कहें कि बीसवीं सदी के अंत तक समाज में अभिभावक अपने बच्चे की हर अच्छी–बुरी बात से अध्यापक को परिचित कराते थे। बच्चे भी अपने अध्यापक के हर एक शब्द का अक्षरशः पालन कर उनकी महत्ता को प्रदर्शित करते थे। अभिभावक शिक्षकों को भगवान से भी ज्यादा सम्मान देते और दिलाते थे। तमाम समाज सुधारकों एवं साहित्यकारों ने गुरु की महिमा का वर्णन अपने–अपने हिसाब से किया है। इस संबंध में प्रमुख समाज सुधारक एवं कवि कबीर दास जी का एक दोहा इस प्रकार है:

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।।

परन्तु आज का समय बदल चुका है, परिवार बिखर चुके हैं। माता–पिता अपनी एक या दो संतानों को बड़े ही नाजों से पालते हैं, ऐसे में उनके बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा उन्हें गवारा नहीं। जिस देश में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में शिक्षित हुए हों उस देश में आज विद्यालयों का विभाजन हो चुका है। शिक्षा का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है। आज देश में अनेकों ऐसे निजी विद्यालय हैं जो उच्च प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों को नियुक्त करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं परंतु इनकी संख्या काफी कम है। इन स्कूलों में शिक्षण एवं गैर शिक्षणेतर कार्यकलापों के लिए फीस भी बहुत ज्यादा होती है जिससे आम आदमी अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अनेकों ऐसे निजी स्कूल भी हैं जहाँ फीस उपरोक्त स्कूलों की अपेक्षा काफी कम होती है, परंतु शिक्षकों की योग्यता के बारे में आप सौ फीसदी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसका परिणाम उनके अध्यापन के साथ बच्चों के अधिगम के साथ समझौता होता है। जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है तो वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है तथा शिक्षकों की भारी कमी है। सरकारी स्कूलों में भी अनेक सुप्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक हैं परंतु ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या नगण्य ही होगी जहाँ पर किसी एक स्तर पर सभी शिक्षक सुप्रिशिक्षित हों। फिर सरकारी शिक्षकों को चुनाव एवं जनगणना जैसे

राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य कार्यों के लिए भी आदेशित किया जाता है। इससे अध्ययन–अध्यापन के कार्य प्रभावित होते हैं।

ऐसे में औसत से कम प्रतिभायुक्त बच्चे परीक्षा पास करने के लिए तथा औसत प्रतिभायुक्त बच्चे परीक्षा में अधिक अंक हासिल करने के लिए नकल का सहारा लेते हैं। यही नहीं, अपने स्कूल का परीक्षाफल बहुत अच्छा रखने के लिए सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में कई स्कूल एवं शिक्षक भी छात्रों को नकल कराने में शामिल होते हैं। देश में परीक्षा में नकल कराने की कुरीति काफी समय से चली आ रही है। शिक्षा माफिया कहें या फिर नकल माफिया, यह नकल कराने को ही अपना धर्म मानकर इसे उद्योग का दर्जा में सफल रहा है। इसमें वह स्कूलों के शिक्षकों, लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों, और कहीं–कहीं तो स्कूल के प्रधानाचार्यों को 'सेट' करते हुए परीक्षार्थियों से संपर्क करता है। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने वाले राजनेता तथा नौकरशाह भी इस कुरीति के फलने–फूलने में अपना पूरा–पूरा योगदान देते हैं। वर्ष 2016 के बिहार बोर्ड का परीक्षाफल तो आपको याद होगा ही। तब कला संकाय की टॉपर रूबी राय को बधाई देने हेतु कुछ संवाददाता उनके घर गये। उससे विषयों के बारे में पूछा गया तो उसने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बताया। जब संवाददाता को अनेक प्रश्नों के ऐसे ही अटपटे उत्तर मिले तो बिहार सरकार द्वारा सभी टॉपर्स की उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया गया। उत्तर–पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन से पता चला कि रूबी राय ने अपनी एक उत्तरपुस्तिका में सिर्फ फिल्मों के नाम लिखे थे, एक अन्य उत्तरपुस्तिका में वह कवि तुलसीदास का नाम 100 से भी ज्यादा बार लिख आई थी, और कुछ अन्य उत्तरपुस्तिकाओं में रूबी ने कुछ कविताएं लिख दी थीं, और फिर इन उत्तरपुस्तिकाओं को बाद में 'विशेषज्ञों' द्वारा लिखी हुई उत्तरपुस्तिकाओं से बदल दिया गया था। इसी प्रकार अन्य संकाय के टॉपर्स का भी कल्याण किया गया था। इस तरह बिहार टॉपर्स घोटाला उजागर हुआ। इस घोटाले के मुख्य अभियुक्त थे बिहार शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लाल्केश्वर प्रसाद सिंह, उनकी धर्मपत्नी एवं जनता दल (यूनाईटेड) की पूर्व विधायक उषा सिन्हा तथा रूबी राय के चाचा एवं उसके स्कूल वीएन राय कॉलेज (जिला वैशाली) के प्रधानाचार्य बच्चा राय। कुछ इसी तरह का एक प्रकरण इस वर्ष उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मिला। यहाँ गजेंद्र सिंह मीरा देवी बालिका इंटर कालेज के प्रबंधक गजेंद्र सिंह तथा प्रधानाचार्य मीरा देवी ने अपनी पुत्री निधि यादव को जिला टॉपर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अपने इंटर कालेज से अनियमित रूप से उसका संस्थागत छात्रा के रूप में 11वीं कक्षा में पंजीकरण कराया और वर्ष 2018 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दिलवाई, जबकि वह आर्मी पब्लिक स्कूल की नियमित छात्रा थी। निधि यादव को यूपी बोर्ड परीक्षा में 449 अंक प्राप्त हुए और इस प्रकार उसने अपने साथ–साथ जिले का नाम भी 'रोशन' किया। ज्ञातव्य है कि कोई भी छात्र एक ही सत्र में दो बोर्डों से परीक्षा नहीं दे सकता है। इस प्रकार के और भी अनेकों प्रकरण मिल जाएंगे।

विगत में हासिल अनुभवों और बदलते राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के आलोक में उभरी चिंताओं एवं जरूरतों तथा बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों की बदलती ज्ञानार्जन आवश्यकताओं सहित स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक वास्तविकताओं एवं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लक्ष्यों, संरचना, विषयवस्तु एवं प्रक्रियाओं को नया रूप प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 को तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 आने वाले कुछ वर्षों के लिए भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह नीति शिक्षा संबंधी पूर्व राष्ट्रीय नीतियों में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित अधूरे कार्यों एवं मौजूदा तथा उभरते राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा क्षेत्र संबंधी चुनौतियों दोनों पर ध्यान देने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय विकास में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से सुधारने पर अभूतपूर्व ध्यान देती है और यह सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध हों। आशा है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस नीति को अमल में लायेगी।

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले हेतु सभी इच्छुक विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जा रही नेशनल एलिजिबिलिटी–कम–एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) तथा देश में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों के सभी अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान द्वारा मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शुरु किया गया प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा केंद्र सरकार की कुछ अच्छी पहलें हैं। केंद्र सरकार इसी तर्ज पर इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश को भी आयोजित करने का प्रयास कर रही है परंतु अभी कुछ राज्य इससे सहमत नहीं हैं। केंद्र सरकार को इस दिशा में जल्द–से–जल्द हरसंभव प्रयास करने चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया है जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं यथा एनईईटी, आईआईटी–जेईई, नेशनल एलिजिबिलिटी

टेस्ट (एनईटी) के साथ–साथ कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (सीएमएटी) तथा ग्रैज्युट फार्मेसी एप्टीट्यूट टेस्ट (जीपीएटी) आयोजित किया करेगी।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों को गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है: (i) पूर्व माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में समान पाठ्यक्रम रखना; (ii) शिक्षक–छात्र अनुपात को सही रखने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि शिक्षकों की उपस्थिति की निरंतरता बाधित न हो; (iii) बुनियादी सुविधाओं एवं आवश्यक प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को समय की जरूरतों के हिसाब से उन्नत बनाना ताकि यहाँ से प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें; (iv) शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समुचित तैनाती सुनिश्चित करना, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होती है जबकि शहरी क्षेत्र के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक तैनात होते हैं; (v) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 को जल्द–से–जल्द अंतिम रूप देते हुए इसके कारगर कार्यान्वयन का तंत्र विकसित करना; तथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु (vi) केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए यह भी ध्यान में रखना कि जब तक मौजूदा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों यथा आईआईटी एवं आईआईएम में शिक्षकों के संस्वीकृत पद योग्य, सक्षम एवं सुप्रिशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करके पूर्णतः भर न लिये जाएं तब तक नये विद्यालय/विश्वविद्यालय/उच्च शैक्षिक संस्थान न खोले जाएं।

नारी शक्ति

डॉ. पूनम एस. चौहान*

तुम प्रकृति हो,
तुम जननी हो।
तुमने संसार बसाया है,
तुमने संस्कार पढाया है।
तुम शक्तिमान हो,
स्नेह से भरी, ममतामयी हो।
बच्चों को राह दिखाती हो,
उनका जीवन संवारती हो।

हफ्ते के सातों दिन,
अथक, काम तुम करती हो।
याद नहीं तुम्हें रात दिन,
फिर भी उफ नहीं करती हो।
शिक्षा और कौशल,
मजबूत तुम्हें बनायेंगे।
अपनों का साथ हो हरपल,
तो हर जंग जीत जायेंगे।

माँ–बहन, पत्नी और बेटी,
बनकर घर को संवारती हो।
आवश्यकता पडने पर काली
बन प्रकट हो जाती हो।
हर युग में अपना बिगुल,
तुमने बार–बार बजाया है।
पापियों का किया नाश,
भटकों को सन्मार्ग दिखाया है।

तिरस्कृत हैं वे जो,
तुम्हारा सम्मान नहीं करते।
और कुंठित हैं वे जो,
तुम्हारा मान नहीं रखते।
तुमसे ही जन्म लेकर,
अवमानना तुम्हारी करते
पितृसत्तात्मक सोच से तुम्हारा
अनादर करते नही थकते।

तुम कमजोर नहीं हो,
तुम्हें कमजोर बनाया है।
मतलबपरस्त लोगों ने,
तुम्हारा अस्तित्व छिपाया है।
झाँसी की रानी हो तुम,
अडिग विश्वास से उठो।
दुर्गा, रमा, शारदा हो तुम,
अपना भाग्य स्वयं लिखो।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

राजभाषा सम्मान

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा द्वारा दिनाँक 15.02.2018 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइंस प्रभाग मुख्यालय, सैक्टर – 1 नौएडा में आयोजित नराकास, नौएडा की 35वीं बैठक में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती नूतन गुहा विश्वास, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में 21 जून 2018 को बड़े धूमधाम से मनाया गया। लगभग 150 अधिकारियों एवं प्रशिुओं ने योग दिवस समारोह में बड़े उत्साह से भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में Mk- ,yhuk lkerjk;, फेलो ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। संस्थान के महानिदेशक Mk- ,p- Jhfuokl ने सभा को संबोधित किया तथा योग एवं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसके लाभों के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया वे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ तथा रोजाना अभ्यास करें। यह योगाभ्यास श्री eu'oj dekj एवं Jherh xhrk fc"V के निर्देशन में किया गया। यह कार्यक्रम सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन एवं कल्याण के लिए अपने दैनिक जीवन में योगाभ्यास करने के संदेश के साथ संपन्न हुआ।

दुष्कर्म की सजा मृत्युदंड

राजेश कुमार कर्ण*

थामसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने महिलाओं के प्रति यौन हिंसा, मानव तस्करी और यौन व्यापार में धकेले जाने संबंधी धारणाओं पर आधारित (परसेप्शन बेस्ड) एक ताजा सर्वे में बताया है कि पूरी दुनिया में भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश है। अफगानिस्तान और सीरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस सर्वे की अपनी सीमा हो सकती है लेकिन इस कड़वे सच की पुष्टि हमारे अनुभव भी करते हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ की घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आए दिन ऐसी घटना जरूर हो जाती है जो पिछली घटना से भी ज्यादा क्रूर होती है और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाप–भाई, चाचा–भतीजा, मौसा–फूफा, बहनोई, मामा सभी रिश्ते इस दृष्टि से अंधे एवं कलंकित हो गए हैं। बेशक रिश्तेदारों, बच्चों–किशोरों एवं यहां तक कि बुजुर्गों के बीच भी स्त्री सुरक्षित नहीं है। घर, खेत–खलिहान, स्कूल–कॉलेज–विश्वविद्यालय, बाजार, सिनेमाघर, अस्पताल, जेल, धर्मस्थल, सड़क, परिवहन के साधनों से लेकर कार्यस्थल तक, सभी जगहों से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ की घटनाएं सुर्खियां बनती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों पर गंभीर चिंता जताई है एवं जायज सवाल किया है कि लेफ्ट, राइट और सेंटर हर जगह महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। यह देश में क्या हो रहा है। ऐसे अपराध रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

दुष्कर्म की समस्या भारत की ही नहीं अपितु सभी देशों की गंभीर समस्या है। गरीब लड़कियां ही अकेली दुष्कर्म एवं यौन शोषण का शिकार नहीं होती बल्कि मध्यम एवं उच्च वर्ग की महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। जेल में कैद कुछ महिलाओं के साथ जेलरों द्वारा, कुछ अपराध संदिग्ध महिलाओं के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा, कुछ महिला मरीजों के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा और कुछ दैनिक वेतनभोगी महिलाओं के साथ ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। यहां तक कि बहरी और गूंगी, पागल और अंधी और भिखारिनों को भी नहीं बख्शा जाता है। इस तरह की घटनाओं से सरकारी कार्यालय, विद्यालय–कॉलेज–विश्वविद्यालय, थाना, अस्पताल तथा न्यायालय आदि जैसे संस्थान जो मूलतः समाज की सहायता के लिए बने हैं और स्वभाव से शरण देने वाले हैं संदिग्ध से हुए जा रहे हैं। इनकी स्वाभाविक रूप से अर्जित साख घट रही है।

देश में हर रोज 100 से ज्यादा बलात्कार होते हैं। हर घंटे में लगभग पांच बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण की घटनाओं में 336% की वृद्धि हुई है। 2016 में बच्चों के साथ बलात्कार के 19765 मामले एवं 2015 में 10854 मामले दर्ज किए गए थे जो 2015 की तुलना में 82% ज्यादा है। ये महज कुछ आंकड़े भर नहीं हैं। प्रत्येक संख्या एक चीखते हुए मासूम चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है, जो जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे संवैधानिक अधिकारों को पल–प्रतिपल खो रहा होता है। ऐसे देश में जहां का सामाजिक ताना–बाना ऐसे मामलों को सामाजिक कलंक से जोड़ देता है, अनगिनत मामले तो पुलिस फाइलों में दर्ज ही नहीं होते।

निठारी, कठुआ, उन्नाव, इंदौर, सूरत, मंदसौर में जो कुछ हुआ है वह राष्ट्रीय शर्म ही तो है। इससे पूरा देश सदमें में है। ऐसी घटनाओं से भय, शोक और क्षोभ का माहौल बन रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी देश में ऐसी स्थिति होना बेहद घृणित, अपमानजनक, शर्मनाक और भयावह है। भारत रेपिस्ट कंट्री क्यों कहलाए? दुष्कर्म के मामले समाज को शर्मिंदा करने के साथ ही देश की छवि खराब कर रहे हैं जो हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए बदनुमा दाग से कम नहीं है। ऐसी भूमि जहां पर लड़कियों को देवी दुर्गा के अवतार के तौर पर पूजा जाता है, वहां माता के जीवंत रूप के साथ इतनी क्रूरता पीड़ादायक है। इन घटनाओं के अपराधी आतंकवादी से कम नहीं हैं। इनको बलात्कारी नहीं, किसी और कठोर शब्द से बुलाया जाना चाहिए।

आजकल दुष्कर्म पुरुषों के लिए खेल जैसा बन गया है। अब तो किशोर भी इस अत्याचार के खेल में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के निर्भया कांड में 17 साल के एक किशोर ने हिस्सा लिया था और उसी ने सबसे बर्बर कृत्य को अंजाम दिया था। उसी की बर्बरता की वजह से निर्भया की मौत हुई थी। बच्चों का अपराधी बनते जाना समाज व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का सबूत है।

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

बच्चियों एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। निर्भया कांड ने देश को विचलित कर दिया था। वर्ष 2012 की हृदय विदारक निर्भया कांड के बाद उभरे जनाक्रोश से लगा था कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा अब सरकार और समाज के एजेंडे पर सबसे ऊपर रहेगा। तात्कालीन केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में आयोग बनाकर कानून में बदलाव के लिए सुझाव देने को कहा। आयोग की सिफारिश पर दुष्कर्म रोधी कानून में कुछ बदलाव किए गए, इसे सख्त बनाया गया, किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में अभियुक्त की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। 2013 के केन्द्रीय बजट में निर्भया फंड नाम से 100 रुपए का प्रावधान किया गया था जिसकी राशि अब बढ़कर 300 करोड़ हो चुकी है। इसका उद्देश्य ऐसे इंतजाम करना था कि महिलाएं असुरक्षित न महसूस करें। देश में 600 ऐसे केन्द्र खोले जाने थे, जहां एक ही छत के नीचे पीड़ित महिला को चिकित्सा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध हो सके। सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, महिला थानों की संख्या बढ़ाने और नई हेल्पलाइनें शुरू करने की बात कही गई थी किंतु दुर्भाग्यवश महिला सुरक्षा को लेकर किए गए तमाम वादे आधे–अधूरे साबित हुए हैं, परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर निर्भया के हत्यारों को अभी तक उनके किए की सजा क्यों नहीं मिली? ये हालात हर हाल में बदलने होंगे क्योंकि आधी आबादी का जीवन सहज एवं सुरक्षित बनाए बगैर हम विकसित तो क्या सभ्य राष्ट्र भी नहीं बन पाएंगे।

बच्चों से यौन अपराध के खिलाफ पहले से ही पॉक्सो एक्ट है। इस एक्ट में पहले से ही सख्ती की जा चुकी है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के साथ किसी भी तरह का यौन अपराध इसके दायरे में आता है। यद्यपि इस एक्ट में उनके लिए सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न और पोर्न जैसे अपराधों से सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान हैं, तथापि उनके प्रति अपराध कम होने के बजाए दिनानुदिन बढ़ ही रहे हैं। यह तो हैवानियत की पराकाष्ठा के अलावा और कुछ नहीं कि साल–दो साल की बच्चियां भी दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। ऐसी भयावह स्थिति में केन्द्र सरकार ने वक्त की मांग एवं जरूरत के अनुसार ही इस मुद्दे को प्राथमिकता में लिया है। केन्द्र सरकार मासूमों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए रेप में कड़ी और जल्द सजा दिलाने वाले एक अध्यादेश लेकर आई है। आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 2018 में आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम कानून, आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) में संशोधन कर ऐसे अपराध के दोषी को सजा–ए–मौत से दंडित करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। कैबिनेट से मंजूर अध्यादेश केन्द्र सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं।

आईपीसी में हुए बदलाव के बाद अब 12 साल तक की बच्ची से रेप करने पर दोषी को न्यूनतम 20 साल जेल या उम्रकैद या फिर फांसी की सजा होगी तथा गैंगरेप करने पर उम्रकैद या फांसी की सजा होगी। 13 से 16 साल तक की लड़की से रेप करने पर दोषी को न्यूनतम 20 साल जेल या उम्रकैद की सजा होगी तथा गैंगरेप करने पर उम्रकैद की सजा होगी तथा पुनर्वास एवं जुर्माने की रकम पीड़िता को देनी होगी। 16 साल से बड़ी लड़की/महिला के साथ रेप करने पर अब सात वर्ष के बजाय 10 वर्ष न्यूनतम जेल से लेकर उम्रकैद की सजा होगी। सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत रेप केस में जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की गई है, वहीं जांच पूरी होने के बाद निचली अदालत में भी सुनवाई दो महीने में ही पूरी होगी। दोषी साबित होने के बाद यदि अपील की जाती है तो अपीलीय अदालत को भी छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करना होगा। इस अध्यादेश में कुछ अहम प्रावधान भी किए गए हैं– बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जाएंगी; ऐसे मामलों में पीड़ित का पक्ष रखने के लिए राज्यों में विशेष लोक अभियोजकों के पद सृजित होंगे; वैज्ञानिक जांच के लिए सभी पुलिस थानों, अस्पतालों में विशेष फॉरेंसिक किट दी जाएंगी; जांच के लिए समर्पित पुलिस बल होगा, जो समय सीमा में जांच कर आरोप पत्र पेश करेगा; क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यौन अपराधियों का डाटा तैयार करेगा, इसे राज्यों से साझा किया जाएगा; तथा पीड़ित की सहायता के लिए देश के सभी जिलों में एकल खिड़की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही, 16 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आरोपी की अग्रिम जमानत का प्रावधान भी खत्म किया गया है एवं आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष या उसके पैरोकार की मौजूदगी को सुनिश्चित किया गया है। छह महीने के भीतर अध्यादेश को संसद से पास कराना होता है। खुशखबरी यह है कि संसद से क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2018 को मंजूरी मिल गई है।

इस कानून को और ज्यादा न्यायसंगत बनाने की जरूरत है। अगर किसी पीड़िता की उम्र 13 वर्ष होगी तो बलात्कारी को कम सजा मिलने को हम कैसे उपयुक्त साबित कर सकेंगे? बलात्कार आखिर बलात्कार होता है, उसे उम्र के

हिसाब से तय नहीं किया जाना चाहिए। रेप का मतलब ही सजा–ए–मौत हो। हालांकि हमें अपने भीतर भी झांकना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजहें हैं कि छह महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्धा तक हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है? वे कब और कहां किस तरह की सामूहिक या निजी पशुता का शिकार बन जाएं कहना मुश्किल है। क्या हमारा मर्दवादी नजरिया, मन का शैतान बलात्कार को प्रोत्साहित नहीं करता? बेटी तो इज्जत होती है, अपनी इज्जत तो बहुत प्यारी लगती है परंतु बहुतों को दूसरों की इज्जत में वासना की मूर्ति नजर आती है। हमारे समाज में घर से दफ्तर तक लड़कियों और महिलाओं को एक उत्पाद के रूप में देखने की सोच मौजूद है। मर्दवादी सोच स्त्री को उपभोग की सामग्री से अधिक मानने को तैयार नहीं है। स्त्रियों के लिए समय–समय पर जारी की जानेवाली पाबंदियों की जांच करें तो पाएंगे कि सबके मूल में स्त्री को नियंत्रित करने की बेचैनी ही रहती है। जब कोई कहता है कि महिलाओं को देर रात नहीं निकलना चाहिए, अकेले नहीं निकलना चाहिए या ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए तो इसमें केवल सलाह नहीं बल्कि एक तरह की धमकी भी छिपी होती है। पिछले कुछ दशकों में हुई महिला सशक्तीकरण के कारण से स्त्री ने इन पाबंदियों को नकारने का हौसला दिखाया है। जैसे–जैसे स्त्री उत्पाद होने की नियती से इंकार कर रही है, वैसे–वैसे मर्दवादी सोच बौखलाहट का शिकार होती जा रही है। स्त्री के साथ होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी का संबंध इस बौखलाहट से भी है। यह हाथ से सत्ता–सूत्र के सरकते जाने की बौखलाहट है। इसलिए हमें सामाजिक सोच को बदलने पर विचार करना होगा।

ऑनलाइन उपलब्ध वयस्क सामग्रियां भी कुंठित मानसिकता पनपने की वजह हैं। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डाटा ने हर तरह की पोर्न सामग्री, खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक लोगों की पहुंच आसान कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से 2014 के बीच बाल यौन शोषण से संबंधित वेब पेज में 147% की वृद्धि हुई। यदि यह सप्लाई है, तो जाहिर है इसकी डिमांड भी होगी। बेशक पोर्नोग्राफी शारीरिक संबंध को उकसाती है। विकृत मनोवृत्ति जगाने वाले मनोरंजन के साधन, हर तरह की लालसा को बढ़ावा देने वाली भोगवृत्ति और प्रगति के नाम पर इसी भोगवृत्ति को जीवन का सही तरीका मानने का चलन भी इस घिनौने अपराध की एक जड़ है। सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित अश्लील सामग्री किसी अभिशाप से कम नहीं है। एक ऐसे समाज में जहां वेश्यावृत्ति अवैध हो और विवाह से पूर्व यौन संबंध पर समाज उबल पड़ता हो, वहां आपराधिक मानसिकता वाले लोग इसे देखकर नवजातों एवं बच्चियों को 'सॉफ्ट टारगेट' बना रहे हैं। बलात्कार के मामलों के पीछे एक वजह सेक्सुअल फ्रस्टेशन भी है। तो क्या पोर्न पर प्रतिबंध लगाना एवं वेश्यावृत्ति को वैध बनाना समाधान है? नहीं, असली जरूरत किशोरों एवं पुरुषों की काउंसिलिंग की है। उन्हें बताना होगा कि महिलाएं उपभोग की वस्तु नहीं हैं, उनके साथ हम एक स्वस्थ एवं सभ्य समाज बना सकते हैं। बच्चे की सबसे पहली पाठशाला परिवार ही होता है। माँ का प्रभाव बच्चे की सोच पर सबसे अधिक होता है। यही वह समय है जब वह बच्चे के अंदर महिला के प्रति सम्मान का भाव पैदा करते हुए नया समाज बना सकती है। अर्थात बेटों की परवरिश ऐसी करनी चाहिए कि वे औरतों की इज्जत करना सीखें।

मानव में एक किस्म की पाशविक प्रवृत्ति हमेशा रही है। सामाजिक मूल्यों का आधार मजबूत हो तो इस प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में सामाजिक मूल्यों के क्षरण से संस्कृति को क्षति पहुँच रही है। दुष्कर्म के अनेक मामलों के केन्द्र में लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़े भी होते हैं। प्रायः लिव–इन रिलेशन में रहने वालों के संबंध में खटास आने के बाद महिला की ओर से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करा दी जाती है। ऐसे मामलों में न्याय से ज्यादा बदला लेने, सबक सिखाने, बदनाम करने या फिर पैसा ऐंठने की मंशा रहती है। यह स्थिति भी चिंताजनक है। बहुत से परिजन अपने बच्चों के प्यार के बीच यहां तक आते हैं कि अपहरण, बलात्कार के फर्जी मुकदमें लिखा देते हैं। ऐसे में लड़की परिवार की मर्जी के खिलाफ जब खड़ी होती है तब कहीं जाकर लड़का कानूनी शिकंजे से निकल पाता है। प्रेम संबंध के मामले में ऑनर किलिंग का मामला भी सामने आता रहता है।

हमारे देश में बलात्कार के लिए अक्सर औरतों पर ही दोष मढ़ा जाता है। हर तरफ अमूमन यही सोच पाई जाती है कि महिला ने ही इसके लिए उकसाया होगा। 'लड़के तो लड़के रहेंगे', से लेकर 'जीन्स पहनने के कारण बलात्कार की घटनाएं होती हैं' तक बेतुकी तर्कों की एक लंबी श्रृंखला यहां मिलती है, लेकिन शायद ही कभी पुरुषों ने इसके लिए खुद को दोषी माना। यौन शोषण एवं हिंसा को रोकने के लिए बच्चों के साथ वयस्कों को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयासों को विस्तार देने की जरूरत है। शिमला में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई बच्ची के पिता जब कहते हैं कि ''भगवान इतनी बड़ी सजा किसी को न दे। मैंने जब अपनी बेटी की बिना कपड़ों की लाश गोद में ली तब उसके शरीर के हर हिस्से को आदमी की शक्ल वाले भेड़ियों ने काट–काट कर खाया हुआ था।'', तो क्या ये शब्द हमारी सभ्यता और संस्कृति पर कालिख पोतने के लिए नाकाफी हैं? मुंबई में जहर खाकर आत्महत्या कर लेने वाले एक बच्चे की अमीर एवं शिक्षित माँ पश्चाताप में कहती है 'हम क्यों नहीं समझ पाए थे कि महीनों से हमारा बेटा यौन उत्पीड़न भोग रहा है? क्या यह बात तरक्की की अंधी दौड़ में भागे जा रहे समाज पर तमाचा नहीं है?

लड़कों के यौन शोषण की सच्चाई को भारत में बार–बार नजरअंदाज किया जाता है। देश के पितृसत्तात्मक ढ़ांचे में लड़कों को कभी पीड़ित ही नहीं माना जाता। सच यह है कि बच्चे और बच्चियां दोनों यौन शोषण का शिकार होते हैं। बलात्कार बहुत आसान कुकृत्य हो गया है। एससीईआरटी (स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग) द्वारा 2017–18 के सत्र में हरियाणा के कई सरकारी स्कूलों में कराए गए सर्वे से खुलासा हुआ है कि वहां तो लड़कियों के मुकाबले लड़के ज्यादा यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं। बलात्कार एक भयानक अपराध है। इसकी भयावहता किसी पुरुष के लिए अपेक्षाकृत कम क्यों होनी चाहिए? इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने पॉक्सो एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रस्ताव दिया है और यदि यह स्वीकार हो जाता है तो सचमुच यह बाल अधिकारों की जीत होगी। हमें कानूनों में मौजूद लैंगिक असमानता को दूर करना होगा।

कार्यस्थल पर यौन शोषण एक सच्चाई है। इसे नियंत्रित करने के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं कानून भी बनते रहे हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में स्पष्ट किया गया है कि शारीरिक सम्पर्क या संकेत, यौन कार्य की मांग या अनुरोध, यौन सूचक टिप्पणियां, अश्लील साहित्य का उपयोग, अन्य अवांछित शारीरिक, शाब्दिक या गैर–शाब्दिक यौन जनित व्यवहार यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम के अनुसार हर निजी या सार्वजनिक संस्थान में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का होना अनिवार्य है। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि कार्यस्थल पर यौन शोषण के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि के बाद भी नियोक्ता द्वारा प्रभावी ढ़ंग से सुनवाई नहीं की जाती, या उसे कानून के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, या फिर उसे आंशिक रूप से लागू किया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा वर्ष 2015 में किए गए एक अध्ययन 'फॉस्टरिंग सेफ वर्कप्लेस' से पता चलता है कि आईसीसी के सदस्य कानूनी रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। ऐसे में कामकाजी महिलाओं को कार्यालयों में सुरक्षित वातावरण का भरोसा कैसे दिलाया जा सकता है? पुरुष गलत व्यवहार करते हैं और यदि उसे आसपास के लोग जानते भी हैं, तब भी उनके विरुद्ध कुछ भी कहने से बचते हैं क्योंकि अक्सर लोग इसे कुछ ज्यादा गलत मानने को तैयार ही नहीं होते। स्त्री को सदैव गलत ठहराए जाने की मानसिकता ही कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती है। तमाम अध्ययन यही बताते हैं कि अधिकांश महिलाएं नौकरी जाने के डर से अपने विरुद्ध हो रहे शोषण की शिकायत नहीं करती। शोषण की शुरुआत में ही प्रतिकार, शोषणकर्ता का साहस तोड़ता है और खामोशी शोषण के स्वरूप को घातक बना देती है। इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए जुलाई 2017 में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'शी–बॉक्स' नाम का पोर्टल लांच किया है जिस पर वे कार्यस्थल से जुड़े यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती हैं। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण को पूरी गंभीरता के साथ समाप्त करने की दिशा में कार्य होना चाहिए क्योंकि कार्यस्थलों पर यौन शोषण एक तरफ कार्यालय के वातावरण को दूषित करता है तो दूसरी तरफ महिलाओं के आत्मविश्वास को समाप्त करता है जिससे कार्यालयों की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

देश के कानून सभी कर्मियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित और समावेशी कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार कर्मी के तौर पर सभी लोग इस कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। पिछले वर्ष हॉलिवुड की कई अभिनेत्रियों द्वारा फिल्म निर्माता हार्वे विंस्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। इस घटना के बाद दुनियाभर में महिलाओं और तमाम पुरुषों के द्वारा 'मी टू' मुहिम शुरु की गई। इस मुहिम में बॉलिवुड की भी कई अभिनेत्रियों और अभिनेताओं सहित जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों ने भी अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में किसी का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर खुलकर बात की। इन्होंने यौन शोषण के विरुद्ध मौन संस्कृति को नकारते हुए सामने आने का साहस किया जो प्रशंसनीय है। इससे इसके प्रति काफी जागरूकता आई है एवं इन घटनाओं में कमी की उम्मीद जगी है क्योंकि जागरूकता की कमी भी ऐसे मामलों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।

महिलाओं की सुरक्षा में पुलिस, प्रशासन तथा न्यायपालिका की अहम भूमिका है और वह इस संदर्भ में अच्छा काम कर सकती हैं। पर्याप्त एवं सक्षम कानून होने के बावजूद ऐसी घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ क्यों रही हैं, इसे समझने की जरूरत है। अपराधशास्त्र का एक पुराना सिद्धांत है कि दंड की गंभीरता से ही नहीं बल्कि उसकी सुनिश्चितता से अपराध रूकते हैं। यदि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि बलात्कारी को एक निश्चित अवधि के दंड की सजा अवश्य मिलेगी तो इन घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के मामलों में दंड पाने वालों की संख्या लगभग 24% है तथा बच्चियों के मामलों में तो यह मात्र 20% है। इसी कारण अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। बलात्कारी खुला घूमता देख बहुत सी बच्चियां, महिलाएं आत्महत्या करने को भी बाध्य हो रही हैं। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि भारत में आजतक सिर्फ एक व्यक्ति को बलात्कार और हत्या के केस में फांसी पर लटकाया गया है। 14 साल तक चले मुकदमे और विभिन्न अपीलों के खारिज जोने के बाद फरवरी 2004 में पश्चिम बंगाल के धनंजन चटर्जी को कोलकाता की

एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार एवं हत्या के मामले में फांसी हुई थी। समस्या कानून में नहीं बल्कि उसके कार्यान्वयन में है। अभी बलात्कार के 95 हजार से ज्यादा केस कोर्ट में लंबित हैं। वर्ष 2016 में देश में 1,06,958 बच्चे यौन अपराध के शिकार हुए। इनमें से मात्र 229 मामलों में निचली अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला दिया है। एक लाख से अधिक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं जबकि पॉक्सो एक्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में निचली अदालत के संज्ञान में आरोप पत्र आने के बाद एक वर्ष के अंदर फैसला आना चाहिए। इनमें से ज्यादातर दुष्कर्मी आश्वस्त हैं कि कानून की पेचीदगियों के चलते वे छूट ही जाएंगे। बलात्कारियों में खौफ न पैदा होने का यही मुख्य कारण है। एक अध्ययन के अनुसार पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के यौन शोषण के अब तक जितने मामले दर्ज हैं और जिस गति से इसके मुकदमों की सुनवाई हो रही है, उसकी सुनवाई पूरी होने में कई राज्यों में 50 से ज्यादा वर्ष तक लगेंगे। यानी आज जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसे न्याय के लिए अपने नाती–पोतों के साथ अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन नए कानून के बन जाने से ऐसी स्थिति नहीं आएगी और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल पाएगा।

इसलिए यह जरूरी है कि पुलिस, प्रशासन एवं न्यायपालिका को ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए ताकि वे इन मामलों को गंभीरता से लें एवं रेप की शिकायत दर्ज जो, मामला शीघ्र अंजाम तक पहुंचे और दोषी को सजा हो। बलात्कार के बहुत से मामले लोक लाज के भय के कारण पुलिस तक पहुंचते ही नहीं, जो पुलिस तक पहुंचती है उन्हें पुलिस दर्ज नहीं करना चाहती। पुलिस बहुत से ऐसे मामलों को पैसे के बल पर रफा–दफा करा देती है। अक्सर अब कोर्ट के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज होती है। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि अदालतों में भी उन्हीं मामलों को प्राथमिकता और गति मिलती है, जो मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। इन मामलों को थाने में दर्ज कराने से लेकर अदालत के दरवाजे तक पहुंचने में इतना वक्त लग जाता है कि आधे से ज्यादा मामले तो लोग यूं ही नहीं लड़ पाते। जाँच एवं न्याय प्रक्रिया की कमजोरी के कारण दुष्कर्म के मामले लंबा खींचती हैं। इसके कारण आरोपित व्यक्ति को सबूतों से छेड़छाड़ करने का अवसर मिलता है और ज्यादातर पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती हैं। कॉलगर्ल एवं वेश्या के साथ शारीरिक संबंध की मनाही नहीं है। इसलिए बहुत से वकील चंद पैसों की लालच में पीड़िता के चरित्र पर ही ऊंगली उठा देते हैं और पीड़िता को अपने साथ हुए अपराध साबित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। विलंब से मिलने वाला न्याय एक तरह से अन्याय के बराबर होता है। इससे समाज में कानून का डर कम हो जाता है और न्यायपालिका की ओर से मिलने वाले संदेश का असर भी कम हो जाता है। दुष्कर्म पीड़िता को त्वरित न्याय मिलने से न सिर्फ पीड़िता और उसका परिवार न्याय पाने का अनुभव करेगा बल्कि उस न्याय का संदेश भी दूर तक जाएगा और अपराधी ऐसे अपराध करने से डरेंगे।

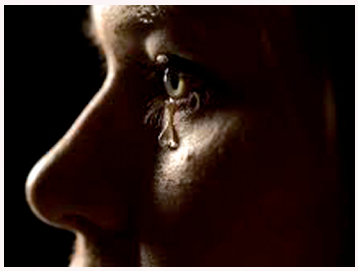

यदि देश में पुलिस एवं न्याय व्यवस्था में सुधार हो जाए तो बलात्कार समेत बहुत से अपराधों को कम किया जा सकता है। दुष्कर्म के मामलों में शीघ्र न्याय तब संभव है जब जांच प्रक्रिया में शुरू से ही सावधानी बरती जाए। आज ज्यादातर राज्यों के पुलिस बल कामचलाऊ एवं कम अवधि के प्रशिक्षण के भरोसे काम करने को मजबूत हैं। पुरुष–प्रधान मनोवृत्ति अक्सर पुलिस विभाग में भी दिखाई देती है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनसे यह पता चलता है कि दुष्कर्म के मामलों की जांच में न्यूनतम संवेदनशीलता का भी परिचय नहीं दिया जाता। इसलिए दुष्कर्म के मामलों में लगे पुलिसकर्मियों का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। पीड़िता की संवेदनाओं को समझते हुए उसका बयान दर्ज करते समय उसके मानवाधिकार और आत्मसम्मान का ख्याल रखना भी आवश्यक है। यौन अपराधों की जांच के दौरान पुलिस के सामने सबूतों को जमा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि ज्यादातर मामलों में अपराधी करीबी होता है। पुलिस के पास आरोप सिद्ध करने के लिए केवल पीड़िता का बयान और मेडिकल रिपोर्ट होती है। दूसरे सबूतों की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब की कमी है। इस कमी को दूर करना होगा। निसंदेह यह भी जरूरी है कि डीएनए परीक्षण समय रहते किया जाए। यह सब करके ही संशोधित कानून का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्म के मामलों को एक निश्चित अवधि में फैसले तक पहुँचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने फॉरेंसिक विशषज्ञों से कहा है कि वे बलात्कार के मामलों में पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी तकनीक अपनाएं। केन्द्र सरकार ने हाल ही में फॉरेंसिक जांच में डीएनए तकनीक की अहमियत के मद्देनजर डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) नियमन विधेयक, 2018 को मंजूरी दी है। अपराध के तेजी से बदलते परिदृश्य से निपटने के लिए नई तकनीकें विकसित करनी होगी जिससे सुनिश्चित हो सके कि अपराधी बच नहीं पाएं।

यद्यपि पुलिस और कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है तथापि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनपर राजनीतिक आकाओं के नियंत्रण में कमी की जाए। उन्नाव और कठुआ दोनों ही मामलों में पुलिस पेशेवर संगठन की तरह काम न

करके अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में लगी थी। बलात्कार का आरोपी उन्नाव का विधायक उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी से संबंधित है। प्रदेश की राजधानी से लेकर थाने तक जातिगत समीकरण उसके पक्ष में थे इसलिए जब पीड़िता थाने में शिकायत करने गई तो केस दर्ज नहीं की गई। अदालत के आदेश पर कई दिनों बाद केस दर्ज हुआ तो केस वापस लेने का दबाव शुरू हो गया। पीड़िता के परिजनों को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद उसके पिता की विधायक समर्थकों ने पीट–पीटकर हत्या कर दी। फिर मीडिया में मामला इतना उछल गया कि उसे दबाया नहीं जा सका। किंतु सबको यह पता है कि जिन भी मामलों में आरोपी का संबंध सत्तापक्ष से होता है, उनमें जांच भूलभुलैया में भटककर रह जाती है। ताकतवर व्यक्ति या समुदाय आज भी पूरे तंत्र को उंगलियों पर नचा रहे हैं और एक साधारण व्यक्ति का सुरक्षित रहना सिर्फ एक संयोग है। और तो और, उसके साथ अन्याय होने पर उलटे उसी को दोषी भी ठहरा दिया जाता है।

कठुआ (जम्मू कश्मीर) में सत्ता गठबंधन में शामिल दो दल साम्प्रदायिक कारणों से अलग–अलग पीड़िता और दोषियों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। इस मतभेद का सीधा असर कठुआ पुलिस पर दिखाई दिया। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसका फैसला तो अदालत करेगी, पर जिस तरह से विवेचकों को मुख्यमंत्री द्वारा बार–बार बदला गया, उससे मन में संदेह होना लाजिमी है। पुलिस को ज्यादा पेशेवर, विवेचना में दक्ष, बेहतर उपकरणों से सुसज्जित और प्रशिक्षित करके हम कठुआ या उन्नाव की पुनरावृत्ति रोक सकते हैं।

एक पहलू यह भी है कि देशभर में 1800 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए 4144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था लेकिन 13 राज्यों में एक भी फास्ट ट्रैक अदालतें काम नहीं कर रही हैं। इसलिए अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त फास्ट ट्रैक अदालतों का इंतजाम किए बगैर फांसी की सजा का प्रावधान करने से बलात्कार पीड़िता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अपनी पहचान छुपाने और सजा से बचने के चक्कर में बलात्कारी दुष्कर्म के बाद पीड़िता की हत्या भी करने की सोच सकते हैं। दुष्कर्म में 90% से अधिक रिश्तेदार या जान–पहचान वाले ही शामिल होते हैं। घर–परिवार के अंदर तमाम लोग यह कहने लगेंगे कि किसी की जान लेने से क्या फायदा? उसे सुधरने का मौका दिया जाए। अर्थात पीड़िता पर केस को सुलझाने के लिए पारिवारिक, सामाजिक दवाब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और किसी सपोर्ट सिस्टम के अभाव में पीड़िता के लिए आरोपी के खिलाफ अदालत में मजबूती से गवाही देना और कठिन हो जाएगा। इसलिए अविलंब फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए।

आज देश भर से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और अन्य तरह के अन्याय की खबरों की बाढ़ आई हुई है, इसलिए महिला आरक्षण विधेयक अविलंब पास होना जरूरी है ताकि महिलाओं का हौसला बढ़े, उनका सशक्तीकरण हो, वे खुद भी अपनी समस्या का समाधान खोजने के काबिल हों। आज स्त्री ने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर वे मुकाम हासिल किए है जिनपर पुरुषों का कब्जा रहा है। उनकी उपस्थिति स्कूल–कॉलेजों में ही नहीं, कोर्ट–कचहरियों से लेकर तमाम दफ्तरों एवं पेशाओं में है। वह अब हर जगह दिखाई देती है, लेकिन अपने ही खिलाफ होते अत्याचारों, बलात्कारों और हत्याओं की बाढ़ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि वहां उसकी आवाज मुकम्मल नहीं है। जब विधायिका ही उनके अधिकारों के प्रति उदासीन होगी तो फिर हालात कैसे सुधरेंगे?

जिस समाज में स्त्रियों की स्थिति दोयम दर्जे की हो, जहां उनके प्रति तमाम तरह के अपराध होते हों, वहां स्त्रियों की समस्याओं से जुड़े तमाम नारीवादी आंदोलन होते रहने चाहिए। लेकिन आंदोलन के मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिनसे वास्तविक समस्याएं नेपथ्य में न चली जाएं। उनकी मुख्य समस्याओं में संपत्ति का वास्तविकता में अधिकार न मिलना, असमान एवं कम वेतन एवं अन्य सुविधाओं की असमानता, लैंगिक बराबरी न होना आदि जैसे मुद्दे हैं। यदि ये मुद्दे हल हो जाएं तो उनके जीवन में वास्तविक बदलाव आएगा एवं शायद बहुत सारे फैशनेबल नारीवादी आंदोलनों की उन्हें जरूरत ही न पड़े। 'क्लिक विद पैड', 'ब्रा–लेस वीमेन', 'रोड री–क्लेम' एवं सरेआम स्तनपान कराने जैसे अभियान स्त्रियों को उसकी वास्तविक समस्याओं से दूर ले जाते हैं।

बढ़ती सूचना तकनीक और महिला अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता से यह माने जाने लगा था कि इससे धीरे–धीरे देश में महिलाओं का जीवन बेहतर होगा किंतु पुरुष सत्तात्मक सोच तकनीक को भी प्रभावित कर रही है और भारत में घटित मोबाइल क्रांति महिलाओं का जीना और दूभर कर रही है। आए दिन उसे अभद्र–अश्लील कॉल और मैसेज का सामना करना पड़ता है। पुलिस में शिकायत करने पर पहले स्तर पर मात्र चेतावनी दी जाती है। इससे अश्लील और अभद्र फोन करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। इसपर ध्यान देने की जरूरत है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करतीं। यहां पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा ट्रोल की जाती हैं। पिछले वर्ष क्रिकेटर मिताली राज, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और तापसी पुन्नु को इनके कपड़ों और व्यक्तिगत जीवन को लेकर ट्रोल किया गया। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल–बूते पूरी दुनिया

में अपनी पहचान बनाई है। जब समाज की इन प्रसिद्ध महिलाओं की ऐसी स्थिति है तो देश की आम महिलाओं की सोशल मीडिया में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने परंपरागत और आधुनिक सोशल मीडिया में महिलाओं को अभद्र और अशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत एक केन्द्रीय एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है। ऐसा प्रावधान करने के लिए 'स्त्री रुपण प्रतिषेध अधिनियम, 1986' में किसी विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रकारी, रेखांकन या अन्य किसी भी माध्यम से महिलाओं को अशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने से रोका गया है लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद से नई टेक्नोलॉजी के परिणामस्वरूप मीडिया के कई रूप– इंटरनेट, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सिस्टम, केबल टेलीविजन, स्काइप, वीबर, व्हाट्सएप, चैटऑन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आदि सामने आ गए हैं। इसलिए इस अधिनियम में संशोधन कर इसके दायरे को व्यापक बनाने की जरूरत है।

अब 18 वर्ष के बच्चे यानी बालिग होने के बाद भी यौन अपराधों की शिकायत की जा सकेगी। हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि यौन अपराध की शिकायत के लिए पहले की समय–सीमा 18 साल को बढ़ाकर 25 कर देना चाहिए। अभी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष आयु तक के लड़के–लड़कियां दोनों अपने प्रति हुए किसी तरह की छेड़छाड़, पोर्न दिखाने या पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने की शिकायत कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि शिकायतकर्ता के बालिग होते ही उसका यह अधिकार समाप्त हो जाता है। अक्सर बच्चे ऐसे अपराध को कभी डर से तो कभी संकोच से किसी को नहीं बता पाते। उनके माता–पिता भी अक्सर अपराधियों के डर या खराब आर्थिक स्थिति या बच्चे के द्वारा उस समय कुछ न बता पाने या फिर सामाजिक लांछन के कारण अपराधियों की शिकायत नहीं कर पाते। ऐसे में अपराधी बिना कोई सजा पाए आजाद घूमते रहते हैं। इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है और ऐसे अपराधी बार–बार ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। निरीह बच्चे आसानी से इनके शिकार बनते हैं। इसलिए बहुत से देशों में बच्चों के प्रति किए यौन अपराधियों की शिकायत करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वहां शिकायत कभी भी की जा सकती है। जिन बच्चों के साथ यौन अपराध किए जाते हैं, प्रायः वे जीवनभर इस आघात से नहीं उबर पाते। इसलिए यौन अपराधों की शिकायत के लिए उम्र और वर्ष का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को इस बात से राहत नहीं मिलनी चाहिए कि जिस बच्चे के साथ उन्होंने दुराचार किया, वह तो अब बालिग हो गया है, अब शिकायत नहीं कर सकता। इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसे अपराधियों में यह डर जरुर पैदा होना चाहिए कि उनके कुकर्म की शिकायत कभी भी की जा सकती है। इससे बच्चे के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आएगी।

गुलामी का एक घिनौना रूप मानव व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे समाज में कोढ़ की तरह फैला हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रति आठ मिनट पर एक बच्ची गुम होती है। ये बच्चे मानव तस्करी के शिकार होकर बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति आदि के लिए खरीदे–बेचे जाते हैं। इनका बचपन छिन जाता है और वे भय, हिंसा, यौन शोषण के साए में जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। भारत में प्रति वर्ष लाखों बच्चे एवं महिलाएं मानव तस्करी के शिकार होती हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए 26 जुलाई, 2018 को लोकसभा में 'व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद मानव तस्करी पर लगाम कसने में काफी मदद मिलेगी। तस्करी के शिकार होने वाले बच्चों एवं महिलाओं के लिए प्रस्तावित कानून एक वरदान है। इस विधेयक में मानव तस्करी के अपराधों के खिलाफ जिला, राज्य और केन्द्र के स्तर पर सामूहिक तंत्र बनाने एवं मानव तस्करी में दोषी पाए जाने वालों के लिए 10 वर्ष तक के सश्रम कारावास के अलावा कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना शामिल है। इस प्रस्तावित कानून के तहत पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक कोष की स्थापना का प्रावधान है। इसकी शुरूआत 10 करोड़ रुपए से की जा रही है। यह कोष इसलिए जरुरी है क्योंकि पुनर्वास के लिए धन का आवंटन सुनिश्चित नहीं होता था। प्रस्तावित कानून के तहत सीमा पर तस्करी रोकने के लिए राष्ट्रीय तस्करी विरोधी ब्यूरो की स्थापना की जाएगी और स्थानीय स्तर पर पहले से मौजूद इकाइयां इसका सहयोग करेंगी। जिला स्तर पर मानव तस्करी विरोधी इकाइयां होंगी जिसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल होंगी। यह कानून केवल आपराधिक दंड तक सीमित नहीं है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपराध की रोकथाम और पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं यौन शोषण के शिकार बच्चे एवं महिलाएं उम्मीद भरी निगाहों से इस कानून की तरफ देख रहे हैं क्योंकि यह कानून उनके सिसकियों को मुस्कुराहटों में बदलने का सामर्थ्य रखता है। इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि यह विधेयक

पूरी तरह पीड़ितों को केन्द्र बिन्दु में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे सभी बालगृहों एवं सुधार गृहों का दौरा करें।

समाज में अनाथ लड़के–लड़कियां, वृद्ध, दिव्यांग आदि अनेक ऐसे समूह हैं जो बेहद अमानवीय स्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। इनके उद्धार के नाम पर बनी और सरकारी पैसों से चलने वाली शेल्टर होम या सुधार गृह दरिंदगी के अड्डे बन गए हैं। यहां बेसहारा बच्चियां एवं महिलाएं रसूखदारों के हवस का शिकार बन रही हैं। इससे लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता कि इन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाए। बच्चियों एवं महिलाओं का बेसहारा होना ही उन्हें ऐसी दरिंदगी का आसान शिकार बनाता है। इन शेल्टर होम्स के संचालक बेहद रसूखदार होते हैं। वे जानते हैं कि ये पीड़ित न तो आवाज उठा पाएंगे और यदि आवाज उठाई भी तो उसे आसानी से दबाया जा सकता है क्योंकि संचालकों को प्रायः राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है। राजनीतिक संरक्षण के बल पर इन शेल्टर होम्स में हैवानियत का खेल खेला जाता है क्योंकि राजनीतिज्ञ कानूनी कार्रवाई को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। यह सारा खेल पैसा, पावर और फ्री सेक्स का है। अगर सरपरस्त ही सौदागर बन जाएं और समाज के पहरेदारों को अपनी काम वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज न हो तो फिर किसी शेल्टर होम में बच्चियां और महिलाओं की इज्जत–आबरू कैसे सुरक्षित रह सकती है? अभी हाल ही में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज की रिपोर्ट से बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ है एवं वहां मिली 40 लड़कियों में से 34 के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हुई है। इन लड़कियों को नशीली दवाएं देकर गलत काम के लिए मजबूर किया जाता था। मना करने पर इन लड़कियों से मारपीट की जाती थी। जो काम टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज की टीम ने किया, वह बिहार सरकार की अपने एजेंसियां भी कर सकती थीं और इन घटनाओं पर अंकुश पहले ही लग सकता था। मुजफ्फरपुर का मामला शांत होने भी न पाया था कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ गया। देवरिया में कुछ बच्चियों से रेप की पुष्टि हुई है एवं सात बच्चे गायब मिले। देवरिया के शेल्टर होम के खिलाफ पहले से शिकायत दर्ज थी, उसका लाइसेंस तीन साल पहले निरस्त किया जा चुका था। इसके बावजूद न केवल यह शेल्टर होम निर्बाध चल रहा था बल्कि वहां अवैध और अनैतिक गतिविधियां भी नहीं रोकी जा सकीं। सरकार से अनुदान बंद होने के बावजूद कोई संस्था अगर काम कर रही थी तो समाज सेवा तो नहीं ही कर रही होगी। किसी भी संस्था का इस तरह और इतने लंबे समय तक अनुदान

चालू हो जाने की प्रत्याशा में चलते रहना संदेह जगाता है। काश, जिस बच्ची ने यह दुखद बयान पुलिस को दिया है कि लड़कियां रात में कारों से बाहर भेजी जाती थीं और सुबह रोते हुए लौटती थीं– सच न होता।

ऐसे मामले सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और न ही ये पहली बार हो रहे हैं। ऐसा सिलसिला लगातार जारी है। बस जगह, तारीख एवं लड़कियों के नाम बदलते रहते हैं। 2012 में हरियाणा के रोहतक और करनाल के एक–एक शेल्टर होम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2013 में महाराष्ट्र के एक शेल्टर होम में भी कुछ बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। 2015 में देहरादून के एक नारी निकेतन में कुछ मूक बधिर महिलाओं के साथ रेप तथा दो मूक–बधिर महिलाओं के गायब होने का मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी एक शेल्टर होम से तीन नाबालिग लड़कियां और एक युवती भाग निकलीं थीं, जिनमें दो बाद में वाराणसी में मिलीं। तमाम टीमों की खानापूरी और नियमित निरीक्षण के बावजूद ऐसा घिनौना कृत्य चलता रहा, इसलिए यह जरूरी ही था कि देश भर में ऐसे तमाम केन्द्रों की जांच अबतक पूरी हो गई होती। दरअसल शेल्टर होम्स की देखभाल, जांच एवं निगरानी को लेकर पुख्ता सिस्टम नहीं हैं। आमतौर पर शेल्टर होम की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट, जिला जज, जिला प्रोबेशन अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी करते हैं, लेकिन लगता है कि इन सभी स्तरों पर निगरानी का काम अपेक्षित तरह से नहीं हो रहा है। इसमें प्रशासनिक लापरवाही साफ दिख रही है।

अभी तक इन होम्स की ऑडिट के नाम पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का ही ऑडिट होता रहा है, इनका सोशल ऑडिट, इनके संचालकों को लेकर जिस तरह का ऑडिट होना चाहिए, वैसा ऑडिट नहीं हुआ। ऐसे मामले सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं हैं, लिहाजा कम से कम अब से कोर्ट के निर्देश पर रखी गई इन बच्चियों, महिलाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार देश के सभी संस्थाओं की नियमित निगरानी, सोशल आडिट, रिव्यु तथा यहां के माहौल की पुख्ता जांच कराई जाए ताकि 'सेक्स स्लेव' बनना उनकी नियति न बने और हमें भी इस समाज में जिंदा रहने पर शर्मिंदगी न महसूस हो। उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिले, इसकी चिंता सरकारों के साथ–साथ

समाज को भी करनी चाहिए। ऐसा करके काफी हद तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। एक के बाद एक सामने आ रहे ऐसे तमाम मामलों से निपटने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग बिल पास हो चुका है। ज्यादा सख्त और दूरदर्शी कानून के अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां अपना काम मुस्तैदी से करें एवं समयबद्धता का पालन करें। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चाहता है कि राज्यों में निराश्रित महिलाओं के लिए सेंट्रलाइज होम हों जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जाएं। केन्द्रीयकृत व्यवस्था से उन्हें सुरक्षा तथा कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाने में सहूलियत होगी जिससे वे वहां से निकलकर एक सुखद और बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शेल्टर होम या सुधार गृहों के पीछे इसी आदर्श की परिकल्पना की भी गई थी। ऐसी संस्थाओं को हमें इसी दिशा में ले जाना होगा। देश में अभी 9589 शेल्टर होम हैं, इनमें से 8744 को एनजीओ चलाते हैं एवं शेष राज्य सरकारें संचालित करती हैं। केन्द्र सरकार ने भी माना है कि इन शेल्टर होम्स में 1575 बच्चों का यौन शोषण हुआ है जिनमें 1286 लड़कियां हैं। इनके अभियुक्तों पर पॉस्को के तहत केस चल रहा है।

बच्चियों एवं महिलाओं के बलात्कार तथा यौन शोषण के लिए कुछ सामाजिक कुरीतियां, कुछ अंधविश्वासी समाज, समाज में सहयोग तथा सदभाव का अभाव, नागरिकों में कर्तव्यनिष्ठा एवं जागरूकता का अभाव भी जिम्मेदार है। धर्म और अध्यात्म को गंदा धंधा बना देने वाले कथित संत आसाराम, गुरमीत राम रहीम, रामपाल, दाती महाराज हों या ढ़ोंग का साम्राज्य खड़ा करने वाले अन्य तमाम फर्जी बाबाओं के खुलते राज, वह सब हमें सचेत कर रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं बताती है कि बाबागिरी भारत में इतना बड़ा धंधा है जहां बिना किसी विशेष निवेश के असंख्य भक्तों एवं अकूत संपत्ति से मालामाल हुआ जा सकता है। देश में ऐसे कथित संतों, महात्माओं की कमी नहीं है जो अपने शिष्यों की नजर में लगभग भगवान का स्थान पाकर भी घृणित कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। बहुत से व्यक्ति इन कथित धर्मगुरुओं के आभामंडल से इस कदर प्रभावित रहते हैं कि उनके बारे में कुछ भी निगेटिव सुनने को तैयार नहीं होते। दादा के उम्र के आसाराम के हवस की शिकार बनी उस नाबालिग लड़की का पूरा परिवार इस स्वघोषित संत को 'बापू' कहा करता था। जब उस बच्ची ने आसाराम की गलत हरकतों की शिकायत अपने माता–पिता से की तो उसे उनसे डांट मिली। वह किसी तरह आसाराम के चंगुल से भाग निकली एवं अपने माता–पिता को पापी के विरुद्ध लंबी एवं कठिन लड़ाई लड़ने को तैयार किया। मुकदमा के दौरान तीन गवाहों की हत्या हो गई एवं कई पर जानलेवा हमला किया गया। इन गरीब लोगों को न्यायालय के अंदर और बाहर भीषण लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमारा समाज प्रायः समृद्ध बलात्कारियों से उतनी घृणा नहीं करता जितना कि उसकी शिकार लड़कियों से दुर्व्यवहार करता है। आसाराम को अंततः आजीवन जेल की सजा हुई। इन सबके बावजूद लगता नहीं कि समाज में कथित संतों का प्रभाव जल्दी खत्म होने वाला है। ऐसे में अभिभावकों से यही अपील की जा सकती है कि अपने बच्चियों को इनसे दूर रखें और उन्हें पढ़ाई–लिखाई के जरिए अपना व्यक्तित्व विकसित करने दें। अब समाज को फर्जी बाबाओं का मूल चरित्र समझकर इनसे तौबा करने की जरूरत है। परिवार एवं समाज को सजग होना पड़ेगा। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ ही संदिग्ध लोगों से सावधान करना होगा।

हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक देश में धार्मिक व्यक्ति, संस्थाएं और धर्मस्थल तमाम कराधानों से मुक्त रहे हैं। साधु का वेश धरे शैतान भला अपनी आमदनी की भनक किसको लगने देंगे। ये धर्म की आड़ लेकर कई धंधे करते हैं एवं टैक्स चोरी करते हैं एवं समृद्ध बने रहते हैं। यह अच्छा है कि अब ये सभी नए कर प्रावधानों के अंतर्गत आ गए हैं। अब धर्मस्थलों को सालाना 20 लाख से अधिक की आय पर जीएसटी चुकाना होगा।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लंदन की थामसन राइटर्स फाउंडेशन ने जून–जुलाई, 2017 के दौरान जब दुनिया के महानगरों का सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि देश की राजधानी दिल्ली सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की असुरक्षा के मामले में संसार में बगोटा, मैक्सिको सिटी और लीमा के बाद चौथे स्थान पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा फरवरी 2018 में एक डीटीसी बस में सफर कर रही थी। उसके बगल में बैठे एक व्यक्ति ने उसकी ओर देखते हुए वहीं हस्तमैथुन शुरू कर दिया। उस छात्रा ने उसे मना किया पर वह नहीं माना। लड़की ने शोर मचाकर लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की किंतु सहयात्री, ड्राइवर तथा कंडक्टर मूकदर्शक बने रहे। उस नौजवान छात्रा ने हिम्मत नहीं हारी और इस गंदी हरकत को अपने मोबाइल में रिकार्ड कर उसे ट्विटर पर डाल दिया और अंततः उस घिनौने व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उस छात्रा के हौसले और जज्बे को सलाम है किंतु उस बस के सहयात्री, ड्राइवर, कंडक्टर उस नीच व्यक्ति के समान ही भर्त्सना के पात्र हैं जिसने ऐसी नीचतापूर्ण हरकत की। कठुआ में एक आठ साल की बच्ची से कई दिन तक सामूहिक बलात्कार होता रहा, पर पुलिस ने जब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो बहुत से लोग धर्म की वजह से आरोपितों के पक्ष में सड़कों पर उतर आए। यह शर्मनाक है। समाज सहयोग और सद्भाव से बनता है। दुर्भाग्यवश हमारा सद्भाव तो कब का सांप्रदायिकता और जातिवाद की बहस के हवाले हो चुका है, अब अगर सहयोग भी लड़खड़ा

गया, तो अपने बनाए जंगलराज में हम कितने सुरक्षित रह पाएंगे? हम अगर अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करें तो ऐसे तमाम कांड कभी आकार ही न लें।

राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के मुरथल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 22–23 फरवरी, 2016 के दौरान कई कारों से महिलाओं को खींचकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हो–हल्ला होने पर एक जांच आयोग भेजा गया, जिसने कुल मिलाकर मामले पर लीपापोती ही की। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे तो बना लिए लेकिन उस पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं किए जा सके। ग्रेटर नोएडा के जेवर के कुछ लोग अपने परिवार की अस्पताल में भर्ती एक महिला की तीमारदारी के लिए देर रात घर से निकले तो रास्ते में बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, पहले लूटपाट की फिर चारों महिलाओं को खींचकर पास के खेत में ले गए और उनसे गैंगरेप किया। घर के एक नौजवान ने प्रतिरोध किया तो उसे गोली मार दी। जब बाप के सामने बेटी के साथ बलात्कार हो, बेटी माँ के साथ ऐसा होता देख रही रही हो और पास में बेटे का शव पड़ा हो, तो सिर्फ सरकारों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अपराध करने वाले दरिंदे आसमान में नहीं हमारे आसपास रहते हैं, उन्हें पहचानना होगा। जितना इनकी अनदेखी करेंगे, वे उतना ही बढ़ते जाएंगे। देर रात में महिला यदि अकेले निकल जाए तो कहीं उसे जबरन उठाने के प्रयास किए जाते हैं, कहीं गंदी इशारे किए जाते हैं तो कहीं खुलेआम 'रेट' पूछा जाता है।

आधे से ज्यादा यौन शोषण एवं हिंसा के मामलों में शराब और नशीली दवाओं की भूमिका रहती है। इसलिए नशे पर रोक से यौन शोषण घटेंगे। दरअसल नशे में व्यक्ति को यह ध्यान नहीं रहता है कि उसके अनुचित व्यवहार से उसके एवं महिला के लिए क्या परिणाम होंगे। अनेक पार्टियों एवं समारोहों में महिलाओं पर शराब पीने के लिए दवाब बनाया जाता है ताकि उनके यौन शोषण में आसानी हो। शराब पीने के बाद महिलाएं इन शोषणों को रोकने में असमर्थ हो जाती हैं। इसे देखते हुए विभिन्न सावधानियों का प्रचार–प्रसार जरूरी है। एक गीत है 'मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटका ले मुझे अल्कोहोल से' – इस गीत में महिला अपने को वस्तु बता रही है और शोषण के लिए आमंत्रित कर रही है। इस गीत को फन न समझें। नारी की भी यह जिम्मेदारी है कि वह खुद ही अपने आप को भोग की वस्तु न बनाये। स्कूल–कॉलेज, विवाह, समारोह में हर जगह ऐसे गाने गाए एवं बजाए जाते हैं। क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कुछ स्वनियमन भी होना चाहिए।

दरअसल समाज की ठेकेदारी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि स्त्री महज इस्तेमाल की चीज रह गई है। यह सब इसलिए हुआ कि स्त्री के मामले को हमने कभी गंभीरता से देखा ही नहीं। हमने कानून तो बनाए लेकिन हम उन्हें लागू करने के प्रति दृढ़ एवं ईमानदार नहीं हैं। पितृसत्तात्मक समाज का महिलाओं के प्रति नजरिया तोड़ने में किसी की विशेष रूचि नहीं दिखती। लगता है जैसे कि बलात्कार या यौन हिंसा मर्दवादी समाज का हक बन चुका है और मर्द की इच्छा के सामने अपने शरीर पर स्त्री के हक का महत्व ही नहीं रह गया है। हमें यह नजरिया हर हाल में बदलना होगा। समाज, शासन–प्रशासन, सरकार, न्यायालयों को पीड़िता के साथ तत्परता से खड़ा होना होगा। समझना होगा कि एक स्त्री खुद को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर पा रही है? महिलाओं के पोषण एवं संरक्षण के लिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाया जाए। शर्म इस बात के लिए करनी होगी कि हम आजादी के 70 वर्षों बाद भी अपनी सड़कें, यातायात के साधन, गांव–कस्बा–शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बना पाए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कानून को सख्त बनाना स्वागतयोग्य है। अब यह भी देखना होगा कि सख्त कानून का दुरुपयोग न होने पाए, क्योंकि अपने देश में यह काम भी खूब होता है। दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून का समयबद्ध पालन सुनिश्चित कराकर वहशी मानसिकता वालों के मन में डर पैदा करना जरूरी है। मंदसौर में 26 जून 2018 को एक सात वर्ष की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी हुई थी। सेशन कोर्ट ने तत्परता दिखाते हुए दो महीने के अंदर ही दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुना दी है। इससे आशा की एक किरण जगी है। फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होंगी, बलात्कारियों के मन में उतना ही भय पैदा होगा।

आदर्श कानून व्यवस्था समाज की स्वाभाविक इच्छा होती है, लेकिन कानून व्यवस्था भी आदर्श समाज की प्यासी होती है। विधि, विधेयक, अधिनियम एवं सभ्य परंपरा को सम्मान देने वाले समाज का निर्माण सामाजिक दायित्व है। माता–पिता, गुरू, धर्मगुरू, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आएं एवं भारतीय समाज का सांस्कृतिक चैतन्य जागृत करें। सामाजिक, राष्ट्रीय मर्यादा का भय हो, तभी कानून का भय भी होगा। अर्थात कानून के साथ समाज भी सक्रियता दिखाए। बलात्कार एवं यौन शोषण की घटनाओं को महज कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। गांव–देहातों में थानों के सहारे कानून का पालन कम होता है और वहां स्थानीय कारक ज्यादा प्रभावी होते हैं। ऐसे में समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक काम करना होगा। देश के समाज सुधारकों, बुद्धिजीवियों, मनोचिकित्सकों और साहित्यकारों, सभी के साथ मिल–बैठकर इस सामाजिक विकार को शीघ्र दूर करने की पहल करनी चाहिए, अन्यथा दुनिया की नजरों में हम बहुत घिनौने बन जाएंगे।

प्रेरणादायक कहानियाँ

सुधा वोहरा*

अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस (13 मई 2018) के अवसर पर प्रस्तुत हैं कुछ माँओं की प्रेरणादायक कहानियाँ:

अंशु जैमसेपना : बेटी के एक शब्द ने हिम्मत दी

अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला की अंशु जैमसेनपा ने पिछले साल पांच दिन के भीतर दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर नया इतिहास रच दिया। इससे पहले भी वह दो बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर चुकी हैं। पर्वतारोही होने के साथ–साथ अंशु दो बेटियों की मां भी हैं। वह कहती है, लोग आलोचना कर रहे थे कि अपने शौक के लिए बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही हो। मगर मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे अपनी मां से प्रेरणा लें। मैं जानती थी कि एवरेस्ट पर जान भी जा सकती थी। ऐसे में अपने बच्चों के लिए मैंने डायरी लिखना शुरु किया ताकि अगर कुछ हो जाए तो मैं उन्हें बता सकूं कि उनकी माँ स्वार्थी नहीं थी। वह आगे बताती हैं, 'छोटी बेटी को लगता था कि पर्वतारोहण भी एक प्रकार का खेल है। इसलिए जाने से पहले उसने मुझसे बोला, मम्मी बेस्ट होकर आना। वस यही शब्द मुझे हौसला देता रहा।'

मनप्रीत कौर: मां बनने के बाद स्वर्णिम सफलता

साल 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट का स्वर्ण जीतने वाली मनप्रीत कौर को सुपर मॉम भी कहा जाता है। शारीरिक क्षमता वाले इस खेल में मां बनने के बाद वापसी करना आसान नहीं था। बेटी जसनूर का जन्म बड़ी मुश्किलों के साथ ऑपरेशन के जरिए हुआ। एक समय था जब लगा कि उनका करियर अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। 16 महीने की बेटी को दादी की देखरेख में छोड़ा और धीरे–धीरे अभ्यास करना शुरु किया और स्वर्णिम वापसी की की। हालांकि अब उन्हें दूसरे दबाव से जूझना पड़ता है, पांच साल की बेटी अक्सर मिलने की जिद पर अड़ जाती है, जिसे समझाना मुश्किल हो जाता है।

वंदना सूरी: महिलाओं के लिए टैक्सी सर्विस

वंदना सूरी एक मां होने के साथ–साथ 'टैक्सशी' नाम से दिल्ली और बेंगलूरु में टैक्सी सर्विस चलाती हैं, जिसकी सभी ड्राइवर महिलाएं हैं। ये टैक्सी स्कूली छात्रों और महिलाओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती हैं। वंदना खुद एक अकेली मां हैं और अकेले सब कुछ करने की वजह से उन्हें इस नए आइडिया पर काम करने की हिम्मत मिली। वह बताती हैं कि दिल्ली में कैब ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म की खबर सुनकर उन्हें लगा कि अगर ड्राइवर भी महिला होती तो.....। बस यहीं से उन्होंने कंपनी की शुरुआत की और वह भी अकेले दम पर।

रजनी बाला: 29 साल के बाद अधूरा सपना पूरा

सपनों को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा नहीं होती। पंजाब के लुधियाना की रजनी बाला ने 44 साल की उम्र में अपने बेटे के साथ दसवीं की परीक्षा पास कर इस बात को साबित कर दिया है। रजनी ने 1989 में नौवीं पास की थी, लेकिन परिवार की मजबूरियों के चलते सिर्फ दो दिन पहले 10वीं की परीक्षा में नहीं बैठ पाई। चुनौतियां बहुत सी थीं, लेकिन हार नहीं मानी। बेटे के साथ परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने खुद को मशीन बना दिया। सुबह चार बजे उठकर पढ़ना, फिर परिवार के लिए खाना बनाना, नौकरी पर जाना और अपने बेटे के स्कूल में ही जाकर ही पढ़ाई करना। अब उनकी ख्वाहिश अपने बेटे के साथ ही पढ़ाई को जारी रखना चाहती है।

अनु कुमारी: बेटे को खुद से दूर किया

यूपीएससी परीक्षा–2017 में हरियाणा की अनु कुमारी ने दूसरी रैंक हासिल की। मगर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक मां के तौर पर उन्हें कुर्बानियां देनी पड़ीं। अनु के लिए सबसे मुश्किल फैसला अपने बेटे से अलग रहना था। अभी उनका बेटा चार साल का है। वह कहती हैं, 'घर पर पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही थी, इसलिए बेटे को मां के पास छोड़ने का फैसला लिया और खुद मौसी के घर तैयारी करने के लिए चली गई। कई बार ऐसे मौके आए, जब बेटे की याद आने पर आंसू रोकना मुश्किल हो गया। मगर लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया था और मुझे अपेक्षाओं पर खरा उतरना था।'

डॉ. शकुंतला काले

महाराष्ट्र शिक्षा परिषद प्रमुख डॉ. शकुंतला काले के पिता की मृत्यु तब हो गयी थी जब वह चौथी कक्षा में पढ़ती थी। परिवार का भरण–पोषण करने के लिए उनकी मां खेतों में मजूदरी किया करती थी। अत:, 14 वर्ष की

* *स्टेनो ग्रेड–I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा विभिन्न स्रोतों से संकलित*

आयु में दसवीं करने के तुरंत बाद ही उनकी शादी कर दी गयी। वह अपने पति के साथ संयुक्त परिवार में रहने लगी। उनके दो बच्चे हो गये। शिक्षा आगे जारी रखने के लिए उन्हें उनके पति एवं ससुर से भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने शिक्षा में डिप्लोमा, स्नातक एवं तत्कालीन पुणे विश्वविद्यालय से दूरस्थ अधिगम के माध्यम से मराठी साहित्य में परास्नातक की उपाधि हासिल की।

उनका सपना महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षा पास करना था। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वह एक दिन में मात्र चार धंटे सो पाती थी, क्योंकि कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए उन्हें तड़के तीन बजे उठना पड़ता था। प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के अभाव में एवं उस समय उनके गांव में मात्र एक टेलीविजन सेट होने के कारण वह रेडियो पर प्रसारित खबरों एवं अन्य सामग्री द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारी करती थी। वह अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए घर के काम करते–करते रेडियो पर चल रही खबरों को सुनती थी। उनकी इस लग्न को देखते हुए रेडियो पर समाचार शुरु होते ही उनके बच्चे रेडियो को उनके पास ले आते थे। 1993 में उन्होंने एमपीएससी की समूह ख की परीक्षा पास की और उन्हें शोलापुर में शिक्षा विभाग में नियुक्ति मिली। 1996 में उन्होंने एमपीएससी की समूह क की परीक्षा भी पास की और उन्हें महिला शिक्षा विभाग के प्रमुख के तौर पर नियुक्ति मिली। साथ ही, उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि भी हासिल की। शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद सितम्बर 2017 में उन्हें महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है।

रिटायरमेंट के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है

अवनींद्र कुमार श्रीवास्तव*

अक्सर लोग एक दूसरे से यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सेवाकाल कितना है। बताने पर भी पलटकर फिर से दूसरा सवाल करते हैं कि आपका रिटायरमेंट कब, किस साल में है। साल जानने पर भी महीना एवं दिनाँक पूछते हैं। यह सब जानने पर कई प्रकार का वार्तालाप करते हैं जैसेकि अरे! आपके रिटायरमेंट में तो अभी बहुत साल हैं, आप एक पे कमीशन और लोगे, आपकी सेवा बहुत कम है, आपके तो मजे ही मजे हैं। जिनक रिटायरमेंट में कुछ ही साल बाकी होते हैं उनसे कहा जाता है कि आपकी उल्टी गिनती शुरु हो गयी है, आपने तो घर बना लिया होगा, आप घर की सारी जिम्मेदारी निभा चुके होंगे। बस रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी, छुट्टियों का भुगतान एवं अन्य सुविधाओं के लिए विभाग से मिलने वाली ढेर सारी रकम लेकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिए तथा पेंशन के साथ परिवार में मजे से रहिए।

मैं समझता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है, यह जानने की जरूरत क्या है? फर्क क्यों नहीं पड़ता, बहुत पड़ता है। जब आदमी को यह पता चलता है कि नौकरी के गिने–चुने दिन शेष रह गए हैं तो वह समाप्त–सा हो जाता है। यह एक जाना–समझा प्रश्नोत्तर है कि रिटायरमेंट किस दिन होगा? यह तो पहले से ही पता होता है। जिस दिन व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है, उसकी सेवा पुस्तिका में उसकर रिटायरमेंट की तारीख भी लिख दी जाती है। इस दृष्टि से तो व्यक्ति की उल्टी गिनती नौकरी प्रारंभ होने के दिन से ही शुरु हो जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति के जन्म के बाद उसकी मृत्यु निश्चित होती है, उसी प्रकार नौकरी के प्रारंभ से ही रिटायरमेंट निश्चित होता है। मृत्यु के भय से तो व्यक्ति जीना नहीं छोड़ता, बल्कि हर पल नये सोच–विचार एवं कल्पना से परिपूर्ण होकर हर दिन आगे बढ़ता है।

कर्तव्य का पालन करते हुए यदि मृत्यु आ भी जाय तो शोक नहीं करना चाहिए। जब मृत्यु को भी शोक का कारण नहीं माना गया है तो रिटायरमेंट कैसे शोक का कारण हो सकता है? यदि मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है तो रिटायरमेंट के बाद की अवस्था उस पुनर्जन्म से कम नहीं होनी चाहिए।

लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सक्रिय जीवन का अवसन हो जाता है। मगर किसी महीने की अंतिम तारीख तक तो आप बिल्कुल सक्रिय रहे तो अगले महीने की प्रारंभिक तारीख को आप निष्क्रिय कैसे हो गये? यह सब हमारी सोच का असर होता है। दरअसल हम रिटायर नहीं होते, रिटायर होता है हमारा मन और उसमें उत्पन्न विचार जो हमें रिटायर कर देता है। सेवानिवृत्ति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।यह एक नये जीवन की शुरुआत ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। जीवन में हर नया पल, हर परिवर्तन, पुनर्जन्म होता है। हमें इसे स्वीकार करते हुए जीवन को आनंदपूर्वक जीना चाहिए।

* *पर्यवेक्षक (प्रशासन), वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

एक देश, एक चुनाव

राजेश कुमार कर्ण*

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना भी होती है और उत्सव भी। लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए चुनाव अति–आवश्यक होते हैं। आजादी के बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो वर्ष 1951–52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सफलतापूर्वक कराए गए। बाद में राज्य विधानसभाओं के समय से पहले विघटन/धारा 356 के दुरुपयोग, गठबंधन सरकारें, अल्पमत की सरकारें, लोकसभा निर्धारित अवधि से पहले भंग होने के कारण लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बीच फासला बढ़ने के परिणामस्वरूप लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग–अलग कराए जाने लगे। इन चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, किंतु देश 12 महीने इलेक्शन मोड में चला गया है। हर साल औसतन पाँच चुनाव हो रहे हैं। देश में हर साल चुनाव होते रहने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, राजनीतिक दलों का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है एवं गवर्नेंस को भी प्रभावित होते हुए देखा गया है। इस मसले पर कई मौकों पर चर्चा हुई। इस संबंध में संसद की स्थायी समिति, योजना आयोग एवं लॉ कमीशन की सिफारिशें मौजूद हैं। अधिकांश लोगों की राय है कि एक साथ चुनाव देश के भले के लिए होगा। लेकिन यह बेहद पेचीदा मामला है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन के साथ–साथ राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी है। लेकिन प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस मसले पर एक संजीदा बहस देश में एक बार फिर शुरू की है। वे कई मौकों पर इसकी वकालत कर चुके हैं। इन दिनों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर काफी विचार–विमर्श चल रहा है। किंत इतना बड़ा परिवर्तन आसानी से नहीं होने वाला है, कुछ वक्त लगेगा, इसलिए कोई बेसब्री भी नहीं दिखाई जा रही है। 'मैं अकेला नहीं, बल्कि सब मिलकर करेंगे', कहकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे आम राय बनाने के मूड में हैं। इसे संभव बनाने के लिए इस विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी है कि एक साथ चुनाव के क्या फायदे हो सकते हैं।

इसके पक्ष में मजबूत तर्क हैं। इससे अथाह धन की बचत होगी जिसका इस्तेमाल विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के आयोजन में 1195 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो 2014 के चुनाव में बढ़कर 3900 करोड़ रुपए हो गए। 2019 में इसके कई गुणा अधिक होने की आशंका है। एक साथ चुनाव से चुनावों पर लगातार बढ़ता खर्च घटेगा, चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों को बार–बार चुनाव ड्यूटी पर नहीं भेजना होगा, बार–बार मतदाता सूची बनाने एवं संशोधन करने से मुक्ति मिलेगी। भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल एवं भारी जनसंख्या वाले देश में जहां लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं, चुनाव कराना एक बहुत ही बड़ा एवं जटिल काम है। बेशक बार–बार चुनाव होने से भारी मात्रा में सार्वजनिक धन बर्बाद होता है। निर्वाचन आयोग भी बार–बार चुनाव कराने के लिए बहुत रकम खर्च करता है जो असल में करदाताओं का ही पैसा है। हालांकि शुरूआत में अतिरिक्त वोटिंग मशीन और कार्यबल की जरूरत काफी बढ़ सकती है लेकिन बेशक लंबी अवधि में खर्च अंततः कम हो सकता है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था बेहतर लोकतंत्र और दीर्घकालिक लाभ के लिए हमारा निवेश होगा।

राजकोषीय खर्च बढ़ने के साथ–साथ राजनीतिक दलों को भी बार–बार चुनाव प्रचार अभियान के लिए प्रायः चंदे के जरिए धन जुटाना पड़ता है। अक्सर ये चंदे दान के रूप में व्यावसायिक घराने या धनी लोग देते हैं। इससे भ्रष्टाचार की जड़ मजबूत होती है क्योंकि जब पार्टियां चुनाव जीतकर सत्ता में आती हैं तो अपने दानदाताओं को उपकृत करने के लिए सरकारी नीतियों को उनके अनुकूल बनाती हैं। कम संख्या में चुनाव होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी तथा दलालों की संख्या एवं कालेधन में कमी आएगी।

बार–बार चुनाव होने से नीति निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है तथा नई योजनाओं के ऐलान पर रोक लग जाती है ताकि मतदाताओं को लुभाने की कोशिश न की जा सके। इससे सरकार के हाथ बंध जाते हैं तथा नीतियों पर अमल ठप्प हो जाता है। इसका असर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है। दोनों चुनाव एक साथ होने की स्थिति में एक बार ही कुछ समय के लिए चुनावी आचार संहिता लागू होगी जिससे सरकारी कामकाज में बार–बार रूकावट नहीं आएगी। राज्य और केन्द्र की सरकारें पाँच वर्ष का 'विजन' लेकर शपथ ग्रहण करेंगी, जिससे विकास की धुरी तेजी से घूम सकेगी। बार–बार चुनाव का सामना करने वाली सरकारें दीर्घकालीन के बजाय अल्पकालीन मुद्दों पर ही

* *स्टेनो असिस्टेंट, ग्रेड–II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

ज्यादा ध्यान देती हैं परिणामस्वरूप सुशासन की व्यवस्था प्रभावित होती है। चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म एवं अन्य विभाजनकारी ताकतें मजबूत होती हैं जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ता है एवं राष्ट्रीयता की भावना कमजोर होती है। एक साथ चुनाव होने पर हर राज्य के लिए अलग एजेंडा रखना या विरोधाभासी एजेंडा रखना प्रत्येक दल के लिए मुश्किल होगा। एक साथ चुनाव होने पर विधानसभा के साथ लोकसभा का एजेंडा जनता के सामने रखना क्षेत्रीय दलों की मजबूरी होगी, इससे राष्ट्रीय एजेंडे को महत्व मिलेगा।

चुनाव आयोग एक चुनाव से निबट नहीं पाता कि उसे दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाना पड़ता है। प्रत्येक साल औसतन पाँच से ज्यादा राज्यों के चुनाव होते रहते हैं और इसके कारण राजनीतिक दलों एवं चुनावी मशीनरी पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। चुनाव के दौरान भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों, पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ती है। बार–बार चुनाव होने के कारण पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर एवं माओवाद प्रभावित जिलों जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती नहीं हो पाती और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। बार–बार चुनाव से शैक्षणिक कार्य पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षकों की ही ड्यूटी लगती है। यदि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों तो इन सारी समस्याओं या दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है।

भले ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में ये तमाम तर्क वजनदार हैं लेकिन इसके विरोध की दलीलें भी कम दमदार नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से हमारे संविधान के संघीय चरित्र पर चोट पहुंचेगी और वोटर स्थानीय या राज्य के मुद्दों को उतना तवज्जो नहीं दे पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। यह स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों के विचार एवं निर्णय को मिला देता है जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। यह दलील भी दी जाती है कि जब लोग एक ही बूथ पर जाकर विधानसभा एवं लोकसभा के लिए मतदान करेंगे तो इसकी बहुत संभावना है कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इससे छोटे और विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, उनकी भूमिका घट जाएगी और विविधता और गठबंधन की राजनीति कमजोर होगी जबकि इससे लोकतंत्र को मुखरता मिलती है। आईडीएफसी एवं सीएसडीएस और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के दो प्रोफेसरों द्वारा अतीत में किए गए दोनों अध्ययनों का निष्कर्ष भी यही है कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो लोगों द्वारा एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना रहती है। अर्थात यह वोटरों के व्यवहार तथा चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है। यह पूर्णतः सही नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जब केन्द्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए और मतदाता ने दोनों के लिए अलग–अलग दलों या धड़ों का चुनाव किया। 1967 तक चुनाव आमतौर पर एक साथ ही हुए, फिर भी आठ राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनी। अर्थात मतदाता अपना भला–बुरा तब भी जानते थे। हमारे पास वर्ष 2014 में ओडिशा में राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने के भी अनुभव हैं। गठबंधन सरकारों के इन 50 वर्षों में भारतीयों ने शिक्षा, दीक्षा और लोकतांत्रिक संस्कारों में उल्लेखनीय तरक्की की है, इसलिए यह तर्क आसानी से गले नहीं उतरता।

लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि प्रायः आसपास नहीं रहती। अब तक 16 लोकसभाओं में सात को अवधि से पहले ही भंग किया जा चुका है जबकि विधानसभाएं 1985 के दलबदल विरोधी कानून और अनुच्छेद 356 के मनमाफिक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों एवं सख्त रूख के कारण पिछले कुछ वर्षों से अमूमन अपना कार्यकाल पूरा कर पा रही हैं। बार–बार चुनाव से नेताओं और राजनीतिक दलों को जनता के सवालों का सामना बार–बार करना पड़ता है इसलिए उनमें जवाबदेही का भाव कुछ ज्यादा आता है। साथ ही, चुनाव के दौरान कई तरह के रोजगार पैदा होते हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान हथियारों की जब्ती का अभियान चलाया जाता है, लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करा लिया जाता है और लंबित गैर जमानती वारंटों पर सख्ती से अमल कराया जाता है। इससे अपराध दर में गिरावट आती है।

इसके पक्ष एवं विपक्ष में मजबूत तर्क हैं किंतु एक साथ चुनाव कराने के फायदे उसके नुकसान पर भारी पड़ेंगे। यह समाज एवं राष्ट्र के हित में है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने के मार्ग में अनेक चुनौतियां एवं रूकावटें हैं जिनसे पार पाना होगा। संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। जनप्रतिनिधि कानून 1951, जिसमें देश में चुनाव करवाने संबंधी विभिन्न तौर–तरीके शामिल हैं, में संशोधन की जरूरत होगी और संवैधानिक संशोधनों के लिए दो–तिहाई बहुमत की जरूरत होती है किंतु अभी सत्तारूढ़ दल इससे बहुत दूर है।

भारतीय संविधान में लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच साल तय किया गया है, जबकि जम्मू–कश्मीर के लिए छह वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसमें बदलाव के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। अभी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव उनके अलग–अलग कार्यकालों के मुताबिक होते हैं। दोनों चुनाव एक साथ करवाने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। जो विधानसभा भंग करनी पड़ेगी, वहां की सरकार इसे स्वीकार करने से मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि एक

निर्वाचित विधानसभा की अवधि कम करना असंवैधानिक है क्योंकि विधानसभा को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग करने का अधिकार संसद या किसी भी अन्य संघीय एजेंसी को नहीं है। इस स्थिति में किसी खास राज्य सरकार के साथ समझदारी बनाकर उसे अपना कार्यकाल कुछेक महीने घटाने के लिए राजी किया जा सकता है। इसके साथ ही, कुछ विधानसभा की अवधि बढ़ाने की स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है लेकिन इससे प्रादेशिक स्वाभिमान पर चोट पहुंच सकती है।

ज्यादा समस्या केन्द्र के स्तर पर आ सकती है। अगर केन्द्र सरकार खुद लोकसभा में विश्वास खो बैठती है तो क्या होगा? तब क्या चुनाव नहीं करवाए जाएंगे? प्रधान मंत्री अगर लोकसभा भंग कर दोबारा जनादेश प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें रोका क्यों जाए? राज्य में भी यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा भंग कर दोबारा जनादेश प्राप्त करना चाहें तो उनके समक्ष रूकावट क्यों खड़ी की जाए?

कभी–कभी चुनाव के बाद किसी दल अथवा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर भी स्थायी सरकार का गठन संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है किंतु केन्द्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उस व्यक्ति को बगैर लोकसभा का सामना किए छह महीने तक प्रधानमंत्री पद पर बैठने का अधिकार भी होता है। लेकिन एक महीना या एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति देश के शासन से जुड़ा कोई काम प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल उठाया गया है कि लोकसभा के लिए निश्चित पाँच साल के कार्यकाल की व्यवस्था कर भी ली जाए तो सदन में किसी दल या गठबंधन का बहुमत न बन पाने की स्थिति में देश का शासन कौन चलाएगा?

बेशक एक साथ चुनाव के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि निर्वाचित सदन पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करे। उन प्रावधानों को बदलना होगा जिनके चलते सदन को भंग करके मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है और उसके स्थान पर नई सरकार नहीं बन पाने की स्थिति में मध्यावधि चुनाव की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत में भी जर्मन संविधान की व्यवस्थाओं से सीख लेकर 'अविश्वास मत के प्रस्ताव' के स्थान पर 'रचनात्मक अविश्वास मत के प्रस्ताव' का प्रावधान कर सकते हैं जिसके अनुसार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है बल्कि किसी अन्य नेता के नेतृत्व में नई सरकार के बहुमत का दावा पेश किया जाता है। इससे एक सरकार के गिरने से पहले दूसरी सरकार बनने की स्थिति रहती है। ऐसा होने पर लोकसभा एवं विधानसभा का पाँच वर्ष तक चलते रहना निश्चित हो जाएगा।

सबसे पहले केन्द्र सरकार के सामने सर्वसम्मति बनाने का महत्वपूर्ण कार्य है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए राजनीतिक सर्वसम्मति बनाना संभवतः केन्द्र सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी एवं बाधा होगी क्योंकि बहुत से राजनीतिक दलों ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष इससे संबंधित अपनी शंकाएं जाहिर कर दी हैं। राजनीतिज्ञ अपने संकुचित राजनीतिक नजरिए को छोड़कर राष्ट्रीय हितों की चिंता करें, उस बारे में सोचें जो देश के लिए बेहतर हो। केन्द्र सरकार को सभी पंजीकृत केन्द्र एवं राज्य स्तर की पार्टियों, सांसद एवं विधायक से उनकी राय जरूर लेनी चाहिए और ठीक उसी तरह राजनीतिक सर्वसम्मति बनानी चाहिए जैसे 1960 के दशक में आदर्श आचार संहिता के लिए बनाई गई थी।

दोनों चुनाव एक साथ कराने के मामले में इस तरह के तर्कों का विशेष मूल्य, महत्व नहीं है कि इसमें तमाम समस्याएं आड़े आएंगी, क्योंकि सच तो यह है कि ऐसा होने पर तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यदि एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1951 से 1967 के पहले चार लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में सफल था तो अब क्यों नहीं? यह अब भी सफल हो सकती है। इस सिलसिले में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक और संविधान संशोधन करना होगा जो बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि एक साथ चुनाव समाज एवं राष्ट्र के हित में है। इसके साथ ही राजनीति में अपराधीकरण, चुनाव जीतने के लिए धन–बल का बेतहाशा उपयोग, हिंसा, चुनाव में कालाधन, भ्रष्टाचार, झूठे वादे/सपने पर भी लगाम लगाना जरूरी है। यह कड़वी सच्चाई है कि राजनीतिक दलों में हर कीमत पर चुनाव जीतने की मंशा होती है, जहां नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। अब राजनीति जन सेवा की जगह सत्ता, संपत्ति और शक्ति का स्रोत बन गई है। वोट बैंक की राजनीति से राजनीतिक जीवन का अपराधीकरण हुआ है एवं राजनीति में व्यापक विकृतियां घर कर गई हैं। इसलिए राजनीति की व्यापक सफाई के लिए स्थानीय स्तरों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जनांदोलन खड़ा करना होगा। चुनाव जब हों, जैसे हों, पर उनके जरिए यदि सही लोग नहीं चुने जाएंगे तो हर बार हमारे सपने ऐसे ही टूटते रहेंगे एवं देश का विकास प्रभावित होगा।

प्रेरक प्रसंगः अशिक्षा से आजादी के लिए जगाई अलख

बात 1918 की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है रामकृष्णपुर। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। इसी गांव के एक परिवार में सुधांशु का जन्म हुआ। बाकी गांव वालों की तरह उनके परिवार वाले भी रामकृष्ण मिशन के अनुयायी थे। इसलिए इन्हें बचपन से सादगी और अनुशासन की सीख मिली। प्राइमरी तक उनकी पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद मैट्रिक की पढ़ाई के लिए परिवार ने इन्हें कोलकाता भेज दिया। परिवार चाहता था कि बेटा पढ–लिखकर कोई अच्छी नौकरी करे। पर उन्हें क्या पता था कि शहर जाते ही बेटे के जीवन की दिशा बदल जाएगी। दरअसल, जिन दिनों सुधांशु कोलकाता पहुंचे, उन दिनों पूरे देश में आजादी के आंदोलन की गूंज थी।

तब वह सातवीं कक्षा में पढ़ते थे। महान स्वतंत्रता सेनानी बेनी माधव दास, बीना दास और कल्याणी दास उनके टीचर थे। कोलकाता सामाजिक और राजनैतिक सरगर्मी का केंद्र बना हुआ था। स्कूल कैंपस में अक्सर सभाएं और चर्चाएं होती रहती थीं। ऐसे में, भला वह खुद को कैसे रोक पाते? एक दिन उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी नृपेन चक्रवर्ती से हुई। सुधांशु ने उनसे आंदोलन को लेकर खूब बातें कीं, खास तौर से ब्रिटिश शासन के क्रूर रवैये और आजादी की मुहिम पर। इसके बाद उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। धीरे–धीरे वह आजादी के आंदोलन सं जुड़ गए। सुधांशु कहते हैं, मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा गया था, पर मैं आजादी के आंदोलन से जुड़ गया। मैं दो बार महात्मा गांधी से मिला। बहुत प्रभावित था मैं उनसे। पर कई प्रयास के बाद भी सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिल सका। आंदोलन के दौरान एक बार कोलकाता के अलबर्ट हॉल में तमाम स्वतंत्रता सेनानी जुटे थे। वहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रणनीति बन रही थी। तमाम बड़े नेता मौजूद थे वहां। सुधांशु भी गए थे। तभी ब्रिटिश पुलिस को इस बैठक के बारे में खबर लग गई। उसने अचानक वहां धावा बोल दिया। हॉल में अफरातफरी मच गई। तमाम स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार कर लिए गए। जिन्हें पकड़ा गया उनकी खूब पिटाई हुई और उन्हें जेल भेज दिया

गया। पर सुधांशु किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। भले ही पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, पर वह हुकूमत की निगाह में आ चुके थे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी।

यह 1939 की बात है। सुधांशु मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा हॉल में अचानक हलचल शुरु हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हाथ से पर्चा और कॉपी छीन ली गई। हालांकि बाद में उन्हें पुलिस की निगरानी में परीक्षा देने की अनुमति मिल गई और वह अच्छे अंकों से पास हुए। इस घटना के बाद उनके अंदर आजादी का जुनून और गहरा हो गया। 1942 में वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बीरभूम मकं ब्रिटिश प्रशासन पर हमले के बाद उन्हें कोलकाता छोड़कर भागना पड़ा।

आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। आजाद भारत का मिशन पूरा हो चुका था, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफी नहीं है। अभी देश के लिए बहुत कुछ करना होगा। उन दिनों गरीबी, बेराजगारी और अशिक्षा जैसी विकराल समस्याएं देश के सामने थीं। 1950 में वह स्वामी विवेकानंद के आरके मिशन के संपर्क में आए। उनके मन में जीवन और दर्शन को समझने की ऐसी ललक पैदा हुई कि वह घर छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़े। करीब 14 साल साधना में बिताए। तमाम साधु–संतों और ज्ञानियों से मिले। कुछ समय के लिए बनारस रहे। समाज की विसंगतियों और जरूरतों को समझने के बाद 1961 में वह एक नए मिशन के साथ कोलकाता लौटे। अब उनका लक्ष्य था समाज को अशिक्षा से आजाद कराना।

सुधांशु गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। इसके लिए धन की जरूरत थी। उन्होंने प्लास्टिक को बिजनेस शुरु किया। कुछ पैस जोड़ने के बाद गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। इसका नाम रखा था रामकृष्ण सेवाश्रम। अपने गांव रामकृष्णपुर में भी उन्होंने स्कूल खोला। सुंदरबन में 18 रामकृष्ण सेवाश्रम चल रहे हैं। सुधांशु कहते हैं, देश को खुशहाल बनाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। मगर गरीब आदमी जब बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पाता, तो पढ़ाएगा कैसे? बिजनेस के साथ बच्चों की देखभाल मुश्किल हो रही थी, इसलिए उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया और पूरा जीवन बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। इन स्कूलों में बच्चों के रहने, खाने और पढ़ने का मुफ्त इंतजाम है। बच्चे इन्हें दादू कहकर बुलाते हैं। 99 साल की उम्र में भी वह समाज सेवा में सक्रिय हैं। बच्चों की पढ़ाई के अलावा वह गांवों में गरीबों को मुफ्त दवा देने का काम भी करते हैं। इस साल महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

** साभार – दैनिक हिंदुस्तान*

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

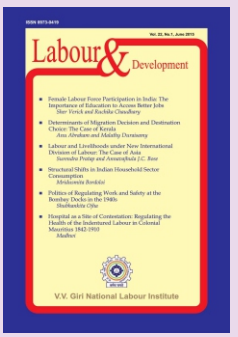

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

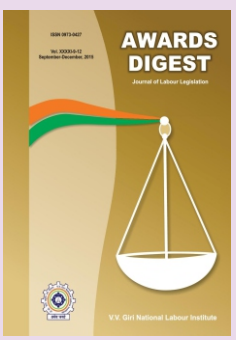

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

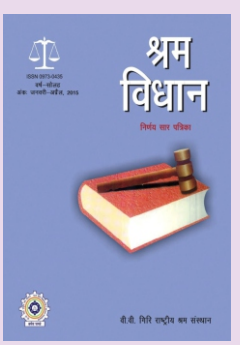

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली / नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइटः www.vvgnli.gov.in